
नालसा (तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण
पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015

नालसा (तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएँ) योजना, 2015

पृष्ठभूमि

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा (ख) के अंतर्गत 'केंद्रीय प्राधिकरण', अर्थात् राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को, अधिनियम के 'प्रावधानों के अंतर्गत विधिक सेवा को उपलब्ध बनाने के उद्देश्य हेतु सर्वाधिक प्रभावी एवं मितव्ययी योजनायें बनाने' हेतु वचनबद्ध किया गया है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की प्रस्तावना बल देती है कि विधिक सेवा प्राधिकरण समाज के कमजोर वर्गों से सम्बंधित है एवं उन पर यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य अधिरोपित करती है कि कोई नागरिक आर्थिक अथवा अन्य विकलांगताओं/असमर्थताओं के कारण न्याय पाने के अवसरों से वंचित न रहे।

इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि वाणिज्यिक यौन शोषण के पीड़ित चाहे वो अवैध व्यापार द्वारा लाए गये हों अथवा स्वैच्छिक यौनकर्मी हों, एक अत्यधिक पिछड़ा समूह है। उनके या तो अधिकार भुला दिये गये हैं या उनके जीवन एवं रहने की दशा से किसी का कोई सम्बंध नहीं है या इसमें किसी को कोई रूचि नहीं है कि उनके एवं उनके बच्चों के साथ क्या घटित होता है। उनकी यही दशा उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ पाने हेतु अधिकारवान बनाती हैं। उनके अत्यधिक पिछड़े अस्तित्व के कारण वे उन समस्त लाभों हेतु अधिकृत हैं जो समाज के अन्य पिछड़े वर्गों को उपलब्ध है।

वाणिज्यिक यौन शोषण हेतु अवैध व्यापार के पीड़ित ऐसे अवैध व्यापार के ठीक पश्चात सिर्फ अत्यधिक मानसिक आघात का सामना करते हैं बल्कि उनके बचाव के पश्चात भी अवैध व्यापार करने वाले जो यह चाहते हैं कि वो वापस आएँ अथवा उनके केस का अनुसरण नहीं करें, के विरुद्ध उनके संरक्षण की आवश्यकता है। उनके जीविका से सम्बंधित मुद्दे भी हैं एवं यदि कोई व्यवहार्य-विकल्प नहीं दिया जाता है तो उनके पुनः अवैध व्यापार किये जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं।

प्रज्जवला द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका W.P (C) क्र: 56/2004 में नालसा ने एक रिपोर्ट वाणिज्यिक यौन शोषण और यौन कर्मी के लिए व तस्करी के शिकार लोगों के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही करने के लिए रिपोर्ट दी है।

“ प्रारम्भिक रिपोर्ट में विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका को जैसा व्यवस्थित किया है उसे निम्नलिखित दोहराया है।

- क) तस्करी और यौन शोषण के पीड़ितों को बचाव के समय तथा उसके बाद केस की सुनवाई में कानूनी सहायता उपलब्ध कराना।
- ख) धारा 357 A Cr. PC के तहत पीड़ितों को मुआवजा दिलवाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तक पहुँचाने की सहायता देना।
- ग) यौन शोषण और तस्करी के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उपलब्ध मौजूदा सुविधाओं की सामाजिक लेखा परीक्षकों के रूप में निगरानी और कार्रवाई करने के लिए।
- घ) जि. वि. से. प्रा. (DLSA) पैनल वकीलों और पैरा-लीगल स्वयंसेवकों के माध्यम से तस्करी के मुद्दों के बारे में विशेष रूप से कमजोर वर्ग के बीच और संवेदनशील क्षेत्रों में जागरूकता का प्रचार कर सकते हैं।
- ड) DLSAs वास्तव में एक समिल्लन ग्रंथि के रूप में कार्य करे जिससे वास्तव में उन तक पहुँचने जो उनके अधिकार रखते हैं और तस्करी को रोकने और तस्करी का शिकार जन व बच्चे हो उन पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़े।
- च) सी. एस. आर. के तहत कौशल निर्माण और रोजगार सहित तस्करी के शिकार लोगों के पुनर्वास के लिए उपायों का समर्थन करने के लिए कॉर्पोरेट जगत को जागरूक करने के लिए कदम उठाने में।
- छ) SLSAs भी कानूनी सेवाओं वकील, अभियोजन पक्ष, सरकारी कर्मचारियों और न्यायपालिका सहित पुलिस, वकीलों की तरह हितधारकों के प्रशिक्षण और संवेदीकरण में सहायता कर सकते हैं।”
- ज) रा. वि. से. प्रा. (SLSAs) इस क्षेत्र में कार्य करने वाले स्थानीय शैक्षणिक संस्थानों एवं सिविल सोसाइटी संगठनों एवं एन. जी. ओ. के साथ मिलकर काम भी कर सकते हैं।”

नालसा की उच्चतम न्यायालय के प्रति जो वचनबद्धता है उसे क्रियान्वयित करने हेतु विभिन्न स्तरों पर, विधिक सेवा प्राधिकरणों को रुप रेखा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से योजनायें बनाना आवश्यक है। यही वर्तमान योजना का उद्देश्य है। यह आशा की जाती है कि विधिक सेवा प्राधिकरण सभी स्तरों पर वर्तमान योजना का अनुसरण करके इस कमजोर वर्ग को प्रभावी रूप से विधिक सेवा प्रदान करने में समर्थ होगा।

योजना का नाम

यह योजना नालसा (तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएँ) योजना, 2015 कही जाएगी।

उद्देश्य

योजना का उद्देश्य समस्त आयु समूह की महिलाओं को सम्मिलित करते हुए अवैध व्यापार के पीड़ितों एवं प्रत्येक स्तर पर अर्थात् रोकथाम, बचाव एवं पुनर्वास के सम्बन्धों का समाधान करने हेतु विधिक सहायता प्रदान करना है। योजना का मुख्य विषय इन पिछड़े समूहों हेतु आर्थिक एवं सामाजिक मार्ग प्रदान करना है ताकि वे सामाजिक रूप से जुड़ जाएं एवं इस प्रकार उन्हें वे समस्त सामाजिक संरक्षण प्राप्त हो जो एक साधारण नागरिक को उपलब्ध है। विधिक सेवा प्राधिकरण का हस्तक्षेप पीड़ितों की मर्यादा का संरक्षण सुनिश्चित करना होना चाहिए जो उनका उतना ही जीवन का मूल अधिकार है जितना किसी अन्य नागरिक के जीवन का।

बच्चों एवं वयस्कों, जो इस उद्देश्य हेतु अवैध व्यापार में लाए गये हैं के अलावा, पहले से ही पिछड़े स्वैच्छिक यौन-कर्मि विधिक सेवा प्राधिकरण की सहायता से वंचित न रह जाएं इसी कारण उन्हें भी वाणिज्यिक यौन शोषण का पीड़ित माना गया है।

अर्द्ध-विधिक स्वयंसेवी, विधिक सेवा क्लीनिक, फ्रंट ऑफिस, पैनल अधिवक्ता और प्रतिधारक अधिवक्ता जैसे शब्दों का अर्थ वही रहेगा जैसा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क और सक्षम विधि) विनियमन, 2010 और राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण (विधिक सहायता क्लिनिक) विनियमन, 2011 के तहत परिभाषित है।

पीड़ितों को विधिक सेवा हेतु योजना

विधिक सेवा की योजना सर्वव्याप्त दृष्टिकोण के द्वारा मार्गदर्शित होनी चाहिए। इसलिए, बच्चे, किसी भी लिंग के नवयुवक, नवयुवतियाँ, तरुण महिलाएँ एवं वृद्ध महिलाएँ सभी को कार्ययोजना में सम्मिलित किया जाना होगा। विधिक सेवा प्राधिकरण रोकथाम, बचाव एवं पुनर्वास हेतु एक समग्र कार्ययोजना का विकास करेगा ना कि केवल इनमें से किसी एक पहलू हेतु इसके अतिरिक्त विधिक सेवा प्राधिकरण प्रत्येक केस के दस्तावेज तैयार करेगा एवं कम से कम तीन वर्ष तक आगे की कार्यवाही जारी रखेगा ताकि पीड़ित का समाज में पुनः एकीकरण पूर्ण हो जाए।

समस्त सम्यक् तत्परता पूर्वक प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए, अवैध व्यापार द्वारा लायी गई महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने हेतु योग्य बनाना-

कार्ययोजना पीड़ितों के अवैध व्यापार की रोक-थाम एवं पुनर्वास के उद्देश्य हेतु सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक विकास एवं कल्याण को मजबूत बनाने के उद्देश्य हेतु जीवन-वृत्त दृष्टिकोण के साथ केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों की विद्यमान कल्याणकारी योजनाओं का प्रयोग करना होगा। जि वि से प्रा, एन जी ओ/ सी बी ओ से योजनाओं हेतु माँग को सुनिश्चित करने के लिए उपकरणों जैसे कि सूक्ष्म नियोजन एवं सर्वेक्षणों के प्रयोग हेतु अनुरोध कर सकेगा एवं उसके पश्चात योजनाओं हेतु पंजीकरण को सुगम बनाने हेतु पूरे जिले में सहायता डेस्क स्थापित करेगा। साथ-साथ

पीड़ित/समुदाय के सदस्य प्रोत्साहित एवं शिक्षित किये जा सकेंगे कि वे किस तरह योजनाओं हेतु आवेदन करें जिनमें वे नामांकन अथवा पंजीकरण करना चाहते हैं।

जि वि से प्रा सम्बंधित विभाग के समर्थन से प्रत्येक योजना के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रियाओं को पूर्ण करने एवं समस्त सम्यक तत्परता पूर्वक प्रक्रियाओं का अनुपालन करने को सुगम बनाएगा। यह आवेदक को उन समस्त प्रकार के दस्तावेजों को अभिप्राप्त करने में समर्थ बनायेगा जिनका किसी योजना के अंतर्गत लाभों हेतु पात्रता स्थापित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। जैसे निवास प्रमाण, आयु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, इत्यादि को प्राप्त करना। एक बार समस्त सम्यक तत्परतापूर्ण हो जाने पर एवं योजना स्वीकृत हो जाने पर, जि वि से प्रा, योजना का लाभ लाभार्थियों तक पहुँचाने तक समुदाय को समर्थन प्रदान करता रहेगा।

उपलब्ध योजनाएँ-

- ▶ आई सी डी एस अथवा शिशु देखरेख विकास - 0 - 6 वर्ष, गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताएँ (देखरेख प्रदान करने वाले के रूप में)
- ▶ खाद्य सुरक्षा अथवा राशन कार्ड
- ▶ वृद्ध महिलाओं हेतु सामाजिक सुरक्षा अथवा पेंशन
- ▶ दोपहर के भोजन को सम्मिलित करते हुए शैक्षणिक योजनायें, सेतु के विद्यालय, सर्व शिक्षा अभियान के आवासीय विद्यालय, सबाला, नवयुवतियों एवं विनिर्दिष्ट कन्याओं हेतु सामाजिक कल्याण विभाग से प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा हेतु छात्रवृत्तियाँ
- ▶ जीविका-कौशल उन्नयन, वित्तीय समावेश, सूक्ष्म उद्यम-अ.ज./अ.जन./पि.व./अल्पसंख्यक एवं महिला विकास निगम से एवं सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सी एस आरनिधि
- ▶ निर्माण हेतु आवासीय अथवा छूट एवं शहरी विकास से भूमि पटा, आवासीय निगम
- ▶ सार्व भौम हकदारियाँ-जनधन, आधारकार्ड, वोटरकार्ड, एस. एच. जी. सदस्यता
- ▶ विधिक सहायता योजनाएँ-विधिक साक्षरता, अर्धविधिक स्वयंसेवी, निःशुल्क विधिक सहायता एवं संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु विधिक सहायता क्लीनिक

वि. से. प्रा. की भूमिका

SLSAs/DLSAs की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अभिसरण बनाए रखने के लिए है। इसमें कोई शक नहीं है की सभी योजनाओं के लिए प्रशासनिक अभिसरण जिला कलेक्टर के तहत किया जाएगा, वहीं बचाव के अभिसरण SLSAs और DLSAs की देख-रेख में करना होगा।

SLSAs और DLSAs को भी योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के क्रम में, क्षेत्र में काम कर रहे सरकारी मशीनरी और समुदाय आधारित संगठनों/गैर सरकारी संगठनों को एक साथ लाना होगा। इस तरह के सीबीओ/गैर सरकारी संगठनों को नालसा द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए।

पीड़ितों के कानूनी, वैधानिक, संवैधानिक और मानव अधिकारों को लागू करने के लिए जहाँ भी आवश्यकता हो कानूनी सहायता, परामर्श, संवेदीकरण या प्रशिक्षण प्रदान करना SLSAs और DLSAs की भूमिका होगी।

इस पृष्ठभूमि में, रा. वि. से. प्रा. / जि. वि. से. प्रा. की भूमिका निम्नलिखित में होगी : दूरिया मिटाना - समस्त विभागों एवं/पीड़ितों, जैसे कि अवैध व्यापार में लायी गयी महिलाओं, यौन कार्यों में संलग्न महिलाओं एवं जो अवैध व्यापार एवं अत्यधिक हिंसा के आघात के पीड़ित हों, के मध्य।

सहभागिता बढ़ाना-जि. वि. से. प्रा. द्वारा सामुदायिक संगठनों, इसके सदस्यों एवं सरकारी-विभाग-जिला एवं उप-जिला प्रशासन को साथ लाने के लिए योजना 'योजना शिक्षा अभियान' आयोजित करना।

सहभागिता एवं स्वामित्व को सुगम बनाना-

सामुदायिक बैठकों एवं शिविरों के माध्यम से सामुदायिक संगठनों के साथ सहयोग कायम करते हुए जि. वि. से. प्रा. द्वारा आगे कार्यवाही करना।

संवेदीकरण-

समस्त विभागों एवं संस्थाओं को समुदाय की गतिशीलता के बारे में सीखने हेतु योग्य बनाना, गलत अवधारणाओं को दूर करना।

उत्तरदायित्व को मजबूत बनाना-

अधिकार धारण करने वाले की पहचान से लेकर योजना का लाभ दिलाये जाने तक समस्त प्रक्रियाओं को अभिग्रहण करने वाली प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम. आई. एस.) के माध्यम से।

साझेदारी विकसित करना -

पहले स्तर पर सामुदायिक संगठनों एवं यौन कर्मियों के साथ काम करने वाले गैर सरकारी संगठन एवं अवैध व्यापार एवं यौन शोषण के पीड़ितों के साथ सहभागिता सुनिश्चित करना। समुदाय के बहुत से छिपे हुए सदस्यों तक पहुँचने वाली प्रक्रिया को सुगम बनाना एवं सामुदायिक जुटाव की प्रक्रिया को आकार देना।

मध्य स्तर पर जिला प्रशासन तंत्र, यथा महिला एवं बाल विकास विभाग (विशेष रूप से बाल संरक्षण / कल्याण समितियाँ एवं मानव अवैध व्यापार निरोधक इकाईयाँ) एवं जि. वि. से. प्रा. के मध्य साझेदारी होनी चाहिए। यह समुदाय एवं लाभार्थियों के साथ मूल/जमीनी स्तर पर होने वाले प्रयासों पर विशेष ध्यान देंगे।

साझेदारी का तीसरा स्तर बाल विभाग, जो अवैध व्यापार के पीड़ितों हेतु कई योजनाएँ कार्यान्वित करता है एवं पुनर्वास/स्वधार/उज्ज्वला घर चलाता है गृहमंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय एवं ग्रामीण जीविका अभियान जो मानव अवैध व्यापार की रोक-थाम हेतु जनादेश भी रखता है एवं लाभार्थियों को संरक्षण एवं सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण साझेदार होगा, के साथ होगा।

कार्ययोजना-

प्रथम कदम जो कि जि. वि. से. प्रा. को उठाना चाहिए वह क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों, एवं समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ) तक पहुँचना है। यह करने के लिए, रा. वि. से. प्रा. को यूनिसेफ अथवा यू. एन. ओ. डी. सी. से संपर्क स्थापित करना होगा। उन्हें राज्य अभिकरण जैसे कि महिला एवं बाल विभाग, ग्रामीण जीविका अभियान, व उन्हें राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एन. ए. सी. ओ.) एवं राज्य तथा जिला एड्स नियंत्रण समितियों (एस. ए. सी. एस. एवं डी. ए. सी. एस.) की सहायता भी लेनी चाहिए। इस प्रकार रा. वि. से. प्रा. / जि.वि. से. प्रा. अवैध व्यापार के साथ-साथ यौन कर्मियों के बारे में सूचना प्राप्त करने में समर्थ होंगे। दूसरा कदम अन्तर्विभागीय समाभिरूपता स्थापित करना होगा। अर्थात् राज्य एवं जिला स्तर पर प्रेरित करना होगा ताकि समस्त सम्बंधित विभागों की एक सम्मिलित एवं व्यापक प्रतिक्रिया तथा हिस्सेदारी प्रकट हो एवं आवश्यक अन्तर्क्षेत्रीय संयोजन, विधि एवं प्रक्रिया स्थापित हो।

अवैध व्यापार-

अवैध व्यापार के सम्बन्ध में, राज्य में मानव दुर्व्यापार निरोधक इकाईयों एवं एनजीओ / सीबीओ की सहायता से जि. वि. से. प्रा. को उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर आघात युक्त क्षेत्रों आघात युक्त जनसंख्या को ध्यान में रखकर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना होगा। तभी रोक थाम की योजनाओं को गति प्रदान किया जाना सम्भव हो सकेगा। ये योजनाओं के बारे में सूचना का प्रसार करेंगी एवं आघात योग्य लोगों को ऐसी योजनाओं से सम्बद्ध करेंगी ताकि वे उनसे लाभान्वित हो सकें। यह विधि के बारे में एवं संभावित अवैध व्यापार करने वालों के द्वारा खड़े किये गये खतरों के बारे में जागरूकता फैलाने को भी समाविष्ट करेगा। इस तरह बालकों एवं किशोर बालकों को, उन्हें अपरिचितों के द्वारा मित्र बनाए जाने के खतरों के बारे में जागरूक किया जा सकेगा एवं माता-पिता को शहरों में उनके बच्चों हेतु अच्छी शिक्षा दिये जाने के वादों की असत्यता के बारे में सावधान किया जा सकेगा। समान रूप से, नवयुवकों को नौकरियों एवं बेहतर जीवन के झूठे वादों के बारे में चेतावनी दी जा सकेगी।

रा. वि. से. प्रा. / जि. वि. से. प्रा. को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु पैन्ल अधिवक्ताओं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक टीम बनानी होगी। पी. एल. वी. का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए कि आघात योग्य

समुदायों/पीड़ित वर्ग को विभिन्न योजनाओं तक पहुँचाए व योग्य बनाने के लिए पात्रता युक्त दस्तावेजों एवं प्रमाणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के अनुक्रम में समस्त प्रक्रियाएं सम्यक तत्परतापूर्वक पूर्ण कर ली गयी हैं। जि. वि. से. प्रा. को अपने पीएलवी एवं अपने कार्यालयों, जहाँ आवश्यक हो, का उपयोग प्रशासनिक प्रमुखों जैसे कि जिला कलक्टर अथवा मुख्य सचिव से योजना का अंतिम कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु सम्पर्क करने के लिए किया जाना चाहिए।

भारतीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में पुलिस थानों में सम्बद्ध अथवा खोए हुए बच्चों के मामलों का संचालन करने हेतु नियुद्ध पीएलवी को, बच्चों के मामलों के साथ-साथ अवैध व्यापार पर रा. वि. से. प्रा. / जि. वि. से. प्रा. द्वारा विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे उत्तरदायी बनें। ये पीएलवी, रा. वि. से. प्रा. / जि. वि. से. प्रा. को जहाँ भी किसी पुलिस थाने में अवैध व्यापार का ऐसा मामला रिपोर्ट किया जाता है अथवा यौन कर्मों की गिरफ्तारी होती है, सूचित करेंगे।

यौनकर्मों-

सामुदायिक आवश्यकताओं को समझने की एक विधि है कि रा. वि. से. प्रा. के सदस्य सचिव अथवा जि. वि. से. प्रा. के पूर्णकालिक सचिव एवं समुदाय के नेताओं अर्थात् ऐसे नेता जो सामाजिक हकदारियों, विशेष रूप से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे कि विधवा एवं वृद्धावस्था पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थी तक पहुँचने में आने वाली कठिनाईयों की व्याख्या कर सकते हों, के मध्य बैठकें आयोजित करना है।

अन्य विधिजन से सुनवाई का आयोजन करना है जहाँ समुदाय के सदस्य 'बयान' देंगे, अथवा दूसरे शब्दों में समस्त स्तरों पर शासन प्रणाली के साथ अपने अनुभव को बतलायेंगे। 'जूरी' निम्नलिखित से मिल कर गठित होनी चाहिए : जि. वि. से. प्रा. के अध्यक्ष एवं/अथवा पूर्णकालिक सचिव, अन्य न्यायिक अधिकारी जहाँ संभव हो, उच्च शासकीय अधिकारी जैसे डीसी, प्रमुख सचिवगण अथवा मुख्य सचिव, पुलिस अधिकारीगण एवं संरक्षण अधिकारीगण / रा. वि. से. प्रा. / जि. वि. से. प्रा. द्वारा ऐसे कार्यक्रमों में वरिष्ठ अधिवक्तागण एवं पैनल अधिवक्तागण को भी समाविष्ट किया जाना चाहिए।

बयान के पश्चात सदस्य सचिव/सचिव, जैसी भी स्थिति हो, अथवा पैनल अधिवक्ता को समुदाय को विधिक सेवा प्राधिकरण में उपलब्ध विधिक सेवाओं के बारे में बताना चाहिए एवं उनकी शिकायतें फाइल करने हेतु एवं जहाँ भी उनके अधिकारों का अतिलंघन हो अथवा उनकी कोई विधिक समस्या जैसे उत्तराधिकार इत्यादि की हो, में निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। विधिक सेवा प्राधिकरण लक्ष्य समूहों को उनके दैनिक जीवन में सामना करने वाली हिंसा एवं उत्पीड़न के निवारण हेतु समर्थ बना सकते हैं। संगी अथवा पति से

हिंसा की दशा में जि. वि. से. प्रा. संरक्षण अधिकारीगण के साथ विधिक सहायता एवं सलाहकारी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं।

जि. वि. से. प्रा. समुदाय से लिए गये अर्धविधिक स्वयंसेवीगण को रा. वि. से. प्रा. के मापदंड के अनुसार अधिकृत एवं प्रशिक्षित कर सकता है। ये पी एल वी जहाँ तक समुदाय का सम्बन्ध है प्राधिकरण के मुख्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर सकते हैं। जिले के समस्त खण्डों एवं अंतिम रूप से पूरे राज्य से प्रतिवेदनों को लेने के द्वारा 'संतृप्तिकवरेज' सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

पुनः, जि. वि. से. प्रा. के समुदाय में योजनाओं हेतु आवश्यकता का मूल्यांकन करना चाहिए एवं जैसा कि यहाँ इसके ऊपर वर्णित है उस तरीके से सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तक समुदाय की पहुँच को सुगम बनाना चाहिए।

रोकथाम :

सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करते समय, रा. वि. से. प्रा. / जि.वि. से. प्रा. को एकीकृत बाल संरक्षण योजना, विशेष रूप से ग्रामीण स्तर बाल संरक्षण समितियों 'वीएलसीपीसी' की स्थापना, के अन्तर्गत पहले से उपलब्ध ढाँचे पर ध्यान देना चाहिए। ये समितियाँ समुदाय के पंचायत सदस्यों, विद्यालयों के अध्यापकों, विद्यार्थियों एवं माता-पिता से मिल कर बनायी जाती हैं। गाँवों में बच्चों पर नजर रखने हेतु वीएलसीपीसी हेतु विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए। अध्यापकों को विद्यालय से गायब हुए बच्चों पर निगरानी रखने हेतु संवेदनशील बनाना चाहिए ताकि ऐसे बच्चों के विषय में शीघ्र ही अधिकारीगण को रिपोर्ट करें, ताकि उनकी भलाई हेतु आगे की जाँच शीघ्रतापूर्वक की जा सके।

छोटे बच्चों एवं किशोर बालिकाओं हेतु, आँगनबाड़ी एवं स्वास्थ्य कर्मियों हेतु समान रूप से जागरूकता एवं संवेदनशीलता के कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिए। पुनः, रा. वि. से. प्रा. / जि. वि. से. प्रा. यह सुनिश्चित करे कि अनुपस्थित रहे बालकों की जाँच की जाए एवं तुरंत रिपोर्ट किया जाए।

वी. एल. सी. पी. सी. एवं आँगनबाड़ी से लिए गये पीएलवी एवं साथ-साथ अध्यापकों को अवैध व्यापार एवं यौन शोषण के मुद्दों पर विशेष बल के साथ प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इन पीएलवी के कार्यों की निगरानी सूक्ष्मतापूर्वक करनी चाहिए। वहीं इन पीएलवी को प्रभावी सलाहकार एवं समर्थक दिए जाएँगे ताकि रिपोर्ट हुई किसी घटना पर सम्बंधित रा. वि. से. प्रा. / जि. वि. से. प्रा. द्वारा सम्पूर्ण ध्यान दिया जा सके। विद्यार्थी विधिक साक्षरता क्लबों को अवैध व्यापार के मुद्दों के बारे में लिखने, बात-चीत करने एवं विचार-विमर्श करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये क्लब यौवन के खतरों से बचने व सावधान रहने के बारे में मित्रवत शिक्षक की भूमिका भी निभा सकते हैं।

प्रबंधन सूचना प्रणाली-

रा. वि. से. प्रा. एवं जि. वि. से. प्रा. को एक मजबूत एम आई एस विकसित करना होगा ताकि इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक गतिविधि रिकार्ड की जा सके, आगे की कार्यवाही की जा सके एवं मूल्यांकन किया जा सके। साथ ही पी. एल. वी. एवं पैनल अधिवक्ता द्वारा पीड़ितों को दी गयी सहायता जि. वि. से. प्रा. के पूर्णकालिक सचिव/सचिव द्वारा अभिलिखित की जा सके व उसकी गहनतापूर्वक निगरानी की जा सके। जहाँ जि वि से प्रा ने पुनर्वास को सुगम बनाना हो तो कम से कम तीन वर्षों तक पीड़ित की ट्रेकिंग होनी चाहिए ताकि उसका पुनर्वास पूर्ण हो एवं उसके पुनः अवैध व्यापार में आने का खतरा न हो।

किन्नर (ट्रांसजेन्डर)

इस योजना के प्रावधान समस्त किन्नरों (ट्रांसजेन्डरस्) पर लागू होंगे।

नालसा (असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए
विधिक सेवाएं) योजना, 2015

नालसा (असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाएँ) योजना, 2015

1. पृष्ठभूमि

- 1.1 भारतीय अर्थ व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता यह है कि कामगारों की एक बहुत बड़ी संख्या असंगठित क्षेत्र में काम कर रही है। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2007-2008 एवं 2009-2010 के नेशनल सैपल सर्वे अनओर्गेनाइज्ड सेक्टर ने अनुमान लगाया है कि कुल कामगारों का 93-94% असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहा है। सकल घरेलू उत्पाद में इसकी भागीदारी 50% से अधिक है।
- 1.2 असंगठित कामगारों की अधिक संख्या (लगभग 52 प्रतिशत) कृषि क्षेत्र में कार्य कर रही है, दूसरे बड़े क्षेत्र में निर्माण, लघु उद्योग, ठेकेदारों द्वारा बड़े उद्योगों में नियोजित कामगार, घरेलू कामगार, ऐसे कामगार जो जंगलों की पैदावार पर निर्भर हैं, मछली पालन एवं स्वतः रोजगार जैसे रिकशा खींचना, आटो चलाना, कुली आदि शामिल हैं।
- 1.3 असंगठित क्षेत्र की खास बात यह है कि वहां ज्यादातर श्रम कानून लागू नहीं होते हैं। इसमें काम करने वालों की दशा दयनीय है। न वे सुनिश्चित रोजगार पाते हैं, न उनको सही वेतन मिलता है और न ही उन्हें कोई कल्याणकारी सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं। इस क्षेत्र में रोजगार हमेशा नहीं होता एवं इसलिए काम की कोई गारंटी नहीं होती। वह एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं क्योंकि काम की स्थिरता नहीं होती एवं अक्सर उनके बच्चों की पढाई भी छूट जाती है। शहरों में वह झुग्गी में रहते हैं जहां घर एवं शौच का प्रबंध नहीं होता है। स्वास्थ्य सेवा एवं प्रसूति लाभ जो संगठित क्षेत्र में उपलब्ध हैं उनके लिए नहीं हैं। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961, औद्योगिक उपवाद अधिनियम 1947, उपदानसंदाय अधिनियम 1972, कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्णउपबंध अधिनियम 1952 आदि में अधिनियमित विधियां वृद्धावस्था, स्वास्थ्य सेवा एवं सहायता, मृत्यु विवाह तथा दुर्घटना आदि की दशा में भी इन पर लागू नहीं होतीं। इन सारे तथ्यों का मतलब है कि आम तौर से शोषित जीवन जीने के लिए ये मजबूर हो जाते हैं।
- 1.4 **मौजूदा विधि ढांचा :** हालांकि जहां असंगठित क्षेत्र में नियोजन की श्रेणियां बड़ी संख्या में हैं, कार्य वातावरण हेतु प्रदान किये जाने वाले विधान इत्यादि केवल कुछ श्रेणियों में ही लागू किये गए हैं जैसे-
 - ▶ डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम 1948

- ▶ बीड़ी एवं सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) 1966
 - ▶ अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त अधिनियम) 1979
 - ▶ सिनेमा कर्मकार एवं सिनेमा थिएटर कर्मकार (नियोजन का विनियमन अधिनियम) नियम 1984
 - ▶ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996
 - ▶ हस्त चालित खनिक नियोजन प्रतिषेध एवं उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013
- 1.5 असंगठित कामगारों के सभी वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु केंद्र सरकार ने प्रभावशाली कानून असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के नाम से लागू किया है। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 तथा असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अंतर्गत कर्मकारों के हितों के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के समुचित प्रचार की आवश्यकता है।

2. विधिक सेवा प्रदान करने हेतु योजना

- 2.1 यहाँ ऊपर वर्णित विधानों का अधिनियमन, कामगारों के जीवन में कुछ सराहनीय परिवर्तन लाता हुआ प्रतीत नहीं होता है जिसके निम्नलिखित कारण हैं :-
- (क) सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 वैधानिक तौर से योजना को लागू करने की कोई प्रक्रिया विहित नहीं करता है एवं ऐसा लगता है कि योग्य कामगारों को योजना के लाभ के लिए सम्बंधित प्राधिकरणों के इनकार के विरुद्ध स्वीकृति नहीं है।
 - (ख) बहुत कम राज्यों ने सामाजिक सुरक्षा बोर्ड बनाए हैं एवं अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत नियम बनाये हैं। नतीजा यह है कि कई राज्यों में कल्याण योजना नहीं चलायी जा रही है एवं जहाँ योजनायें हैं वहाँ उन पर नजर रखने वाला कोई नहीं है। समानतः सारे राज्यों में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड नहीं बनाये गये हैं एवं फलस्वरूप कोई सुरक्षा योजना भी इन कामगारों के लिए नहीं है।
 - (ग) हालांकि कई राज्यों में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत कर लिया जा रहा है, कर का उपयोग कामगारों के हित के लिए कम किया जा रहा है। उसका कारण कामगारों का कम पंजीकरण या पंजीकृत कामगारों के हितों का कम निस्तारण है।

- (घ) योजना एवं हितों का पर्याप्त प्रचार भी नहीं किया गया है। असंगठित क्षेत्र के कामगार सामान्यतः अनपढ़ और संगठित न होने के कारण ज्यादातर योजना से अवगत नहीं है।
- (च) कामगार सुविधा केंद्र जैसा कि सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 में बताया गया है किसी भी राज्य द्वारा नहीं बनाये गए हैं।
- (छ) नियोक्ता या ठेकेदार पर किसी भी योजना के अंतर्गत कामगारों का पंजीकरण कराने की जिम्मेदारी अधिरोपित नहीं है।
- (ज) प्रत्येक योजना के लिए अलग से पंजीकरण कराना पड़ता है जिसके कारण जरूरत पड़ने पर कामगारों को समस्त योजनाओं का हित प्राप्त करने में दिक्कत होती है। कामगार को स्वयं आवेदन देकर पंजीकृत होना पड़ता है और वे इसके लिए अक्षम हैं क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं है और प्रक्रिया भी जटिल है।
- (झ) इन योजनाओं का पंजीकरण सामान्यतः सहज सुलभ नहीं है और इसी कारण अधिकांश कामगार प्रवासी होने के कारण इस योजना का लाभ उठाने में असमर्थ रहते हैं और फलस्वरूप इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराने में अनिच्छुक रहते हैं।
- 2.2 विधिक सेवा संस्थाएं लागू करने वाले प्राधिकरण एवं लाभार्थियों के बीच की दूरी को कम करने में एक पुल का काम कर सकती हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने नालसा की केंद्रीय प्राधिकरण की बैठक जो 08.12.2010 को हुई थी, में एक योजना को अपनाया है जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (असंगठित क्षेत्र में कामगारों को विधिक सेवा) योजना, 2010 है।
- 2.3 जरूरतमंद कामगारों के हितों के लिए कानून बनने के कई वर्षों के बाद भी इन्हें उनका फल प्राप्त नहीं हुआ है व यह समस्या विकट है जिसके कारण तथा इस क्षेत्र में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। वर्तमान संशोधित योजना इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही है।

अर्द्ध-विधिक स्वयंसेवी, विधिक सेवा क्लिनिक, फ्रंट ऑफिस, पैनल अधिवक्ता और प्रतिधारक अधिवक्ता जैसे शब्दों का अर्थ वही रहेगा जैसा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क और सक्षम विधि) विनियमन, 2010 और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (विधिक सहायता क्लिनिक) विनियमन, 2011 के तहत परिभाषित है।

3. योजना का नाम

यह योजना नालसा (असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 कही जाएगी।

4. उद्देश्य

1. सभी असंगठित कामगारों तक आवश्यक विधिक सेवाओं को संस्थागत बनाना।
2. सरकारी प्राधिकरण से सहयोग कर तथा जनहित याचिका द्वारा विधान/क्रियान्वयन में दूरी को समाप्त करना।
3. राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन की व्यवस्था का इस्तेमाल सभी वर्गों के असंगठित कामगारों की पहचान कराना व उन्हें पंजीकृत कराना तथा सभी सरकारी योजनाओं के लाभों को योग्य लाभार्थियों तक पहुँचाना।
4. नियोक्ताओं को वैधानिक प्रावधानों तथा कामगारों को कार्य हेतु अच्छा वातावरण, आजीविका एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता के प्रति जागरूक करना।
5. कामगारों में वर्तमान विधान एवं योजनाओं के अंतर्गत उनकी पात्रता के बारे में सूचना फैलाना।
6. असंगठित क्षेत्रों के सभी वर्गों के कामगारों की अनेक वर्ग के लिए उपलब्ध योजनाओं के अंतर्गत संबंधित प्राधिकरण में उनके पंजीकरण के लिए सहायता एवं सलाह देना।
7. कामगारों को योजना के लाभों को प्राप्त करने में सहायता देना जिनके लिए वे अपनी जरूरत/ योग्यता के अनुसार पंजीकृत हैं।

5. मार्गदर्शक सिद्धांत

सभी विधिक संस्थानों द्वारा असंगठित कामगारों के लिए योजना लागू करते समय निम्नलिखित सिद्धांत को ध्यान में रखा जाएगा।

- 5.1 भारतीय संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों के लिए प्रतिष्ठा व अवसर की समानता सुनिश्चित करती है तथा उनके गौरव का सम्मान करते हुए उनके बीच भाई-चारे को बढ़ती है। अनुच्छेद 42 में आदेशित है कि राज्य कार्य के लिए न्यायोचित एवं मानवीय स्थिति तथा मातृत्व लाभों को सुरक्षित रखने हेतु प्रावधान बनाएगी। अनुच्छेद 43 द्वारा, राज्य सभी कामगारों के लिए काम, निर्वाह मजदूरी, उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करते हुए कार्य स्थिति तथा पूर्ण मनोरंजन, अवकाश, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करेगी।
- 5.2 प्रत्येक नागरिक के गौरव को बनाये रखने का उद्देश्य वचन तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि एक कामगार का गौरव सुनिश्चित नहीं किया जाता।
- 5.3 असंगठित क्षेत्र समाज के उपेक्षित क्षेत्रों में से एक है तथा वे देश के नागरिक होने के कारण काम का अधिकार, न्यायोचित एवं मानवीय कार्य व्यवस्था, निर्वाह, मजदूरी, मातृत्व लाभ

तथा उचित जीवन स्तर के समान रूप से हकदार हैं। विधिक सेवा प्राधिकरणों के लिए यह वैधानिक आदेश है कि वह संवैधानिक सुनिश्चितताओं को वास्तव में उपलब्ध कराये। विधिक सेवा प्राधिकरणों को प्रशासनिक निष्क्रियता के प्रतिहित प्रहरी के रूप में कार्य करना होगा।

- 5.4 सरकार द्वारा विधानों/अथवा योजनाओं आदि के रूप में किये गए कल्याण कार्यों में उद्धिष्ट लाभार्थियों अथवा पीड़ितों को उनके अधिकारों व योग्यताओं को हासिल करने के लिए व्यवस्था का इस्तेमाल करने की जरूरत है। असंगठित क्षेत्र के कामगार समाज के वंचित एवं असुरक्षित क्षेत्र से सम्बन्ध रखते हैं तथा वे व्यवस्था का इस्तेमाल करने में सक्षम नहीं होते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण का यह कर्तव्य है कि वह न्याय प्राप्ति तक उनकी पहुंच स्थापित करने में सहायता करे।
- 5.5 असंगठित क्षेत्र के कामगारों के वर्गों की बड़ी संख्या, प्रत्येक वर्ग में बहुत बड़ी जनसंख्या तथा बड़े भौगोलिक क्षेत्र में उनके फैलाव के कारण उन तक विधिक सेवा पहुंचाने के लिए परियोजनाबद्ध कार्यक्रम की आवश्यकता है। उन्हें उनके संवैधानिक अधिकारों की प्राप्ति के योग्य बनाने के लिए एक संस्थागत व्यवस्था, वचनबद्ध कार्यबल तथा लगातार प्रयासों को लम्बे समय तक करने की जरूरत है।

कार्य योजना

6. विशेष सेलों की स्थापना :

- 6.1 इस क्षेत्र में कामगारों को उपयोगी विधिक सेवा प्रदान करने के लिए प्रत्येक राज्य का विधिक सेवा प्राधिकरण एक विशेष सेल बनाएगा जो अलग से केवल इसी सेवा पर नजर रखेगा। सेल में एक पैनल अधिवक्ता जो श्रम विधि में विशेष अनुभव रखता हो, एक सलाहकार जिसके पास आवश्यक योग्यता सम्बंधित क्षेत्र में कार्य का अनुभव हो, जहां तक संभव हो, किसी एन.जी.ओ. का प्रतिनिधि जिसका इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य हो, होंगे तथा ऐसी संख्या में अर्धविधिक स्वयंसेवी होंगे जैसा कि राज्य प्राधिकरण निर्धारित करे।

6.2 विशेष सेल के निम्न कार्य होंगे -

- (i) असंगठित कामगारों के लिए सेमिनार प्रशिक्षण कार्यक्रम, कानूनी अभिज्ञता / साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करना एवं चलाना।
- (ii) असंगठित कामगारों को योजनाओं का लाभ दिलाने व पंजीकरण के सम्बन्ध में सरकारी प्राधिकरणों के साथ सहयोग करना।

- (iii) असंगठित कामगारों को योजनाओं के हित प्राप्त करने हेतु फार्म भरवाने में सहायता प्रदान करना एवं पंजीकरण फार्म भरने एवं योजनाओं के अन्तर्गत लाभ उपलब्ध कराने में सहायता।
 - (iv) असंगठित क्षेत्र के कामगारों को उनके दावे में कानूनी सलाह व कानूनी सहायता देना जो उन्होंने किसी न्यायालय या प्राधिकरण में संस्थित किया हो।
 - (v) अन्य कोई कार्य जो राज्य प्राधिकरण उनके लिए नियत करे।
- 6.3 विशेष सेल सदस्य सचिव की सलाह या राज्य प्राधिकरण द्वारा नामांकित किसी दूसरे अधिकारी की सलाह से काम करेगा तथा सौंपे गये कार्यों की प्रगति की एक आवधिक रिपोर्ट विशेष सेल द्वारा फाइल की जायेगी।
- 6.4 सेल के सदस्यों को उनके द्वारा किये गए कार्यों का मानदेय दिया जाएगा जो राज्य प्राधिकरण द्वारा तय किया जाएगा।

7. असंगठित कामगारों की पहचान

- 7.1 विधिक सेवा संस्था का पहला काम उनके क्षेत्र में असंगठित कामगारों की संख्या एवं उनके वर्गों का राज्यों के सामाजिक कल्याण विभाग एवं श्रम विभाग के पास उपलब्ध आंकड़ों से पता लगाना है। आवश्यकता पड़ने पर स्वयं या विधि विद्यार्थियों या उस क्षेत्र के एन.जी.ओ. की सहायता से सर्वेक्षण किया जा सकता है ।
- 7.2 पहचान करने की विधि में, विशेष कोशिश इस बात की भी की जाए कि कहीं कोई बाल श्रमिक या बंधुआ मजदूर हो तो उसकी भी पहचान की जाए एवं अगर इन प्रतिबंधित वर्गों का कोई कामगार पाया जाए तो विधिक सेवा प्राधिकरण उसे सम्बंधित प्राधिकरण को सूचित करे एवं उनके बचाव में सहायता करे, उन्हें रिहा कराने एवं उनके पुनर्वास हेतु पहल करे जैसाकि बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976, बालक श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 तथा किशोर न्याय अधिनियम, 2000 में उपबंधित किया गया है।
- 7.3 राज्य प्राधिकरण क्षेत्र, आबादी एवं दूसरे अंश के आधार पर सारे वर्गों की पहचान के लिए एक समय सीमा बांध सकती है।

8. कार्य की शर्तें एवं न्यूनतम मजदूरी

राज्य एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य एवं जिला प्रशासन के सहयोग एवं स्थानीय एन.जी.ओ. की मदद से काम की शर्तें एवं वैधानिक नियम एवं न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर सकती है जो विशेषतः असंगठित कामगारों के वर्गों, घरेलू कामगारों के लिए, होगा।

एवं अगर आवश्यक हो तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उसे प्रकाशित कराने हेतु आवश्यक कदम उठा सकता है।

9. राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड तथा भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन

जहां भी सामाजिक सुरक्षा बोर्ड तथा भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड नहीं बनाया गया है। वहां राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य सरकार की सहायता ले, अगर आवश्यक हो तो, माननीय कार्यपालक अध्यक्ष के अनुमोदन से सम्बंधित उच्च न्यायालय में जनहित याचिका प्रस्तुत करने के द्वारा इन बोर्डों को जितना जल्दी से जल्दी हो बनायेंगी।

10. कर का उपयोग

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेगी कि उनके द्वारा लिए गए कर सावधि जमा में न पड़े रहकर वास्तव में जरूरतमंद कामगारों के हित में उपलब्ध योजना अनुसार काम में लाए जाए। राज्य प्राधिकरण बोर्ड से आवश्यक सूचना प्राप्त करेगी, कामगारों को हित के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करेगी एवं तत्पश्चात बोर्ड के सहयोग से उन हितों को प्रदान कराएगी।

अगर किसी कामगार को संदेय किसी हित से इंकार किया जाता है तो तत्संबंध में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विशेष सेल के माध्यम से असंगठित कामगारों के लिए कानूनी अभियोजन कर सकेगी।

11. कानून के अधीन सरकारी योजनायें

विधिक सेवा प्राधिकरण उनके राज्य में चल रही असंगठित क्षेत्रों की योजनाओं को प्रकाशित कराने के लिए राज्य सरकारों को कहेगी एवं अगर आवश्यक हुआ तो यह कार्य माननीय कार्यपालक अध्यक्ष की सहमति से जनहित याचिका द्वारा भी कराया जा सकेगा।

12. कानूनी जागरूकता

- 12.1 प्रत्येक वर्ग के असंगठित कामगारों की पहचान के बाद, भिन्न-भिन्न योजनाओं की जानकारी के लिए कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का प्रबंध किया जाए एवं सामाजिक सुरक्षा उपाय जो इन वर्षों के लिए हैं उनके संबंध में जागरूकता फैलायी जाये। विशेष सेल, असंगठित कामगारों के लिए कानूनी साक्षरता शिविर लगाएगा जो उनके कार्य के स्थान या समुदाय भवन में होगा।

12.2 सभी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसी पुस्तिकाएं/पर्वे प्रकाशित करेंगी जिसमें उपलब्ध योजनाओं, उनके लिए योग्यता मानदंड एवं कामगारों की जरूरतों के अनुसार हितों की प्राप्ति के लिए पंजीकरण के तरीके का ब्योरा दिया गया होगा। पुस्तिकाएं / पर्वे की प्रतियां स्वागत कक्ष, विधिक सेवा क्लिनिक, विशेष सेल स्थल पर उपलब्ध रहेंगी एवं इन्हें कानूनी जागरूकता/साक्षरता कार्यक्रम में बांटा जाएगा।

12.3 उपरोक्त जानकारी से सम्बंधित सूचना दूरदर्शन, आकाशवाणी व क्षेत्रीय रेडियो के माध्यम से भी प्रसारित की जायेगी।

12.4 राज्य के श्रम एवं समाज कल्याण विभाग से निवेदन किया जाना चाहिए कि विधिक सेवा संस्थाओं एवं विशेष सेल के सदस्यों के टेलीफोन नंबरों व हेल्पलाइन नम्बरों को प्रकाशित करे।

13. अर्धविधिक स्वयंसेवीगण का विशेष प्रशिक्षण

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अर्धविधिक स्वयंसेवी गण के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगी जिसमें असंगठित कामगारों के वर्गों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जायेगा जो उस क्षेत्र में कार्य कर रहे हों तथा वे लाभ जिन्हें वे सरकारी योजनाओं से प्राप्त कर सकते हैं। अर्धविधिक स्वयंसेवी गण को अन्य प्रशिक्षणों के साथ-साथ कामगारों को शिक्षित करने, उनके हितों को पहचानने, जरूरतमंद कामगारों को उक्त लाभ उपलब्ध कराने में प्राधिकरण से संपर्क स्थापित करने का भी प्रशिक्षण दिया जाए।

14. कामगार सहायता केंद्र

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राज्य के श्रम विभाग से 2008 अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत दिए गए कामगारों के लिए सहायता केंद्र स्थापित करने के लिए सहयोग करेगा। वे विधिक सेवा क्लिनिक भी स्थापित कर सकते हैं जिन्हें इन केंद्रों से जुड़े विशेष रूप से प्रशिक्षित अर्धविधिक स्वयंसेवी गण / एन.जी.ओ. चलाएंगे।

15. उपयुक्त कार्य वातावरण

कुछ कानून जैसे भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (सेवा शर्त) अधिनियम तथा बीड़ी एवं सिगार कर्मकार नियोजन की शर्त अधिनियम में उक्त क्षेत्रों में नियुक्त सभी कामगारों के लिए न्यूनतम कार्य शर्तों के निबंधन का प्रावधान है। उन क्षेत्रों में भी जहां कानूनी प्रावधान नहीं है, वहां उचित मजदूरी तथा मानवीय कार्य शर्तों की जरूरत के महत्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विधिविद्यार्थियों व उपयुक्त एन.जी.ओ. के साथ मिलकर अभियान चला सकती है ताकि असंगठित क्षेत्र के कामगारों को नियोक्ता द्वारा न्यायोचित कार्य वातावरण प्रदान किया जाना सुनिश्चित हो सके। इस उद्देश्य के लिए प्रावधानित सभी कानूनों का पालन किया जाए।

16. नियोक्ताओं के लिए सेमिनार

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा असंगठित क्षेत्र के लिए गठित विशेष सेल, नियोक्ताओं को उनके कानूनी कर्तव्यों तथा कामगारों की वास्तविक जरूरतों को पूरा करने के प्रति जागरूक बनाने के लिए सेमिनार / गोष्ठी आयोजित करेगी।

17. पुनर्वास योजनाएं

कई कानूनों में जैसे हस्तचालित खनिक नियोजन प्रतिषेध व उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 13 में कामगारों के पुनर्वास का वर्णन है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सम्बद्ध राज्य प्राधिकरण के साथ समन्वय से या तो स्वयं अथवा एन.जी.ओ. के सहयोग से उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पूर्व हस्तचालित खनिकों के लिए पुनर्वास योजना बनाने के लिए सहयोग करेगा।

18. कानूनी सहायता एवं कानूनी प्रतिनिधित्व

असंगठित कामगारों के लिए गठित विशेष सेल, सभी असंगठित कामगारों के लिए विधिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से किसी न्यायालय अथवा प्राधिकरण, जैसी आवश्यकता हो, के समक्ष परामर्श, विधिक सहायता व कानूनी सेवा उपलब्ध करायेगा।

नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं
और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015

नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएँ और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएँ) योजना, 2015

1. परिचय तथा पृष्ठभूमि :

‘यह कभी भी प्रश्नगत नहीं किया जा सकता कि बच्चे किसी समाज का सबसे असुरक्षित हिस्सा होते हैं। वे विश्व जनसँख्या के लगभग एक तिहाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा यदि उन्हें पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किये जाता, उन्हें भविष्य का जिम्मेदार नागरिक बनाने का अवसर वर्तमान पीढ़ी के हाथ से निकल जायेगा..।’ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सलिल बाली बनाम भारतीय संघ (यू.ओ.आई.) तथा अन्य, 2013, VII ए.डी.(एस.सी.) मामले में व्यक्त उपरोक्त सम्प्रेषण दर्शाता है कि युवा पीढ़ी के प्रति हमारा यह दायित्व है कि प्रत्येक बच्चे के लिए विधिक सेवा सहित सभी अवसर खोले जाएँ ताकि उनके व्यक्तित्व का समग्र विकास हो तथा उनकी क्षमता का शारीरिक, मानसिक, नैतिक व आध्यात्मिक विकास हो।

2. अन्तर्राष्ट्रीय वचनबद्धताएं :

- 2.1 20 नवम्बर, 1959 को बालकों के अधिकारों की घोषणा को स्वीकार करते हुए, संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, अथवा वंश का भेद भाव किये बिना बच्चों को स्वस्थ एवं सामान्य ढंग से तथा स्वतन्त्र व गौरवपूर्ण परिस्थिति में उनका शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक विकास करने के योग्य बनाने के लिए दस सिद्धांतों को अधिकथित किया है।
- 2.2 बाल न्याय प्रदान करने हेतु संयुक्त राष्ट्र आदर्श न्यूनतम नियम (पेइचिंगनियम, 1985) ने राष्ट्रों से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि कार्यवाही के दौरान बालक को विधिक सलाहकार के माध्यम से प्रतिनिधित्व का अधिकार प्राप्त होगा अथवा यदि उस देश में ऐसा प्रवधान हो तो उसे मुफ्त विधिक सहायता के लिए आवेदन करने का भी अधिकार होगा।
- 2.3 बालकों के अधिकार सम्बंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यू.एन.सी.आर.सी.) बालकों के अधिकार हेतु एक विस्तृत, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का बाध्यकारी समझौता है जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1989 में स्वीकार किया है। यू.एन.सी.आर.सी. का उद्देश्य बच्चों को प्रदान किये जाने वाले मूलभूत मानवाधिकारों की रूपरेखा तैयार करना है। इन अधिकारों को चार मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है। इन चार वर्गों में बालकों केस भी नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक अधिकार आते हैं जो निम्नलिखित हैं :-

► **जीने का अधिकार :-** इसमें बालक को जीवन का अधिकार तथा जीवित रहने के लिए

आवश्यक मूलभूत जरूरतें जैसे पोषण, आवास, उपयुक्त जीवनस्तर तथा चिकित्सीय सेवाओं का लाभ उठाना शामिल है।

► **विकास का अधिकार :-** इसमें बालक को शिक्षा, खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, सूचना प्राप्त करना तथा विचार व्यक्त करने की स्वतन्त्रता, विवेक तथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है।

► **संरक्षण का अधिकार :-** बच्चों को सभी प्रकार के दुर्व्यवहार, उपेक्षा व शोषण से संरक्षित करना। साथ ही शरणार्थी बच्चों की विशेष देख-रेख करना, अपराध न्याय व्यवस्था में बच्चों का संरक्षण, रोजगार में बच्चों का संरक्षण करना, उन बच्चों का संरक्षण व पुर्नवास करना, जिन्होंने किसी प्रकार के शोषण अथवा दुर्व्यवहार का सामना किया हो।

► **भागीदारी का अधिकार :-** इसमें बच्चों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उनके जीवन से संबंधित मामलों में अपनी बात रखने का अधिकार, शान्तिपूर्वक सभा करने व किसी संगठन में शामिल होने का अधिकार शामिल है। ज्योंही उनकी क्षमता का विकास होता है, बच्चों को समाज की गतिविधियों में हिस्सा लेने के तथा जिम्मेदार युवा बनने के अधिक अवसर मिलते रहे।

3. संवैधानिक आश्वासन :-

3.1 हमारे संविधान के निर्माता इस तथ्य के प्रति अच्छी तरह जागरूक थे कि राष्ट्र का विकास, उस राष्ट्र के बच्चों के विकास से ही संभव है तथा बच्चों को शोषण से बचाना भी आवश्यक है। भारतीय संविधान बच्चों को देश के नागरिक की तरह अधिकार प्रदान करता है तथा उनका विशेष स्तर बनाये रखते हुए राज्य ने विशेष कानून भी बनाये हैं। संविधान 1950 में लागू हुआ और इसमें बालकों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन सहित मौलिक अधिकारों व राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया गया है।

3.2 भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है कि उनकी इच्छानुसार विधि व्यवसायी (लीगल प्रैक्टिशनर) द्वारा उनका बचाव हो। बाल न्याय प्रदान करने के लिए अपनाये जाने वाले मौलिक सिद्धांतों में से एक यह भी है कि राज्य के खर्च पर विधिक सेवा प्रदान करना सुनिश्चित किया जाये। विधिक सेवा प्राधिकरण का यह आवश्यक कर्तव्य है कि प्रत्येक बालक को मुफ्त विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाये।

बच्चों से सम्बंधित भारतीय संविधान के प्रावधान निम्नलिखित हैं :-

- अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के सामान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।
- अनुच्छेद 15 (3) के अनुसार इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिये कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।

- ▶ अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जायेगा, अन्यथा नहीं।
- ▶ अनुच्छेद 21 (A) के अनुसार राज्य, छः वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में , जो राज्य विधि द्वारा, अवधारित करे, उपबंध करेगा।
- ▶ अनुच्छेद 23 (1) के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा अन्य इसी प्रकार की बंधुआ मजदूरी प्रतिबंधित है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।
- ▶ अनुच्छेद 24 के अनुसार चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिये नियोजित नहीं किया जायेगा या किसी अन्य खतरनाक कार्य में नहीं लगाया जायगा।
- ▶ अनुच्छेद 29 (2) के अनुसार राज्य द्वारा पोषित या राज्य-निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जायेगा।
- ▶ अनुच्छेद 39 (ई) के अनुसार राज्य, विशिष्टतया, अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिक, से रोजगार की ओर उन्मुख न हों जो उनकी आयु या शक्ति के प्रतिकूल हो।
- ▶ अनुच्छेद 39 (एफ) के अनुसार राज्य, विशिष्टतया, अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं मिले और बालकों और नवयुवकों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाय।
- ▶ अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य, सभी बालकों के लिये छः वर्ष की आयु पूरी करने तक, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा देने के लिये उपबंध करने का प्रयास करेगा।
- ▶ अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य, अपने लोगों के पोषण स्तर व जीवन स्तर को ऊँचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा।
- ▶ अनुच्छेद 51 ए (क) के अनुसार, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह यदि माता-पिता या संरक्षक है , छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बच्चे या प्रतिपाल्य के लिये शिक्षा का अवसर प्रदान करे।

4 अन्य विधान

संविधान के अलावा ऐसे कई कानून हैं जो बालकों से जुड़े हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :-

► संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890

यह अधिनियम न्यायालय द्वारा बालकों के संरक्षकों की योग्यताओं, नियुक्तियों और निष्कासन की चर्चा करता है और यह धर्म पर ध्यान दिये बिना सभी बालकों पर लागू है।

► बाल श्रम (प्रति निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986

यह अधिनियम विशिष्ट कार्यों में बालकों के नियोजन के निषेध तथा अन्य विशिष्ट नियोजनों में बालकों की कार्य-दशा को उत्कृष्ट बनाने हेतु प्रवृत्त हुआ है। अधिनियम के अंतर्गत 'बालक' से अर्थ वह व्यक्ति है जिसने अपनी 14 वर्ष की आयु को प्राप्त नहीं किया है। यह अधिनियम बाल रोजगार (अर्थात् जिसने अपनी 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है) के नियोजन पर प्रतिबंध लगाने हेतु आशयित है।

► प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिबंध) अधिनियम, 1994 (पी. सी. पी. एन. डी. टी. एक्ट)

यह अधिनियम (अनुवांशिक अथवा चयापचयी अथवा गुण-सूत्र सम्बन्धी असमानता का पता लगाने के उद्देश्य हेतु) प्रसव पूर्व निदान तकनीकों का प्रयोगों के विनियमनों और कन्या भ्रूण-हत्या के लिये जिम्मेदार प्रसव-पूर्व लिंग निर्धारण के उद्देश्य हेतु ऐसी तकनीकों का गलत प्रयोग करने की रोकथाम करता है।

► किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000

यह अधिनियम उन किशोरों और बालकों से सम्बंधित है जो कानून से संघर्ष कर रहे हैं और उन्हें संरक्षण कि आवश्यकता है। यह अधिनियम उनके विकास और आवश्यकताओं का प्रबंध करते हुए उन्हें उचित देख-रेख, संरक्षण एवं चिकित्सा को, बाल सम्बन्धी मामलों में उनके सर्वश्रेष्ठ लाभ की प्रकृति में अधिनिर्णय करने में बाल-अनुकूल दृष्टिकोण अपनाते हुए एवं स्थापित अधिनियम के तहत विभिन्न संस्थागतों द्वारा आधारभूत पुनर्वास प्रदान करता है।

► शिशु संरक्षण अधिकार अधिनियम, 2005 हेतु आयोग :-

यह अधिनियम बाल अधिकारों के संरक्षण एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों अथवा बाल अधिकारों के उल्लंघन और उनसे सम्बंधित अथवा उनसे निकले हुए मामलों की बाल न्यायालयों में शीघ्र सुनवाई हेतु राष्ट्रीय आयोग एवं राज्य आयोगों की स्थापना करता है।

► बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006

यह अधिनियम लड़के एवं लड़कियों दोनों पर न्यूनतम आयु निर्धारित किये जाने के द्वारा बाल विवाह करने पर अंकुश लगाता है। बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 की धारा 2(ए) के अंतर्गत बालक का अर्थ है कि जो व्यक्ति, यदि वह पुरुष है जिसने अपनी आयु 21 वर्ष पूर्ण न की हो और यदि वह महिला है तो उसने अपनी उम्र के 18 वर्ष पूर्ण न किए हो।

► बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009

संविधान का अनुच्छेद 21-ए यह प्रावधान करता है कि राज्य छः से चौदह वर्ष के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करवाएगा, इस प्रकार, जैसाकि राज्य, विधि द्वारा निश्चित करे। संसद ने बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 को लागू कर अनुच्छेद 21 ए द्वारा अपेक्षित अधिनियम बनाया है। यह अधिनियम छः वर्ष से चौदह वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराता है।

► यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम, 2012

यह अधिनियम बच्चों को यौन उत्पीड़न के अपराधों, यौन शोषण एवं अश्लील साहित्य से संरक्षण प्रदान करता है और ऐसे अपराधों के विचारण हेतु तथा उनसे सम्बंधित अथवा उनसे निकले हुए मामलों के लिये विशेष न्यायालयों की स्थापना करता है।

5. विधिक सेवाओं का अधिकार

- 5.1 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत बच्चे विधिक सेवाओं के लाभार्थी हैं। यह अधिनियम विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन करने के लिए, अधिनियमित किया गया ताकि कोई भी नागरिक आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय प्राप्ति के अवसर से वंचित न रहे। साथ ही समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को निःशुल्क एवं उचित विधिक सेवा प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।
- 5.2 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 (सी) के अंतर्गत एक बालक जिसे मुकदमा दायर अथवा प्रतिरक्षा करना है, विधिक सेवाओं का हकदार है। इसलिये, यह विभिन्न विधिक सेवा संस्थानों का कर्तव्य है कि वह विधि के साथ संघर्ष में बालक को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करें और उनके मामलों का त्वरित निपटान करें।
- 5.3 इस पृष्ठभूमि में, योजना विधिक सेवा संस्थानों (राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुक विधिक सेवा समिति, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति) के लिए तैयार की गई है कि इसका पालन बच्चों को विधिक सेवा देते समय किया जाए।

6. परियोजना का नाम

यह योजना नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएँ) योजना, 2015 कही जाएगी।

7. परिभाषाएँ

इस योजना में जबतक कि अन्यथा अपेक्षित न हो

- (क) 'अधिनियम' अर्थात विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39)
- (ख) 'जे. जे. अधिनियम' अर्थात किशोर न्याय (देख-भाल एवं बच्चों का संरक्षण) अधिनियम 2000 (2000 का 56)
- (ग) 'जे. जे. नियम' अर्थात किशोर न्याय नियम (देख-भाल एवं बच्चों का संरक्षण) नियम, 2007
- (घ) 'विधिक सेवा' का वही अर्थ है जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 2 (सी) के अंतर्गत बताया गया है।
- (च) विधिक सहायता क्लिनिक अर्थात जैसा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (विधिक सहायता क्लिनिक) विनियम 2011 के अंतर्गत विनियम 2 (सी) में बताया गया है।
- (छ) विधिक सेवा संस्थान का अर्थ है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा न्यायालय समिति, जिला विधिक प्राधिकरण, तालुक विधिक सेवा समिति, जैसा भी मामला हो।
- (ज) पैनल अधिवक्ता अर्थात पैनल अधिवक्ता जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क एवं उपयुक्त विधिक सेवा) विनियम, 2010 के विनियम 8 के अंतर्गत चुने जाते हैं।
- (झ) अर्धविधिक स्वयंसेवी अर्थात जैसा कि विधिक सेवा संस्थान के द्वारा अर्धविधिक स्वयंसेवी को प्रशिक्षित एवं नियुक्त किया गया है।
- (न) अन्य समस्त शब्द एवं भाव जो प्रयोग किये गये हैं परंतु इस योजना में परिभाषित नहीं किये गये हैं और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) अथवा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 में परिभाषित अर्थ क्रमशः एक ही होगा जो उपरोक्त अधिनियम अथवा नियम में नियत है।

8. उद्देश्य

8.1 दिल्ली में, 16 वर्ष का बच्चा 'X' मोबाइल फोन चुराने का अभियुक्त है। मुम्बई में, 12 वर्ष का बच्चा "Y" यौन दुर्व्यवहार से पीड़ित है। कलकत्ता में "Z" के माता-पिता उसकी

अभिरक्षा हेतु संघर्ष कर रहे हैं। चेन्नई में 13 वर्षीय बच्चा “S” एक फैंक्ट्री से छुड़ाया गया जो तस्करी का शिकार है। प्रत्येक दिन बच्चे इसी तरह न्याय प्रणाली के संपर्क में आते हैं, जहाँ औपचारिक एवं अनौपचारिक न्याय प्रदाता निर्णय देते हैं जो उनके भविष्य को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इन बच्चों के क्या अधिकार हैं जब वे विधिके संपर्क में आते हैं? क्या वे किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता के हकदार हैं? यदि ऐसा है तो वह सेवाएँ कैसे उपलब्ध कराई जाएंगी और आवश्यकता एवं आपदा की परिस्थिति में क्या बच्चों तक पहुँच सकेंगी? कैसे विधिक सेवाएँ (शिशु अनुकूल) बनाई जाएंगी जब तक तर्कगत एवं आर्थिक रूप से इतनी बाधाएँ हैं? कैसे शिशु अनुकूल न्याय की परिकल्पना अनौपचारिक न्याय व्यवस्था में भूमिका अदा करती है? इस योजना का प्रयोजन इन समस्याओं को सुलझाने हेतु एक परिकल्पित एवं कार्यशील पद्धति का सुझाव देना है जिसका अंतिम लक्ष्य ‘जमीनी स्तर’ पर बच्चों को सार्थक, प्रभावी, उपयोगी एवं आयु संगत विधिक सहायता प्रदान करना है।

8.2 परियोजना के मुख्य उद्देश्य हैं :-

- (i) बच्चों तक पहुँचाने के लिए मूल अधिकारों एवं लाभों की रूपरेखा बनाना।
- (ii) बच्चों की देख-भाल एवं संरक्षण और सभी स्तरों पर बच्चों के कानूनी झगड़ों के लिए विधिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना।
- (iii) विधिक सेवाएँ, संस्थागत देखभाल, परामर्श एवं राष्ट्रीय, राज्य, जिला एवं तालुका के स्तरों पर सहयोग सेवाओं को दृढ़ करना।
- (iv) किशोर न्याय प्रणाली में एक माहौल तैयार करना जिसमें बच्चों को महत्त्व दिया जाए, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए, उन्हें मान्यता दी जाए और उनके अधिकारों को सम्मान दिया जाए और उनसे एक वैयक्तिक विशिष्टता के साथ व्यवहार किया जाए।
- (v) समस्त पदाधिकारियों जिनमें अर्धविधिक स्वयंसेवी, पैनल अधिवक्ता परामर्शकर्ता, सेवा प्रदाताओं, गैर सरकारी संगठन, स्थानीय निकाय, पुलिस, न्याय विभाग एवं राज्य सरकार के अन्य संबंधित विभाग शामिल होंगे, की सभी स्तरों पर क्षमताओं का संवर्धन करना ताकि वे बाल मित्रवत विधिक सेवाएँ उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व लें।
- (vi) यह सुनिश्चित करना कि अनिवार्य प्राधिकरणों एवं संस्थानों जैसे कि किशोर न्याय परिषदों, बाल कल्याण समितियों, अन्य कल्याणकारी समितियों, अवलोकन तथा आश्रयग्रह, मनोचिकित्सक अस्पताल अथवा नर्सिंगहोम, आयोगों, परिषदों, परिवीक्षा अधिकारियों के कार्यालय आदि, विभिन्न बाल मित्र विधानों के अंतर्गत स्थापित हों।
- (vii) बाल कल्याण एवं सुरक्षा के लिए उपलब्ध वर्तमान केन्द्रीय तथा राज्य परियोजनायें नीतियां, विनियम, एस.ओ. पी. स., पुलिस निदेशों, सम्मेलनों, नियमों, घोषणाओं, टिप्पणियों और रिपोर्टों आदि आंकड़ों का संचय करना।

- (viii) बाल अधिकारों एवं उनकी सुरक्षा पर उपलब्ध बाल सुरक्षा सेवाओं, परियोजनाओं और सभी स्तरों पर ढांचों के बारे में बड़े पैमाने पर जनता को शिक्षित करने के लिए सभी हित धारकों अर्थात् अर्धविधिक स्वयंसेवी, किशोर न्याय परिषद् के सदस्य एवं बाल कल्याण समिति, कल्याण अधिकारियों, पुलिस, लोक अभियोजकों, न्यायिक अधिकारियों, विभिन्न घरों के देखरेख करने वाले, शैक्षणिक एवं चिकित्सक संस्थानों आदि के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।
- (ix) वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, एस.जे.पी.यू., जे.डब्ल्यू.ओ.एस., पैनल अधिवक्तागण, अर्ध विधिक स्वयंसेवी, किशोर न्याय परिषद् के सदस्यों, कल्याण अधिकारियों, सलाहकारों, परिवीक्षा अधिकारियों, लोक अभियोजकों, न्यायिक अधिकारियों, विभिन्न घरों के देख-रेख करने वालों के लिए कौशल विकास तथा उनमें उत्तरदायित्व का अहसास जगाने के लिए प्रशिक्षण, अभिविन्यास और संवेदीकरण हेतु कार्यक्रमों का आयोजन तथा व्यवस्था करना।
- (x) विधिक तथा बाल अधिकारों एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के बारे में सम्मेलनों, औपचारिक वार्तालाप, कार्यशालाओं एवं सभाओं का आयोजन करना।
- (xi) सभी सरकारी निकायों या पदाधिकारियों, संस्थानों, प्राधिकरणों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य सम्बंधित संगठनों या जिन्हें बाल अधिकारों से सम्बंधित जिम्मेदारियां सौंपी गयी हैं, के बीच में प्रभावी समन्वय और संपर्क विकसित करना।
- (xii) विभिन्न परियोजनाओं, कानूनों आदि पर अध्ययन कर अनुसंधान और प्रलेखन करना, उनमें कमियाँ खोजना तत्पश्चात उपयुक्त प्राधिकरणों को सुझाव देना।

9. प्रमुख सिद्धांत जिन्हें विधिक सेवा संस्थानों को सभी स्तरों पर अपने ध्यान में रखना चाहिए :-

9.1 बालक के सर्वोत्तम हित:-

यह प्रत्येक ऐसे बालक, जिसे देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है तथा जो कानून के साथ संघर्ष में हैं का अधिकार है कि विधिक सेवाएं प्रदान करते समय, उसके अधिकारों को सर्वोत्तम महत्व दिया जाए।

9.2 बाल कल्याण :-

अन्य सभी बातों के बावजूद बाल कल्याण हमेशा प्राथमिक होगा। बाल कल्याण को प्रोत्साहन देने के लिए त्वरित हस्तक्षेप तथा सहायता उपलब्ध होनी चाहिए।

9.3 सम्मान का अधिकार :-

प्रत्येक बालक को यह अधिकार है कि उसके साथ सम्मान एवं दया तथा करुणा का व्यवहार किया जाए एवं वह इसके योग्य है कि उसका सम्मान तथा सुरक्षा की जाए।

9.4 समानता एवं पक्षपात न किये जाने का अधिकार :-

बालक की जाति, वंश, धर्म, विश्वास, आयु, परिवार स्तर, संस्कृति, भाषा, नस्ल, अशक्ताओं यदि कोई हो अथवा जन्म स्थान को ध्यान में रखे बिना प्रत्येक बालक के साथ किसी भी पक्षपात का व्यवहार नहीं किया जाएगा।

9.5 सुनवाई के अधिकार का सिद्धांत :-

प्रत्येक बालक सूचित किये जाने, सुने जाने का अधिकार रखता है एवं अपने विचार एवं चिंताओं को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता के साथ व्यक्त करने का अधिकार रखता है।

9.6 सुरक्षा के अधिकार का सिद्धांत :-

प्रत्येक बालक समस्त स्तरों पर सुरक्षा का अधिकार रखता है एवं वह किसी हानि, शोषण, उपेक्षा आदि से ग्रस्त नहीं किया जा सकता।

9.7 गोपनीयता का सिद्धांत :-

किसी बालक की गोपनीयता विधिक सेवा संस्थानों के समस्त स्तरों पर सुरक्षित की जायेगी।

10. कार्ययोजना

10.1 परिषदों, समितियों, आयोगों आदि का गठन :-

- (क) किशोर न्याय अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत राज्य सरकार को अधिकृत किया गया है कि वह प्रत्येक जिले में बाल न्याय परिषद् का गठन प्रत्येक जिला में करे। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण इसे सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक जिले में बाल न्याय परिषद्दिय निमित्त न्यायालय से पृथक रूप से स्थापित किया जाए और जहां ऐसा कोई परिषद् स्थापित न हो राज्य विधिक सेवा परिषद् इसे अति आवश्यक आधार पर राज्य सरकार तक ले जाएगा ताकि बाल परिषद् प्रत्येक जिले में स्थापित हो सके।
- (ख) किशोर न्याय अधिनियम की धारा 29 राज्य सरकारों को यह अनुमति देती है कि वह बाल कल्याण समितियां सभी जिलों में उन बच्चों के लिए बनाए जिन्हें संरक्षण की जरूरत है। ऐसी समितियों में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष तथा चार अन्य सदस्य होंगे। जिनमें एक महिला होगी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक

जिले में बाल कल्याण समितियां स्थापित की जाएँ तथा जहां ऐसी समितियां गठित नहीं हैं वहां राज्य सेवा विधिक प्राधिकरण यह मामला राज्य सरकार के समक्ष अविलम्ब उठाएगा ताकि प्रत्येक जिले में समिति का गठन हो सके।

- (ग) किशोर न्याय अधिनियम में यह अनुज्ञात है कि विधि के विरोध में किशोरों से व्यवहार करने के लिए विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किया जाये। प्रत्येक पुलिस थाने में कम से कम एक पुलिस अधिकारी जिसे विशेष रूप से निर्देश तथा प्रशिक्षण दिया गया है, को किशोर/बालक कल्याण अधिकारी से पद नामित किया जाए जो किशोरों से व्यवहार करेगा (धारा 63, जे. जे. अधिनियम एवं जे. जे. नियमों का नियम 11)। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी विशेष किशोर पुलिस इकाइयाँ स्थापित हों।
- (घ) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि पद नामित किशोर कल्याण अधिकारियों तथा राज्य किशोर पुलिस इकाइयों के सदस्यों के नामों तथा संपर्क विवरणों की सूची राज्य के प्रत्येक पुलिस थाने में मुख्य रूप से दर्शित हो।
- (च) किशोर न्याय अधिनियम की धारा 62 ए के अंतर्गत प्रत्येक राज्य सरकार एक बाल सुरक्षा इकाई का गठन प्रत्येक राज्य के लिए करेगी तथा प्रत्येक जिले के लिए संरक्षण अथवा देखभाल की आवश्यकता के लिए बालकों से सम्बंधित मामले प्रत्येक जिले में देखेगी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे बाल संरक्षण इकाई की स्थापना हो जाये।
- (छ) बाल अधिकार संरक्षण हेतु आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 17 के अंतर्गत राज्य का यह दायित्व है कि वह राज्य आयोग का गठन करे। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण इसे सुनिश्चित करेगा कि ऐसे आयोग धारा 17 के बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंदर गठित हो तथा प्रभावी रूप से कार्य करें। रि: तमिलनाडू राज्य के अनाथालयों में बच्चों का शोषण बनाम भारत संघ (यूओआई) तथा अन्य, (2014) 25 सीसी 180)
- (ज) बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अंतर्गत राज्य सरकार सम्पूर्ण राज्य अथवा उसके किसी भाग जैसा भी हो, हेतु बाल विवाह रोकने एवं इससे जुड़े मामलों को देखने हेतु एक प्राधिकारी अथवा प्राधिकारी गण जो बाल विवाह निषेध प्राधिकारी कहलायेंगे को नियुक्त करने हेतु अधिकृत की गई है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यदि बाल विवाह निषेध प्राधिकारी नियुक्त नहीं किया गया हो तो बाल विवाह निषेध प्राधिकारी की नियुक्ति के लिए सभी जरूरी कार्यवाही होगी।

10.2 संप्रेक्षण एवं आश्रय गृह

- (क) विधि के साथ संघर्ष में बालक गृह में बंद किये जाते हैं जेल अथवा हवालात में नहीं। ऐसे बालकों हेतु गृहों की दो श्रेणियां होती हैं अर्थात् सम्प्रेक्षण गृह एवं विशेष गृह। ऐसे बालकों के विरुद्ध परिषद द्वारा अन्वेषण विलंबित होने पर वह सम्प्रेक्षण गृह में रखे जाते हैं और इस प्रकार के गृह प्रत्येक जिला अथवा जिला समूह हेतु राज्य सरकार द्वारा स्थापित किये जाते हैं (जे. जे. अधिनियम की धारा सह पठित जे. जे. नियम 16 (1) ।
- (ख) इसी प्रकार, प्रत्येक जिला अथवा जिला समूह में किशोरों को रखने हेतु जांच की समाप्ति के पश्चात दोषी पाए जाने पर बालक एवं बालिकाओं को रखने हेतु विशेष घर बनाए जाएंगे (जे. जे. अधिनियम की धारा 9 सह पठित जे. जे. नियम का नियम 16 (1))।
- (ग) जे.जे. अधिनियम धारा 34 के अंतर्गत, राज्य सरकारें सशक्त बनाई गई हैं कि चाहे वह स्वयं अथवा स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से प्रत्येक जिला अथवा जिला समूह में किशोर गृह बनाए एवं उसकी देखरेख करें जिसमें विलंबित जांच के दौरान देखरेख एवं सुरक्षा की आवश्यकता वाले किशोरों को रखा जाए और जांच के बाद उनकी देख-रेख, ख्याल, शिक्षा, प्रशिक्षण, विकास एवं पुनर्वास किया जाए।
- (घ) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य सरकार अथवा स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा कितनी संस्थाएं अर्थात् किशोर घर, आश्रय गृह एवं सम्प्रेक्ष गृह राज्य में अपराधी किशोरों की देखरेख एवं सुरक्षा हेतु चलाए जा रहे हैं का अद्यतन अभिलेख रखेगा।
- (च) देख-रेख एवं सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों हेतु राज्य सरकार अथवा स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा चलाए जाने वाले ऐसे समस्त घर एवं संस्थाएं जे.जे. अधिनियम की धारा 34 के प्रावधानों सह पठित उपरोक्त अधिनियम की धारा 71 के द्वारा पंजीकृत की जायेंगी।
- (छ) यदि कोई देखरेख एवं सुरक्षा वाले बच्चों हेतु संस्थाएं यदि पंजीकृत नहीं हो तो वह बंद कर दी जायेंगी अथवा राज्य सरकार द्वारा ले ली जायेंगी। रि: तमिलनाडू राज्य के अनाथ आश्रमों में बच्चों का शोषण बनाम भारत संघ (UOI) एवं अन्य (2014) 2 SCC 180)। इस सन्दर्भ में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राज्य सरकार तक मामले को ले जायेगा ताकि अपंजीकृत संस्थाओं के विषय में आवश्यक कार्य किया जा सके।
- (ज) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण इसे सुनिश्चित करेगा कि राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत संप्रेक्षण गृह, आश्रय गृह एवं किशोर देखरेख गृह पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हों ताकि विधि के साथ संघर्ष में बालकों तथा देखरेख एवं सुरक्षा की आवश्यकता वाले बालकों को उनमें रखा जा सके।
- (झ) प्रत्येक राज्य विधिक प्राधिकरण 'संप्रेक्षण एवं किशोर गृह समिति' का गठन करेगा। राज्य के प्रत्येक जिले के पूर्णकालिक सचिव अध्यक्ष के रूप में होंगे तथा एक पैनल अधिवक्ता और परिवीक्षा अधिकारी सदस्य के रूप में होंगे। गठित समिति, जिले में स्थित प्रत्येक घर में माह में कम से कम एक बार अपना भ्रमण करने के बारे में समयावली बनायेगी।

- (न) मुख्य रूप से समिति का कार्य यह देखना होगा कि संप्रेक्षण गृह, विशेष गृह और बाल गृह बाल मित्रतापूर्ण हैं और यह कारागार या हवालात की तरह नहीं हैं और इनमें बेहतर किस्म की देखरेख व सुविधाएँ मौजूद हैं। इनमें स्वच्छता और सफाई, कपड़े और बिस्तर, भोजन और आहार, चिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल, स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ समन्वय व स्वास्थ्य संबंधी अभिलेख संधारण इत्यादि की समस्त सुविधायें मौजूद हैं। यदि समिति द्वारा कुछ भी कमी पाई जाती है तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्बंधित पदाधिकारी के समक्ष उनकी ओर से मामला उठाएगा और आगे की कार्यवाही करेगा।

10.3 विधिक सेवा क्लिनिक

- (क) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राज्य के प्रत्येक जिले में विधिक सेवा क्लिनिक प्रत्येक किशोर न्याय बोर्ड तथा बाल कल्याण समिति में स्थापित करेगा।
- (ख) विधिक सेवा क्लिनिक के खुलने के बारे में तथा सम्बंधित दूरभाष एवं क्लिनिकों के पतों के बारे में समस्त सरकारी निकायों, विभागों जिनमें, पुलिस गैर सरकारी संस्थाएं सम्मिलित हैं, को सूचित किया जायेगा।
- (ग) ऐसे विधिक सेवा क्लिनिकों में पी.एल.वी. संलग्न किये जायेंगे।
- (घ) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राज्य, जिला तथा तालुका सेवा स्तर पर अपने सभी कार्यालयों में दूरभाष नंबर एवं क्लिनिक की अन्य सूचना प्रदर्शित करेगा।
- (च) स्थापित विधिक सेवा क्लिनिक, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (विधिक सहायता क्लिनिक) विनियमन, 2011 में दिए गए उनके कार्यों, आधारभूत सुविधाओं, रिकार्ड और रजिस्टर का रख-रखाव, पैनल अधिवक्तागण का दौरा, अर्धविधिक स्वयंसेवी की प्रतिनियुक्ति तथा ऐसे क्लिनिकों पर नियंत्रण द्वारा शासित किये जायेंगे।
- (छ) समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्राचार्य के समन्वय से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नियंत्रण में जिले के प्रत्येक विद्यालय में विधिक साक्षरता क्लब की स्थापना करेगा।

10.4 विधिक प्रस्तुतिकरण

विधिक प्रावधान

- (क) अधिनियम की धारा 12 (1) (सी) के तहत प्रत्येक बालक जिसे कोई मुकदमा दायर या प्रतिरक्षा करना हो वह निःशुल्क विधिक सेवाओं का हकदार है।

- (ख) परिषद् यह सुनिश्चित करेगा कि समस्त किशोरों को निःशुल्क विधिक सहायता, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक विधिक सेवा संस्थाओं अथवा विश्वविद्यालय विधिक सेवा क्लिनिक द्वारा प्राप्त हैं। (नियम 3. (डी) सहपठित जे जे नियम का 14 (2))
- (ग) जिला बाल संरक्षण इकाई तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में विधिक अधिकारी समस्त किशोरों को निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करेंगे। (जे जे नियम का नियम 14 (3))
- (घ) यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत, विधिक सेवा प्राधिकरण बच्चे के परिवार अथवा अभिभावक को अधिवक्ता प्रदान करेंगे यदि वे विधिक सलाहकार वहन करने में असमर्थ हैं।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका

- (क) कानून की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिवक्तागण का एक प्रशिक्षित और प्रतिबद्ध पैनल गठित करेगा जो कि बच्चों/किशोरों को समस्त मंचों अर्थात् किशोर न्याय परिषदों, बाल कल्याण समितियों में उनका प्रतिनिधित्व करें ताकि उन्हें जमीनी स्तर पर सार्थक तथा प्रभावी विधिक सेवाएँ प्राप्त हो सकें।
- (ख) राज्य सेवा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि बच्चों अथवा किशोरों को दी गई विविध सेवाएँ उच्च कोटि की हों और प्रभावी हों जिसके लिए किशोर न्याय परिषद् एवं बाल कल्याण समिति में सक्षम और समर्पित अधिवक्तागण का पैनल हो ।
- (ग) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पैनल अधिवक्तागण के कार्यों की निगरानी एवं निरीक्षण करेगा और आकस्मिक निरीक्षण का तंत्र तैयार करेगा।
- (घ) पैनल अधिवक्ता को उनका पारिश्रमिक, किये गये कार्य की रिपोर्ट जो किशोर न्याय परिषद अथवा बाल कल्याण समिति जहाँ पर पैनल अधिवक्ता तैनात किया गया हो, द्वारा प्रति हस्ताक्षर के आधार पर दिया जाएगा।
- (च) राज्य विधिक सेवा परिषद, विधिक अधिकारी, पैनल अधिवक्ता तथा किशोर न्याय परिषदों तथा बाल कल्याण समितियों में स्थापित विधिक सेवा क्लिनिक के मध्य प्रभावी समन्वय को सुनिश्चित करेगा ताकि प्रत्येक बालक का कानूनी रूप से प्रतिनिधित्व हो और निःशुल्क विधिक सहायता एवं अन्य आवश्यक समर्थन प्राप्त हो।

10.5 प्रशिक्षण और अभिविन्यास कार्यक्रम

- (क) समस्त राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका (सी) सं. 473/2005 शीर्षक सम्पूर्णा बहुरूआ बनाम भारत संघ व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 12.10.2011 एवं 19.08.2011 के अनुसरण में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक पुलिस थाने से जुड़े पदनामित किशोर/बाल कल्याण अधिकारियों

तथा विशेष किशोर पुलिस इकाई के सदस्यों तथा किशोर न्यायिक संस्थानों की विधिक सेवा के प्रशिक्षण के बारे में पहले से जारी किए गए दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे।

- (ख) प्रत्येक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण संबंधित पुलिस विभाग के प्रमुख से समन्वय बनाकर यह सुनिश्चित करेगा कि विशेष किशोर पुलिस इकाईयों तथा किशोर/बाल कल्याण अधिकारियों की भूमिकाओं, दायित्वों और कार्यों की रूप-रेखा पर निरंतर आदेश जारी किये जाएं। ऐसे निरंतर आदेश किशोर न्याय अधिनियम, किशोर न्याय नियम/उपयुक्त नियम (यदि राज्य सरकार ने अपने किशोर न्याय नियम अधिसूचित किये हैं) तथा शीला बरसे बनाम भारत संघ (1986 स्केल (2) 230 : (1987) 35 SC 50 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर आधारित होंगे। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसे निरंतर आदेशों के आलेखन तथा रचना में सहायता प्रदान करेंगे। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यह भी सुनिश्चित करेगा कि ऐसे निरंतर आदेश स्थानीय भाषाओं में अनुवादित की जाएं तथा समस्त पुलिस थानों में उपलब्ध हो।
- (ग) बच्चों की सेवा करने के लिये कानूनी सेवा की क्षमता और अवधारणों को प्रभावी बनाने के लिये यह आवश्यक है कि विधिक सेवा प्रदाताओं चाहे वह अधिवक्तागण, अर्धविधिक स्वयं सेवी, पुलिस अधिकारी अथवा न्यायिक अधिकारी हों, प्रभावी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि वह बच्चों के साथ कैसे संवाद और व्यवहार करे।
- (घ) बाल विधिक सेवा प्रदाताओं, न्यायिक अधिकारीगण, पैनल अधिवक्तागण, पुलिस अधिकारीगण, किशोर न्याय परिषदों, बाल कल्याण समितियों चाहे वह औपचारिक रूप से विधि में प्रशिक्षित हो या ना हो उन्हें बच्चों के अधिकारों के लिये प्रसांगिक क्षेत्रों में निरंतर प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए।
- (च) जहाँ तक कि संभव हो, मूल विधिक अवधारणाओं तथा उपयुक्त कानूनों, विनयमन एवं नियमों में प्रशिक्षण तथा वकालत में कौशल प्रशिक्षण समस्या आधारित तथा संवादात्मक होनी चाहिए।
- (छ) किशोरों से संबंधित कानून में संवैधानिक प्रावधान, विधान, परियोजना, रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नियम समाविष्ट होने चाहिए। चुनौती यह है कि हम किस प्रकार से यह सूचना सार्थक रूप से उन व्यक्तियों को पहुँचाएँ जो कि जमीनी स्तर पर बच्चों के लिये काम कर रहे हैं इसलिये ऐसे कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण में सभी मुख्य सूचना हो जो कि बच्चों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आवश्यक हो।

10.6 विधिक जागरूकता

- (क) समस्त राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, छोटी पुस्तकें/पत्रों/बच्चों के अधिकारों से संबंधित उपलब्ध योजनाओं की जानकारी युक्त कानूनी सेवा पुस्तिका छापेगा/ छोटी पुस्तिकाएं/पत्रों/

विधिक सेवा पुस्तिका की प्रतियाँ सभी स्वागत कक्षों, विधिक सेवा क्लिनिकों, किशोर न्याय परिषदों, बाल कल्याण समितियों पुलिस थानों आदि में उपलब्ध कराई जाएगी।

- (ख) उपरोक्त विवरण से संबंधित जानकारी दूरदर्शन, आकाशवाणी, समुदाय रेडियो द्वारा फैलाई जाए।
- (ग) समस्त राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण शिक्षा संस्थानों, बाल संरक्षण अधिकार के लिये राज्य आयोग, गैर-सरकारी संस्थाओं आदि के सहयोग से बाल अधिकारों तथा उनके संरक्षण के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाएंगे।
- (घ) स्कूल तथा कालेज के छात्रों में बाल अधिकारों के लिए जागरूकता फैलाने के अन्य साधनों में निबंध प्रतियोगिताएँ, नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिताएँ, पोस्टर बनाने की प्रतियोगिताएँ, चित्रकला प्रतियोगिताएँ तथा वाद-विवाद प्रतियोगिताएँ हैं।
- (ङ.) अर्द्ध-विधिक स्वयंसेवकों को बाल उपयुक्त संदेशों का प्रयोग करते हुए पोस्टरों के वितरण द्वारा एक प्रभावकारी सुगम्य अभियान बनाने के लिए कहा जाएगा।
- (च) प्रत्येक बालक को उसके विधिक सहायता के अधिकार के बारे में सूचित करने के अतिरिक्त, विधिक सशक्तिकरण के लिए सहयोग एवं सहायता पैदा करना तथा विधिक सेवा प्रदाताओं के साथ असरदायक कार्यकारी सम्बन्ध बनाने के लिए समुदायों, जनता और निजी अभिकरणों तक पहुँचाना और इन्हें जोड़ना भी महत्वपूर्ण होगा।
- (छ) विधिक सेवा के जरूरतमंद कई बच्चे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। परिणाम स्वरूप बच्चों का, जहाँ वह रहते हैं, विधिक सेवाओं तक शारीरिक रूप से पहुँचना अक्सर असंभव लगता है। इस बाधा को दूर करने के लिए, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उसी जगह पर बच्चों को कई विधिक सेवाएँ प्रदान करने हेतु मोबाइल क्लिनिक और एकल केंद्र कार्यक्रम सहित कुछ कदम उठाएगा।
- (ज) बचपन बचाओ आन्दोलन बनाम भारत सरकार के निर्देशों के अनुसरण में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शुरुआती साक्षात्कार एवं जांचों को संचालित करने हेतु, परामर्श देने और बच्चों एवं उनके परिवार के बीच में कड़ी के रूप में काम करने हेतु प्रत्येक पुलिस स्टेशन में नियुक्त अर्द्ध-विधिक स्वयंसेवकों की सेवाएँ लेंगे।
- (झ) प्रत्येक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राज्य सरकार के साथ मामलों पर चर्चा करेगी ताकि सभी स्कूलों के पाठ्यक्रम में बाल अधिकारों को सम्मिलित किया जा सके, जिससे बच्चे अपने अधिकारों को जान सकेंगे।

- (रू) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357I एवं राज्य की कोई भी पीड़ित मुआवजा योजना में जुड़ गए नए प्रावधानों की जानकारी की जागरूकता का प्रसार करेगी ताकि बच्चों को तत्काल मुआवजा उपलब्ध हो सके।
- (ट) प्रत्येक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विधिक सेवाओं पर निर्देशिका विकसित करेगी जो सभी मुख्य हिस्सेदारों पर तुरंत उपलब्ध होगी।
- (ठ) प्रत्येक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बच्चों के शिक्षा अधिकारों सहित अभिवावकों द्वारा अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के मौलिक कर्तव्यों के विषय में सभी स्तरों पर गहन विधिक जागरूकता अभियानों को आयोजित करेगी।
- (ड) बच्चों हेतु गैर-संस्थागत सेवाएँ जैसे गोद लेना, आर्थिक संरक्षण एवं पालन-पोषण आदि की उपलब्धता के बारे में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है।
- (ढ) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उन स्वयंसेवी संस्थाओं को आधिकारिक मान्यता प्रदान करने का प्रयत्न करेगा, जिनके पास विश्वसनीय प्रत्यय-पत्र होंगे एवं वह उन मामलों में लिप्त होंगे जिनमें बच्चों को देखभाल और संरक्षण की जरूरत है।
- (ण) बाल श्रम की समस्या को खत्म एवं संविधान के जनादेश की प्रभावोत्पादकता हेतु, भारतीय उच्चतम न्यायालय ने एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडू राज्य प्रतिवेदित (1996) 6 SCC 756 में अत्यधिक संख्या में आवश्यक निर्देश प्रदान किये हैं। उन निर्देशों में से एक महत्वपूर्ण निर्देश था जिसके अंतर्गत नियोजक को बालश्रम (निषेध एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1986 के उल्लंघन में 14 वर्ष से कम के बालक को खतरनाक कार्य में लगाने पर रु. 20,000/- का मुआवजा देना है। समुचित सरकार को ऐसे प्रत्येक बच्चे को जो खतरनाक काम में कार्यरत है, रू. 5,000/- अनुदान के रूप में देने के निर्देश दिये गये थे। उपरोक्त कथित रकम रू.25,000/- को कोष में जमा करना होगा जो कि बालश्रम-पुनर्वास सह-कल्याण कोष के नाम से जाना जाता है और ऐसे कोष की राशि, मुक्त कराएगा ये बच्चों के पुनर्वास में प्रयोग होगी। सभी विधिक सेवा प्राधिकरण, पुलिस, श्रम विभाग एवं अन्य सम्बंधित प्राधिकरणों से उपरोक्त निर्देशों के पालन एवं मामले की आगे की कार्यवाहियों हेतु समन्वय करेंगे।

11. आंकड़ा संचय

समस्त राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास बाल कल्याण एवं संरक्षण के लिए मौजूद केंद्रीय अथवा राज्य परियोजनाएं, नीतियां, विनियमन, एस.ओ.पी, पुलिस निर्देशिका, सम्मलेन, नियम, घोषणाएँ, टिप्पणियों एवं रिपोर्ट आदि का आंकड़ा संचय होगा ताकि इसको जब भी अपेक्षित हो, विधिक जागरूकता एवं किशोरों को विधिक सहायता प्रदान करने हेतु उपयोग में लाया जा सके।

नालसा (मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से
विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015

नालसा (मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015

पृष्ठभूमि

अशक्ता से ग्रस्त व्यक्तियों को विशेषतः मानसिक बीमारी और मनोबधिता जैसे अन्य अवरोधों से जूझने वालों को प्राधिकरण द्वारा वह देखरेख नहीं मिल पाती जो कि उन्हें मिलनी चाहिए। उन्हें अलग रखा जाता है और उनको केवल 'समाज कल्याण' के पितृ सुलभ नजरिये से देखा जाता है जो उन्हें केवल उन लोगों के रूप में दर्शाता है जिन्हें राज्य एवं समाज द्वारा विशेष सुरक्षा की आवश्यकता है। अशक्त व्यक्तियों के अधिकार (सी.आर.पी.डी) 2008 के संयुक्त राष्ट्र करार पर भारत एक हस्ताक्षरी है और तबसे हमारा देश इस करार के अनुसमर्थन में है, यह हमारे विधिक तंत्र के लिए अनिवार्य है कि वह सुनिश्चित करे कि अशक्ताग्रस्त व्यक्तियों (मानसिक रूप से अस्वस्थ एवं मानसिक रूप से अशक्त व्यक्तियों सहित) अपने मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता को अन्य लोगों के साथ समानता के आधार पर उपभोग कर पा रहे हैं और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उन्हें विधि के समक्ष समान मान्यता और विधि से समान रक्षा मिले। इसके आगे यह करार हमसे यह भी चाहता है कि अशक्त व्यक्तियों को अन्य लोगों के साथ बराबरी के आधार पर न्याय तक प्रभावशाली अभिगमन मिलें।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के तहत वह व्यक्ति जिन्हें अशक्त व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों की रक्षा और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 के तहत परिभाषित किया गया है और जिन्हें मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 की धारा 2 के खंड (Q) के अर्थ में मनोचिकित्सक अस्पताल अथवा मनोचिकित्सक नर्सिंग होम में रखा गया है, विधिक सेवाओं के हकदार हैं। इसलिए नालसा (NALSA) ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 4(b) के अंतर्गत अशक्त अपने अधिकार से मानसिक रोगी और मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों को प्रभावशाली विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए वर्ष 2010 में एक योजना बनाई थी।

हालाँकि, योजना सबसे पहले 2010 में शुरू हुई थी, परन्तु सभी राज्यों द्वारा प्राप्त कार्यान्वयन रिपोर्टों से यह लगता है कि इन उपेक्षित व्यक्तियों को न्याय तक पहुँचने के लिए सक्षम करने वाले राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण /विधिक सेवा संस्थाओं द्वारा प्रदान करने वाली सेवाओं को मजबूत करने के लिए उनका पुनरावलोकन करने की आवश्यकता है। यहाँ इन लोगों तक पहुँचने के लिए अग्र सक्रिय रूप से अभिगमन की अत्यंत आवश्यकता है। अब तक विधिक सेवा संस्थान सिर्फ उन तक पहुँचे मामलों में ही सहायता प्रदान कर रही है फिर भी, न्यायालय सम्बंधी गतिविधियों में अब भी बहुत कुछ करना बाकी है।

इसी पृष्ठभूमि में मानसिक रूप से अस्वस्थ एवं मानसिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के लिए विधिक सेवा की नई योजना 'नालसा (मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015' बनाई गई है।

उद्देश्य

इस योजना में नये मार्गदर्शन सम्मिलित है जिनका पालन विधिक सेवा संस्थानों (राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुक विधिक सेवा समितियों, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति) द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ तथा मानसिक रूप से अशक्त व्यक्तियों को विधिक सेवाएं देते समय किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ अथवा मानसिक अशक्ता से ग्रस्त व्यक्ति कर्लकित लोग नहीं है और उनके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसा किसी अन्य व्यक्ति से, जिसे उसके हक के सभी अधिकारों को प्रवृत्त करने में सहायता मिलती है और जैसाकि उन्हें विधि द्वारा आश्वासित किया गया है।

अर्द्ध-विधिक स्वयंसेवी, विधिक सेवा क्लिनिक, फ्रंट ऑफिस, पैनल अधिवक्ता और प्रतिधारक अधिवक्ता जैसे शब्दों का अर्थ वही रहेगा जैसा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क और सक्षम विधि) विनियमन, 2010 और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (विधिक सहायता क्लिनिक) विनियमन, 2011 नालसा की पैरा लीगल वालंटियर्स (संशोधित) योजना- पैरा लीगल वालंटियर्स प्रशिक्षण मॉड्यूल के तहत परिभाषित हैं।

भाग - 1

सिद्धान्त

मानसिक रूप से अस्वस्थ अथवा मानसिक अशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते हुए, विधिक सेवा संस्थानों को निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखना चाहिए :-

1. मानसिक बीमारी साध्य है:-

विधिक सेवा संस्थानों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मानसिक बीमारी उचित दवाई एवं देखरेख के साथ साध्य है।

2. मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्ति, मानसिक बीमार व्यक्ति नहीं हैं:-

मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्ति, मानसिक अशक्तता के विकासात्मक विकारों के कारण पीड़ित है। मानसिक विकास में कमी (एम.आर) की प्रकृति स्थाई होती है और यह साध्य नहीं है। ठीक इसी तरह स्वलीनता (आटिज्म) और दिमागी पक्षाघात। यह सब, इसीलिए अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों की रक्षा एवं पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 (अशक्तताग्रस्त

व्यक्ति अधिनियम) धारा 2 के तहत अशक्तताग्रस्त व्यक्ति माने जाते हैं। मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु संवैधानिक प्रावधान हैं (i) अशक्तताग्रस्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 और (ii) स्वपरायणता (आटिज्म), प्रमस्तिक घात, मानसिक मन्दता और बहु-विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999

3. मानसिक रूप से बीमार और मानसिक अशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति सभी मानवीय अधिकार और मौलिक स्वतंत्रता के हकदार हैं :-

मानसिक रूप से बीमार और मानसिक अशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों को विधिक सेवाएं देते समय, विधिक सेवा संस्थान का यह मुख्य सरोकार होना चाहिए कि इन व्यक्तियों के मानवीय अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता को प्रोत्साहित एवं रक्षित किया जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि वह अपने मानवीय अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता का पूर्ण और समान आनंद ले सकें।

4. मानसिकरूप से बीमार और मानसिक अशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों की जन्मसिद्ध गरिमा के लिए सम्मान :-

विधिक सेवा संस्थान को मानसिक बीमार और मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों की जन्मसिद्ध गरिमा, वैयक्तिक स्वायत्तता सहित स्वतंत्रता के सम्मान को बढ़वा देना चाहिए।

5. गैर पक्षपात-

विधिक सेवा संस्थानों को मानसिक रूप से बीमार तथा मानसिक अशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के साथ मात्र उनकी मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति के कारण भेद-भाव नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके साथ अत्यंत संवेदनशीलता और देखभाल के साथ व्यवहार करना चाहिए।

6. पर्याप्त आवास :-

विधिक सेवा संस्थानों को ऐसे प्रावधानों को बनाना चाहिए जो मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के लिए पर्याप्त आवास और उनको प्रदत्त किसी भी योजना, कार्यक्रम, सुविधा अथवा सेवा तक समान अभिगमन को सुनिश्चित करें।

7. मानसिक बीमार व्यक्तियों का उपचार प्राप्त करने का अधिकार :-

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से उत्पन्न उपचार एवं उचित स्वास्थ्य की देखरेख का अधिकार सभी मानसिक बीमार व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है। मानसिक बीमार व्यक्तियों को जानकारी के अभाव के कारण या अंधविश्वास अथवा साधनों के अभाव अथवा कलंक इत्यादि से उपजे अवैध परिरोधा के कारण उपचार प्राप्त करने में वंचित रह जाते हैं। इसलिए विधिक सेवा संस्थानों को सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे

व्यक्ति, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के अध्याय-IV में लागू प्रावधानों के माध्यम से मनोचिकित्सक अस्पतालों अथवा मनोचिकित्सक नर्सिंग होम में उपचार की उपलब्ध सुविधाओं तक सुगमतापूर्वक अभिगमन कर सकें।

8. उपचार हेतु संसूचित सहमति :-

विधिक सेवा संस्थानों को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति मानसिक बीमारी के उपचार के अधीन हो, तो उसकी संसूचित सहमति प्राप्त कर लें। यदि कोई व्यक्ति ऐसी सहमति देने में असक्षम है तो उसके रिश्तेदारों या मित्रों की संसूचित सहमति होनी चाहिए और इनकी अनुपस्थिति में, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के अध्याय V के भाग-II के तहत न्यायालय की संतुष्टि को सुनिश्चित कर लेना चाहिए।

9. मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के शोषण और उत्पीड़न की रोकथाम :-

मानसिक अशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों में खास तौर पर मानसिक अशक्तता से ग्रस्त महिलायें ऐसे अति संवेदनशील समूह हैं जिनका शोषण संभवतः अधिक होता है। इसलिए विधिक सेवा संस्थानों को मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों को उनके यौन उत्पीड़न सहित शोषण की रोकथाम करने में सहायता करनी चाहिए और दुर्व्यवहारियों एवं शोषकों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी करनी चाहिए।

मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्ति और मानसिक बीमार व्यक्ति सामान्यतः अपनी मानसिक दशा की चुनौती के कारण सूचना का लाभकारी ढंग से उपयोग नहीं कर पाते। इसलिए उन्हें सर्वोत्कृष्ट विधिक साक्षरता प्रदान नहीं की जा सकती जो उन्हें न्याय प्राप्त करने में सशक्त बनाये। इसलिए, विधिक सेवा संस्थानों को विधि के सम्बन्ध में, उनकी क्षमताओं और आवश्यकताओं को, सामूहिकता के साथ-साथ वैयक्तिक आधार पर मूल्यांकन तथा परीक्षण करना चाहिए और ऐसी जरूरतों को विधिक सेवा देकर पूरा करना चाहिए।

भाग-II

मनोचिकित्सक भवनों, अस्पतालों एवं अन्य ऐसे ही समान जगहों और कारागारों में मानसिक बीमार तथा मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों को विधिक सेवा :

मानसिक बीमार और मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों को 'गैर-अपराधी पागलों' के शीर्ष के तहत कारागारों में रखा जाता था। माननीय भारतीय उच्चतम न्यायालय ने (फौजदारी याचिका सं.237/1989) शीर्षक 'शीला बरसे बनाम भारत सरकार एवं अन्य' में अपने निर्देशों द्वारा इस प्रथा को अवमानित किया और आदेश सुनाया कि 'गैर-अपराधी' मानसिक बीमार व्यक्तियों को कारागारों में कैद करना अवैध और असंवैधानिक है। माननीय भारतीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी घोषणा की कि अबसे केवल न्यायिक दण्डाधिकारी ही किसी व्यक्ति को, जो मानसिक बीमार है, उपचार

हेतु सुरक्षित अभिरक्षा में भेज सकेंगे, कोई कार्यपालक दण्डाधिकारी नहीं। न्यायिक दण्डाधिकारी को ऐसा करने के लिए सबसे पहले किसी व्यासायिक अथवा मनोचिकित्सक से सलाह मांगनी पड़ेगी। न्यायिक दण्डाधिकारी को यह भी चाहिए कि वह माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, माननीय उच्च न्यायालय को उन मामलों के संबंध में त्रैमासिक रिपोर्ट भेजें जिनमें जाँच पश्चात् ऐसे व्यक्तियों को सुरक्षित अभिरक्षा की जगहों पर भेजने तथा उसके बाद आगे पहल करने संबंधी कार्यवाही की गयी हो।

भारत के उच्चतम न्यायालय ने प्रकरणों के अभिलेखों को प्रत्येक उच्च न्यायालय में इस अनुरोधके साथ स्थानांतरित कर दिया है कि उच्च न्यायालय अभिलेखों को जनहित याचिका के रूप में दर्ज करेंगे, जिसमें उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति को याचिकाकर्ता के रूप में मानेंगे, जिससे उच्च न्यायालय को भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों और आदेशों एवं उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के मामलों में अनुवीक्षण एवं अनुपालन में सहायता होगी।

भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करने हेतु, निम्नलिखित कदम उठाने की आवश्यकता है :-

कारागारों में :-

- ▶ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को सबसे पहले सुनिश्चित करना चाहिए कि जनहित याचिका उच्च न्यायालय में दर्ज हो और एक माननीय न्यायाधीश को मामले के निपटान के लिए मनोनीत करना चाहिए, जैसे कि भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित है।
- ▶ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सभी कारागारों में राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण (एस.एम.एच.ए) अथवा उच्च न्यायालय द्वारा गठित कोई भी अन्य दल की सहायता के साथ निरीक्षण करेंगे अथवा उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत यह भी सुनिश्चित करेंगे कि क्या कारागारों में कोई मानसिक बीमार और मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्ति है और यदि हैं, तो उनके स्थानांतरण और उनके उपचार से सम्बंधित उच्च न्यायालय से तत्काल उचित निर्देश लेंगे।
- ▶ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण (एस.एम.एच.ए) के साथ समन्वय करके मनोवैज्ञानिकों/मनोचिकित्सकों/परामर्शदाताओं का एक दल गठित कर कारागारों में दौरा करेंगे और कैदियों की मानसिक स्वास्थ्य की हालत की जाँच करेंगे। दल द्वारा आवश्यक जाँच के आधार पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, कैदियों के मनोवैज्ञानिकों अथवा मनोचिकित्सकों द्वारा उपचार को सुगम करने हेतु आवश्यक संशोधनात्मक कदम उठाएंगे।
- ▶ न्यायिक दण्डाधिकारी को यह भी चाहिए कि वह माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, माननीय उच्च न्यायालय को उन मामलों के संबंध में त्रैमासिक रिपोर्ट भेजें

जिनमे जाँच पश्चात् ऐसे व्यक्तियों को सुरक्षित अभिरक्षा की जगहों पर भेजने तथा उसके बाद आगे पहल करने संबंधी कार्यवाही की गयी हो। ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को दी जायेगी, तब उस पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कथित त्रैमासिक रिपोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय के मनोनीत न्यायाधीश के ध्यान में लायी जाये और इस तरह उनसे सामान्य प्रकृति के मामलों में अथवा किसी विशिष्ट व्यक्ति के मामले में अथवा विवादों के सम्बंध में यथावश्यक निर्देश तथा आदेश प्राप्त किया जाये। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसा कोई भी आदेश अथवा निर्देश जारी होने की स्थिति में, सम्बंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण को आवश्यक सहायता प्रदाय हेतु व उसके परिपालन का अनुवीक्षण सुनिश्चित करने हेतु अधिसूचित करेगा, और ऐसे किसी भी आदेश या निर्देश के परिपालन में होने वाली अवमानना को मनोनीत न्यायाधीश के ध्यान में लाएगा।

मनोचिकित्सक अस्पताल, भवन और सुविधाएँ :

- ▶ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 37 के तहत, उच्च न्यायालय को, राज्य सरकार अथवा निजी संस्था द्वारा चालित, सभी मनोचिकित्सक अस्पतालों, भवनों एवं ऐसे ही सुविधा केन्द्रों में, आगुन्तक बोर्ड का गठन करने के लिए अनुरोध करेगा जिसमे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव/पूर्णकालिक सचिव भी सदस्य होंगे। आगुन्तक बोर्ड को इन जगहों का नियमित दौरा कर के इन सुविधा केन्द्रों, भवनों या अस्पतालों में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन परिस्थितियों का मूल्यांकन करना होगा।
- ▶ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/आगुन्तक बोर्ड को इन अस्पतालों, भवनों एवं सुविधा केन्द्रों के रोगियों का पुनर्विलोकन करना चाहिए कि क्या यहाँ ऐसे उपचारित व्यक्ति हैं, जिन्हें उनके परिवार वाले वापस घर ले जाने के अनिच्छुक हैं अथवा वह खुद अपने परिवार से संपर्क नहीं कर पा रहे है। जब भी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा आगुन्तक बोर्ड ऐसे रोगियों का पता लगाएं, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण /जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को इनके प्रत्यावर्तन हेतु सभी कदम उठाने चाहिए, जिसमे उपचारित व्यक्ति का अपने परिवार के साथ प्रत्यावर्तन हेतु न्यायालय से आदेश लेने में विधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना भी शामिल होगा।
- ▶ विधिक सेवा संस्थान, ऐसे मनोचिकित्सक अस्पतालों, भवनों या सुविधा केन्द्रों का दौरा करते समय रोगियों, चिकित्सकों और स्टाफ के साथ बातचीत करते हुए सुनिश्चित करेंगे कि क्या यहाँ पर कोई ऐसे व्यक्ति भी है जो बल पूर्ण दाखिले के पीड़ित है। ऐसे मामलों

में, ऐसे व्यक्तियों को मनोचिकित्सक अस्पतालों या भवनों या सुविधा केन्द्रों से उनकी रिहाई हेतु विधिक सेवाएँ प्रदान की जायेगी।

- ▶ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को मनोचिकित्सक अस्पतालों, भवनों और सुविधा केन्द्रों में, मानसिक बीमार/मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों और उनके परिवार वालों को मानसिक बीमार और मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों से सम्बंधित विधिक विषयों पर विधिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से विधिक सेवा क्लीनिक को स्थापित करना चाहिए।
- ▶ ऐसे विधिक सेवा क्लीनिक को अर्द्धविधिक स्वयंसेवकों एवं पैनल अधिवक्ताओं द्वारा संचालित किया जाना चाहिए जो ऐसे विषयों तथा व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील हो।
- ▶ मानसिक स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में चिकित्सको, नर्सों एवं अन्य अर्द्ध चिकित्सा कर्मियों/प्रशासनिक स्टाफ को अर्द्ध-विधिक स्वयंसेवी के रूप में प्रशिक्षित करना उचित रहेगा ताकि मानसिक बीमार, मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए बेहतर विधिक सेवाएँ प्रदान की जा सकें।
- ▶ क्लिनिकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि मानसिक बीमार और मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के लिए निर्मित भवनों में उनको अपने जीवन-यापन तथा धनार्जन में सहायता या खुद को आत्मनिर्भर बनाने हेतु उचित कौशल को सिखने के उचित सुविधाएँ मिलें। विधिक सेवासंस्थान, यथावश्यक, सरकार अथवा उच्च न्यायालय के पास भी, ऐसी सुविधाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित कराने हेतु उचित निर्देशों के लिए जा सकते हैं।
- ▶ विधिक सेवा संस्थानों को चाहिये कि वह मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों को स्वलीनता, दिमागी पक्षाघात, मानसिक गति में कमी और बहु अशक्तताग्रस्त व्यक्ति के संबंध में गठित राष्ट्रीय कल्याण ट्रस्ट के साथ जोड़ें ताकि 'स्वलीनता, दिमागी पक्षाघात, मानसिक गति में कमी और बहु अशक्तताग्रस्त व्यक्ति के लिए, राष्ट्रीय कल्याण ट्रस्ट अधिनियम, 1999' के तहत मिलने वाली सुविधाएँ, इन व्यक्तियों तथा इनके परिवार जनों को मिल सकें।
- ▶ विधिक सेवा संस्थान को मानसिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्र के अर्द्ध-विधिक स्वयंसेवकों और अर्द्ध-चिकित्साकर्मियों/प्रशासनिक स्टाफ और चिकित्सकों के माध्यम से रोगियों के रिश्तेदारों तथा घर की पहचान करने में संलिप्त होना चाहिए, जिसके संबंध में तत्प्रकार के रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है और विभिन्न विधिक सेवा संस्थानों द्वारा ऐसे रोगियों के रिश्तेदारों से सम्पर्क स्थापित कर ऐसे रोगियों को उनके अपने लोगों तक पहुँचाने की सुविधा दिलाने हेतु उचित कदम उठाये जाने चाहिए।
- ▶ वह रोगी जो मानसिक स्वास्थ्य केन्द्रों, भवनों और सुविधा केन्द्रों में रहते हैं, जो अपने मूल निवास एवं घर से दूर है, को उनके मूल निवास के निकट मानसिक स्वास्थ्य केन्द्रों, भवनों

और सुविधा केन्द्रों में स्थानांतरण हेतु विधिक सहायता प्रदान करानी चाहिए। यह कार्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की संलिप्तता के साथ होना चाहिए।

बेसहारा, बेघर और निःसहाय मानसिक बीमार तथा मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों को विधिक सहायता

मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987, की धारा 23 के तहत किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी अपने थाने की सीमा के भीतर किसी भी आवारा मानसिक बीमार व्यक्ति अथवा किसी भी खतरनाक मानसिक बीमार व्यक्ति को पकड़ अथवा पकड़वा सकते हैं और तब ऐसे व्यक्ति धारा 24 के तहत दंडाधिकारी के समक्ष कथित व्यक्ति की कैद को प्राधिकृत करने हेतु ग्रहण आदेश प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किये जायेंगे ताकि उसे किसी मनोचिकित्सक अस्पताल अथवा मनोचिकित्सक नर्सिंग होम में उपचार हेतु दाखिला मिल सके।

इसी तरह, धारा 25 के तहत, यदि किसी पुलिस अधिकारी अथवा किसी निजी व्यक्ति को यह इस बात का पूर्ण विश्वास है कि उसके थाने या निवास की सीमाओं के भीतर किसी मानसिक बीमार व्यक्ति को उचित देखरेख तथा सुरक्षा नहीं मिल पा रही है अथवा उसे उसके रिश्तेदारों या अन्य व्यक्तियों के द्वारा जिनके पास ऐसे मानसिक बीमार व्यक्ति का प्रभार हो, द्वारा बुरा व्यवहार या उपेक्षा की जा रही है, तो वह इस मामले को दण्डाधिकारी के समक्ष रिपोर्ट कर सकते हैं। दण्डाधिकारी ग्रहण आदेश अथवा उस व्यक्ति को दंड देने का आदेश दे सकते हैं जो मानसिक बीमार व्यक्ति की उपेक्षा के लिए जिम्मेदार है।

बेघर अथवा निःसहाय मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्ति के मामले में सामान्यता, किसी पंजीकृत संगठन जैसा कि स्वपरायणता (आटिज्म), प्रमस्तिक घात, मानसिक मन्दता और बहु-विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 एवं नियम तथा विनियमनों के तहत पंजीकृत संगठन द्वारा विधित स्थानीय स्तर को द्वारा रिपोर्ट किया जा सकता है। यह स्थानीय स्तर समिति ही है, जो उपेक्षित अथवा निःसहाय मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों की देखरेख हेतु उचित निर्देशों को पारित करेगी।

विधिक सेवा संस्थानों द्वारा लिए जाने वाले कदम

- ▶ विधिक सेवा संस्थानों को मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 की धारा 24 या 25 के तहत मानसिक बीमार व्यक्ति के सर्वश्रेष्ठ हितों का प्रतिनिधित्व करते हुए उसे पेश करने में सक्षम संवेदक तथा संवेदनशील विधिक सेवा अधिवक्ताओं का पैनल तैयार करना चाहिए जो दण्डाधिकारी को मानसिक बीमार व्यक्ति के कल्याण हेतु आदेश देते समय सहायता प्रदान कर सके।

- ▶ विधिक सेवा संस्थानों को पुलिस थानों में नियुक्त अपने अर्द्ध-विधिक स्वयंसेवकों द्वारा पुलिस को, मानसिक बीमार व्यक्तियों जो उपेक्षित, आवारा या निस्सहाय है, राष्ट्रीय कल्याण ट्रस्ट (स्वलीनता, दिमागी पक्षाघात, मानसिक गति में कमी और बहु विकलांग) अधिनियम, 1999 की धारा 13 के तहत स्थापित स्थानीय स्तर समिति को सुपुर्द करने में सहायता करनी चाहिए, ताकि मानसिक बीमार व्यक्ति के देखरेख, स्वास्थ्य-लाभ, व्यक्तिगत या संस्थागत संरक्षक की नियुक्ति जैसे इंतजामों को सुनिश्चित किया जा सकें।
- ▶ विधिक सेवा संस्थानों को मानसिक स्वास्थ्य अधिकारियों सहित चिकित्सकों, पुलिस अधिकारियों तथा न्यायिक दंडाधिकारियों के साथ जो कि स्थानीय सहायक प्रक्रिया को विकसित करने वाली अपेक्षित कार्यवाहियों में काम कर रहे हैं, मिलकर संवेदनशील कार्यक्रमों को तैयार करना चाहिए ताकि आवारा, मानसिक बीमार व्यक्तियों को पहचाना जा सकें और प्रत्येक मामले में उनके मानवीय अधिकारों हेतु उचित न्यायिक आदेशों को यथावश्यक प्राप्त किया जा सके।

न्यायालयीन कार्यवाहियों के दौरान मानसिक बीमार और मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों को विधिक सहायता

मानसिक बीमार तथा मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के अधिकारों को शासित करने हेतु दो अधिनियम हैं, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 और राष्ट्रीय कल्याण ट्रस्ट (स्वलीनता, दिमागी पक्षाघात, मानसिक गति में कमी और बहु अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों हेतु) अधिनियम 1999 दोनों अधिनियम दण्डाधिकारी अथवा स्थानीय स्तर समिति, जैसा भी मामला हो, द्वारा उचित आदेशों के पारित होने के पूर्व सुनवाई की अपरिहार्यता निरूपित करते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि विधिक सेवा संस्थान इनमें अपने अर्द्ध -विधिक स्वयंसेवकों अथवा पैनल अधिवक्ताओं के माध्यम से सहभागिता अवश्य करें।

- ▶ यह विधिक सेवा संस्थान का कर्तव्य होगा कि वह न्यायालय में, जहाँ मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 की धारा 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, या 28 के तहत ग्रहण आदेशों अथवा विचार करने हेतु कोई आवेदन डाला गया हो, में अपना प्रतिधारक / पैनल अधिवक्ता नियुक्त करे।
- ▶ विधिक सेवा संस्थान, सभी मामलों में ऐसे मानसिक रोगियों के हितों की रक्षा के लिए संबंधित दण्डाधिकारी से आवेदन कर सकते हैं जिनके संबंध में ग्रहण अथवा उन्मोचन आदेश हेतु आवेदन दिया गया हो और जिस पर दण्डाधिकारी, विधिक सेवा संस्थान को नोटिस दिये जाने संबंधी आवेदनों पर कार्यवाही कर रहा हो।

- ▶ प्रतिधारक/पैनल अधिवक्ता, उन कथित मानसिक बीमार व्यक्तियों की दशा को सुनिश्चित करते हुए उसके रिश्तेदारों, मनोचिकित्सक अस्पतालों अथवा मनोचिकित्सक नर्सिंगहोम या किसी अन्य सक्षम व्यक्ति के साथ संपर्क रखते हुए उनकी परिस्थितियों के विवरण को जुटाएंगे, जिनके लिए न्यायालय में ग्रहण / रिहाई आदेश के आवेदन को डाला गया है। ताकि उचित आदेश प्राप्त हो सके।
- ▶ स्थानीय अधिकारिता रखने वाले विधिक सेवा संस्थान मानसिक बीमार व्यक्तियों की एक सूची रखेंगे जिनके लिए न्यायालयों से ग्रहण आदेश पारित हुए हैं और संस्थान उन मानसिक बीमार व्यक्तियों का उन मनोचिकित्सक अस्पतालों अथवा मनोचिकित्सक नर्सिंग होम्स जहाँ के लिए उन व्यक्तियों के निरूद्ध आदेश है, में उनके उपचार के विकास का भी अनुवीक्षण करेंगे।
- ▶ विधिक सेवा संस्थान सम्बंधित दंडाधिकारी का ध्यान, ऐसे मानसिक रोगी की ओर आकर्षित करेंगे जिसे ग्रहण आदेश के अनुसार मनोचिकित्सक अस्पतालों अथवा मनोचिकित्सक नर्सिंग होम्स में भेजा गया है और जो उपचार पश्चात् भी वहीं निरूद्ध है।
- ▶ विधिक सेवा संस्थान, अपने अर्द्ध-विधिक स्वयंसेवकों / पैनल / प्रतिधारक अधिवक्ताओं के माध्यम से, उपचारित स्वैच्छिक रोगियों की, धारा 18 के तहत अथवा किसी अस्वैच्छिक रोगी की मदद धारा 19 के तहत रिहाई के मदद आवेदन संस्थित करने में करेंगे।
- ▶ विधिक सेवा संस्थान, अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत क्लिनिक अथवा आगुन्तक बोर्ड के भाग रूप के माध्यम से मानसिक बीमार व्यक्तियों के दाखिलों का पता लगाते रहेंगे ताकि पता लगाया जा सके कि प्रारंभिक 90 दिनों से अधिक की रोक केवल न्यायालय के आदेशों के कारण ही हुई हैं।
- ▶ सभी विधिक सेवा संस्थान, अधिनियम की धारा 20 के तहत, सभी मामलों पर यह भी नजर रखेंगे ताकि कोई भी उपचारित रोगी मनोचिकित्सक अस्पताल, भवन या सुविधा केन्द्रों में चूक से भी न रह जाए। संस्थान को रोगी के ठीक होते ही उसकी रिहाई के लिए आवेदन डाल देना चाहिए।
- ▶ विधिक सेवा संस्थान, अधिनियम की धारा 23 सह पठित धारा 25 के तहत, आवारा अथवा निसहाय मानसिक बीमार व्यक्तियों के मामलों पर नजर रखेंगे ताकि अधिनियम की धारा 28 के तहत दण्डाधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को देखरेख में रखने की आवश्यकता का 10 दिन में पुनर्विलोकन सख्ती से किया जाए तथा ऐसा कोई भी व्यक्ति समय से ज्यादा निरूद्ध न किया जाए जिसे अधिनियम की धारा 24 (2) (a) के तहत मानसिक बीमारी का प्रमाण-पत्र जारी किया जाना है।

- ▶ विधिक सेवा संस्थाएँ अपने विधिक सेवा क्लिनिक और अर्द्ध-विधिक स्वयंसेवी तथा पैनल / प्रतिधारक अधिवक्ता के माध्यम से रोगियों के डिस्चार्ज का ट्रैक रखेंगी और जब भी आवश्यक हो रोगी की तरफ से प्रभारी चिकित्सीय अधिकारी अथवा गृहण आदेश पारित करने वाले न्यायलय के समक्ष आवेदन पत्र देने में सहयोग और सहायता करेंगे।
- ▶ अधिनियम की धारा 45 और 46 के अंतर्गत किये गये प्रावधान के अनुसार अनुपस्थिति की अनुमति प्राप्त करने में विधिक सेवा क्लिनिक और अर्द्ध-विधिक स्वयंसेवी तथा पैनल/प्रतिधारण अधिवक्तागण भर्ती रोगियों को सहायता प्रदान करेंगे। अधिनियम की धारा 49 के अंतर्गत किये गये प्रावधान के अनुसार अपील फाइल करने में भी उन्हें सहयोग करना चाहिए।
- ▶ विधिक सेवा संस्थाएँ मनोबाधित व्यक्तियों के हितों की सुरक्षा हेतु अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत न्यायिक जांच कार्यवाही में भी शामिल होंगी। जिला न्यायाधीश से आवश्यक रूप से अनुरोध करेगी कि जब भी इनके समक्ष धारा 50 के अंतर्गत कोई आवेदन आये तो यह विधिक सेवा संस्थान को नोटिस जारी करें।
- ▶ जब किसी कथित मनोबाधित व्यक्ति के पास संपत्ति हो और मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (1) के खंड (ए) से (डी) तक में उल्लिखित कोई भी व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के अध्याय VI के अंतर्गत न्यायिक जांच कराने हेतु आवेदन के साथ आगे नहीं आ रहा हो तो विधिक सेवा संस्थाएँ कथित मनोबाधित व्यक्तियों की मानसिक स्थिति, उनकी व्यक्तिगत अभिरक्षा और उनकी संपत्ति के प्रबंध के विषय में न्यायिक जाँच कराने हेतु उचित कदम उठाएंगी। इस प्रयोजन हेतु विधिक सेवा संस्थाएँ मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 की धारा 50 की उप-धारा (1) के खंड (क) से (घ) में निर्देशित उन लोगो में से किसी एक से लिखित रूप में संबंध स्थापित करेंगी और इस मामले को अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (1) के खंड (घ) की दृष्टि में संबंधित जिले के कलक्टर अथवा राज्य के महाधिवक्ता के पास ले जायेंगी। विधिक सेवा संस्थाएँ उपरोक्त प्रकार के मामलों में संलिप्त ऐसे मनोबाधित व्यक्तियों को यथोचित प्रभावी सहयोग के माध्यम से विधिक सहायता प्रदान करेंगी। जिनके संबंध में संबंधित कलक्टर द्वारा ऐसी कार्यवाहियों की तैयारी एवं उसे अग्रसारित करने में सहयोग देने हेतु अनुरोध किया गया हो।
- ▶ जब धारा 53 के अंतर्गत व्यक्ति का कोई संरक्षक नियुक्त किया गया हो एवं/अथवा धारा 54 के अंतर्गत संपत्ति का प्रबंधक नियुक्त किया गया हो अथवा अधिनियम की धारा 71 एवं धारा 79 के अंतर्गत भरण-पोषण का आदेश पारित किया गया हो तो विधिक सेवा संस्थाएँ प्रत्येक मुकदमें को पैरवी करेगी एवं मनोबाधित व्यक्ति के हितों की सुरक्षा हेतु प्रत्येक कार्य करेंगी।

- ▶ अधिनियम की धारा 76 के अंतर्गत जैसाकि प्रावधान है विधिक सेवा संस्थाएँ अपील करने में समस्त संभव सहयोग प्रदान करेंगी।
- ▶ विधिक सेवा संस्थाएँ, विधिक सेवा क्लिनिकों एवं अर्द्ध-विधिक स्वयंसेवकों के द्वारा, एवं विजिटर्स परिषद् के सदस्य को सम्मिलित करते हुए भ्रमण द्वारा यह सुनिश्चित करेंगी कि निवासियों के मानव अधिकारों का उल्लंघन न हो व जब भी ऐसे उल्लंघन सामने आएँ तो ये उच्च न्यायालय के समक्ष लाए जायें।
- ▶ जैसाकि स्वलीनता, सुमस्तिष्क पक्षाघात, मनोबाध्यता एवं बहुल अशक्तता से ग्रस्त लोगों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्याय अधिनियम, 1999 एक व्यापक अधिनियम है जो मानसिक रूप से अशक्त लोगो को देख-रेख प्रदान करता है। इसमें मानसिक रूप से अशक्त लोगो के माता-पिता की देख-रेख में सहयोग को सम्मिलित करते हुए और संरक्षक की नियुक्ति द्वारा माता-पिता के देहांत के पश्चात मनोबाधित व्यक्तियों की देख-रेख एवं आर्थिक स्थिति का प्रबंध करना शामिल है। यह महत्वपूर्ण है कि विधिक सेवा संस्थाएँ अधिनियम के विषय में लोगो को सूचित करे एवं इस का लाभ उठाने में उनका सहयोग करें। संरक्षक की नियुक्ति के मामले में अर्द्ध-विधिक स्वयंसेवी एवं विधिक सेवा क्लिनिक मनोबाधित व्यक्तियों एवं उनके परिवार की सहायता करेंगी।
- ▶ विधिक सेवा संस्थाएँ मानसिक रोगियों एवं मानसिक रूप से अशक्त व्यक्तियों को उनके विरासत के अधिकार, संपत्ति रखने एवं आर्थिक अधिकारों का आनंद लेने को सुरक्षित करने में सहयोग करेंगी। मानसिक रोग एवं मानसिक अशक्तता से ग्रस्त लोग भी अन्य लोगो के जैसे चल एवं अचल सम्पत्ति की विरासत का अधिकार रखते हैं एवं अपने आर्थिक मामलो पर नियंत्रण रखने एवं बैंक ऋण, बंधक एवं अन्य आर्थिक लाभों को लेने का अधिकार रखते हैं जो उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से लिया जा सकता है अथवा किसी वैसे सहयोगी व्यक्ति द्वारा जो मानसिक रोग अथवा मानसिक अशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति के साथ कोई हित-भेद नहीं रखता हो। इसे साकार करने में विधिक सेवा संस्थाएँ समस्त विधिक सहायता प्रदान करेंगी।
- ▶ विधिक सेवा संस्थाएँ अशक्तता वाले (सामान्य अवसर, अधिकार का संरक्षण एवं पूर्ण शिरकत) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत समस्त लाभों को उठाने में मानसिक रूप से अशक्त व्यक्तियों की सहायता करेंगी।
- ▶ विधिक सेवा संस्थाएँ मानसिक रूप से अशक्त व्यक्तियों एवं उनके परिवारों हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का पता लगाएंगी और इन योजनाओ के अंतर्गत लाभों को उठाने में विधिक सेवा संस्थाएँ मानसिक रूप से आशक्त व्यक्तियों एवं उनके परिवारों की सहायता करेंगी।

जागरूकता एवं संवेदनशीलकर्ता कार्यक्रम

- ▶ विधिक सेवा संस्थाएँ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगी विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ताकि लोगो को शिक्षित किया जा सके कि मानसिक रोग उपचार योग्य है और मानसिक रोग अथवा मानसिक अशक्तता से कोई कलंक जुड़ा हुआ नहीं है।
- ▶ विधिक सेवा संस्थाएँ समाज में मानसिक रोगियों के साथ भी अन्य लोगों के जैसे सामान्य व्यवहार की आवश्यकता बतायेंगीं। ऐसे विशेष विधिक जागरूकता शिविरों में मनोचिकित्सकों, अधिवक्तागण एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति, शिविर में आए लोगों की मानसिक रोग एवं मानसिक अशक्तता के विषय में भ्रम व भ्रांतियों को दूर करने में सहायक होंगी।
- ▶ विधिक सेवा संस्थाएँ ऐसे शिविरों में जनता-जनार्दन को एवं उनके परिवार वालों को मानसिक रोगियों एवं मानसिक रूप से अशक्त व्यक्तियों से सम्बंधित संपत्ति एवं उनके अन्य विधिक अधिकार तथा विधि के अन्य प्रावधानों के विषय में शिक्षित करेंगे।
- ▶ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ज्यूडिसियल अकादमी के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रम संयोजित कर सकते हैं ताकि न्यायिक अधिकारियों को मानसिक रोगियों एवं मानसिक रूप से अशक्त व्यक्तियों एवं उनके माता-पिता, रिश्तेदारों एवं परिवार सदस्यों द्वारा झेले गये सामाजिक एवं विधिक समस्याओं के सम्बन्ध में संवेदनशील बनाया जा सके।
- ▶ ऐसे ही कार्यक्रम विधिज्ञ परिषदों के सहयोग से भी संयोजित किये जा सकते हैं ताकि पैनल अधिवक्तागण एवं विधिक व्यवसाय के अन्य सदस्य को संवेदनशील बनाया जा सके।
- ▶ विधिक सेवा संस्थाएं स्वयंसेवी संस्थाओं एवं अन्य स्वयंसेवी सामाजिक संस्थाओं से मानसिक रोगियों एवं मानसिक रूप से अशक्त व्यक्तियों से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु संपर्क स्थापित करेंगी।

नमस्कार्ही त्रिाश्वर ढरु िँधानरुाड नलुढुड त्रिाश्वर) ढसलान
२१०ॡ, ढरुाड (त्रुाश्वर ढरुाड त्रुाश्वर ढरुाड)

नालसा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015

1. पृष्ठभूमि

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 4(1) के अंतर्गत, अधिनियम के राष्ट्रीय प्राधिकरण के रूप में परिकल्पित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का दायित्व है कि वो 'लोगों के बीच विधिक जागरूकता एवं विधिक साक्षरता फैलाने के विषय में उचित उपाय करे एवं विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को समाज कल्याण अधिनियमों एवं अन्य विधियों व साथ ही साथ प्रशासनिक कार्यक्रम एवं उपायों के अंतर्गत दिए गए अधिकार, लाभ एवं विशेषाधिकार के विषय में जागरूक करें। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की भूमिका यह रेखांकित करती है कि विधिक सेवा संस्थाएं समाज के दुर्बल वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं एवं उन पर ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अधिरोपित करती है कि किसी भी नागरिक को उसकी आर्थिक या अन्य असमर्थताओं के कारण न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रहे।

अधिकांश रूप से गरीबी उन्मूलन एवं सामाजिक सुरक्षा उपायों के आशयित लाभार्थी व्यक्ति, सामाजिक संरचना के सख्त अभाव एवं आर्थिक पिछड़ेपन एवं शोषण एवं सामाजिक मूल्यों एवं सांस्कृतिक पद्धतियों, पक्षपात इत्यादि के कारणवश इनका लाभ नहीं ले पाते इसी सन्दर्भ में, विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका अति सक्रिय होनी चाहिए कि गरीबी उन्मूलन हेतु परिकल्पना किये गए उपाय, आशयित लाभार्थियों के ध्यान में लाया जाए। आगे अपने अंतिम चरणों तक उपस्थिति के कारणवश विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसे गरीबी उन्मूलन उपायों तक पहुँच को सरल बनाने हेतु अत्यधिक उचित है।

अतः यह योजना गरीबी उन्मूलन एवं सामाजिक सुरक्षा उपायों की पहचान हेतु एक प्रक्रिया प्रस्तुत करती है एवं आशयितल लाभार्थियों द्वारा ऐसे उपायों तक पहुँच को सरल बनाने हेतु पद्धति प्रदान करती है तथा इन प्रतिक्रियाओं के प्रभावी पुनरीक्षण का तरीका बताती है। इस योजना की कल्पना करते समय ये ख्याल कि क्षेत्रीय भिन्नताएं एवं आवश्यकताएं हो सकती हैं को भी विशेष रूप से विचार में रखा गया है एवं पर्याप्त लचीलापन रखा गया है कि स्थानीय विधिक सहायता प्राधिकरण अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इस राष्ट्रीय योजना को लागू कर सके।

ये योजना इस आधार पर बनाई गई है कि गरीबी एक बहु-आयामी अनुभव है और केवल आय सम्बंधित समस्याओं तक सीमित नहीं होती है। बहु-आयामी गरीबी, स्वास्थ्य (मानसिक स्वास्थ्य को शामिल करते हुए), घर, आहार, रोजगार, पेंशन, मैत्रिक देख-रेख, शिशु-मरण, पानी, शिक्षा, सफाई, सहायता एवं मौलिक सेवाओं, सामाजिक निष्कासन, पक्षपात, इत्यादि जैसी समस्याओं को शामिल किये हुए हैं। आगे, राज्य एवं जिला स्तर पर विशेष योजनाओं को लागू करने

हेतु पहचान करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण से अपेक्षित है कि वो इस तथ्य का संज्ञान रखें कि भिन्न निर्बल एवं पिछड़े समूह गरीबी का अदभुत ढंग से अनुभव करते हैं।

2. योजना का नाम

यह योजना नालसा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 कहलाएगी।

3. परिभाषाएं

- ▶ 'अधिनियम' से अभिप्रेत विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 है।
- ▶ 'केन्द्रीय प्राधिकरण' से अभिप्रेत अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है।
- ▶ 'शिकायतकर्ता लाभार्थी' किसी भी ऐसे योजना लाभार्थी को निर्देशित करता है जो किसी पद नामित प्राधिकारी अथवा अधिकारी के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराता है जो गरीबी उन्मूलन योजनाओं में से किसी के अंतर्गत पद नामित प्राधिकारी अथवा अधिकारी के रूप में पहचाना जाता हो।
- ▶ 'जिला प्राधिकरण' से अभिप्रेत अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है।
- ▶ 'विधिक सहायता अधिकारी' किसी ऐसे व्यक्ति को निर्देशित करता है जिसे इस योजना के प्रयोजन हेतु पद नामित किया गया है।
- ▶ 'अर्द्ध-विधिक स्वयंसेवी' पी.एल.वी. को निर्देशित करता है जो नालसा की पैरा लीगल वालंटियर्स (संशोधित) योजना- पैरा लीगल वालंटियर्स प्रशिक्षण मॉड्यूल में परिभाषित है।
- ▶ 'गरीबी उन्मूलन योजना' केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा आरम्भ की गई किसी योजना/ कार्यक्रम को निर्देशित करता है जो गरीबी के किसी पहलू की ओर ध्यान दिलाने के लिए उद्देश्यित है। इनमे सामाजिक सुरक्षा उपाय भी शामिल हैं।
- ▶ 'योजना लाभार्थियों' में शामिल हैं :-
 - ✓ अनुसूचित जातियां या अनुसूचित जन जातियों
 - ✓ गरीबी उन्मूलन योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु योग्य सभी व्यक्ति तथा
 - ✓ अन्य व्यक्ति में जिनके लिए विशेष आर्थिक, सामाजिक या राजनैतिक उपाय किये गए हैं बच्चे, महिलाएं तथा किन्नर शामिल हैं परन्तु उन तक सीमित नहीं हैं।
- ▶ 'राज्य प्राधिकरण' से अभिप्रेत अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत गठित 'राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण' है।

- ▶ 'तालुका विधिक सेवा समिति' से अभिप्रेत अधिनियम की धारा 11-1 के अंतर्गत गठित 'तालुका विधिक सेवा समिति' है।
- ▶ विधिक सेवा क्लीनिक, फ्रंट ऑफिस, पैनल अधिवक्ता और प्रतिधारक अधिवक्ता जैसे शब्दों का अर्थ वही रहेगा जैसा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क और सक्षम विधि) विनिमयन, 2010 और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (विधिक सहायता क्लिनिक) विनिमयन, 2011 के तहत परिभाषित है।

4. योजना का लक्ष्य

योजना के मुख्य लक्ष्य निम्न हैं :-

- ▶ समाज के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग को दिए गए लाभों एवं मौलिक अधिकारों तक पहुँच को सुनिश्चित करना।
- ▶ गरीबी उन्मूलन योजनाओं को लेने में अथवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए राष्ट्रीय, राज्य, जिला तथा तालुका स्तरों पर विधिक सहायता एवं सहयोग सेवा को सशक्त बनाना।
- ▶ जिला प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्यों, पैनल अधिवक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, अर्द्ध-विधिक स्वयंसेवी तथा विधिक सहायता क्लीनिक के छात्रों द्वारा गरीबी उन्मूलन योजनाओं के विषय में जागरूकता फैलाना।
- ▶ समस्त प्रभावी केंद्रीय अथवा राज्य योजनाओं, नीतियों, विनियमों, नीति-निर्देश, परम्पराओं, नियमों एवं प्रतिवेदनों का, जो गरीबी उन्मूलन योजना के संबंध में उपलब्ध हो, साथ ही इन योजनाओं पर नवीनतम निधि जानकारीयों का लेखा तैयार करना।
- ▶ पैनल अधिवाक्तागण, अर्धविधिक स्वयंसेवकों, गरीबी उन्मूलन योजनाओं के अधीन अधिकारियों, विधिक सहायता क्लिनिक के स्वयंसेवकों हेतु प्रशिक्षण एवं दिग्विन्यास कार्यक्रम का उपबन्ध एवं आयोजित करना ताकि उनका हुनर बढ़ाया जा सके और उनके अन्दर इस योजना को लागू करने हेतु इससे जुड़ने का गहरा सदभाव पैदा हो सके।
- ▶ समस्त सरकारी निकायों अथवा पदाधिकारियों, संस्थाओं, अधिकारियों, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं अन्य संस्थाओं जो समाज के सामाजिक/आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग के कल्याण से सम्बंधित जिम्मेदारियाँ लिए हुए हैं उनके बीच प्रभावी सम्बन्ध एवं संपर्क बढ़ाना।

5. गरीबी उन्मूलन योजनाओं की पहचान

1. प्रत्येक राज्य प्राधिकरण, राज्य में लागू वर्तमान तथा सक्रिय गरीबी उन्मूलन योजनाओं की पहचान करेगा तथा इसकी एक सूची प्रत्येक बारह माह में राज्य के सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को उपलब्ध करायेगा। सूची में निम्न शामिल होंगे :-

- (क) उस राज्य में लागू गरीबी उन्मूलन योजनाओं के साथ-साथ विशेष जिले जिनमें वह लागू है।
- (ख) प्रत्येक गरीबी उन्मूलन योजनाओं के अंतर्गत आशयित लाभार्थी।
- (ग) योजना के अन्तर्गत प्राधिकारी अथवा अधिकारी के नाम।
- (घ) प्रत्येक गरीबी उन्मूलन योजनाओं तक पहुँच हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची जैसा कि प्रत्येक के अंतर्गत पहचान की गई है।
- (ङ.) प्रत्येक गरीबी उन्मूलन योजनाओं के अंतर्गत लाभ जैसा कि उनमें से प्रत्येक के अंतर्गत प्रदान किया गया है।
- (च) केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा, जैसा भी मामला हो, विशेष वर्ष हेतु प्रत्येक गरीबी उन्मूलन योजना के लिए आबंटित की गई निधि की राशि,
2. प्रत्येक जिले का नाम जहाँ विशेष वर्ष हेतु गरीबी उन्मूलन योजना लागू की जानी है।
3. उपखंड (1) के अंतर्गत प्रत्येक राज्य प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई सूची वार्षिक रूप से समस्त जिला प्राधिकरण को उपलब्ध कराई जाएगी। एक प्रतिलिपि केंद्रीय प्राधिकरण को भी भेजी जाएगी।
4. प्रत्येक जिला प्राधिकरण उप-खंड (1) के अंतर्गत तैयार की गई सूची की प्राप्ति पर, इस सूची की प्राप्ति के 7 दिनों के अंदर निम्न को सूची की प्रतिलिपि भेजेगा :-
- (अ) जिले की समस्त तालुका विधिक सेवा समितियां
- (आ) जिले के समस्त ग्राम पंचायतों
- (इ) विधिक सेवा क्लिनिक में कार्य करने वाले लोगों, पंचायत सदस्यों, विधि छात्रगण एवं अन्य अर्ध विधिक स्वयंसेवकों जो योजना को लागू करने में सहायता देने हेतु तत्पर हों।

6. जागरूकता कार्यकलापों का संयोजन

- राज्य प्राधिकरण संप्रक्त जिला प्राधिकरण के सहयोग से जिले में उपलब्ध भिन्न गरीबी उन्मूलन योजनाओं के विषय में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु जागरूकता कार्यक्रमों को संयोजित करने हेतु कदम उठाएगा। तालुका विधिक सेवा समितियों द्वारा भी पंचायत सभाओं, टाउन हाल सभाओं, पल्स पोलियो शिविर, त्यौहार गोष्ठियों अथवा अन्य ग्राम गोष्ठियों में गरीबी उन्मूलन योजनाओं तक पहुँच हेतु उपलब्ध विधिक सेवाओं के विषय में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु कदम उठाए जायेंगे।
- समस्त राज्य प्राधिकरण अपनी-अपनी अधिकारिता क्षेत्रों में आयोजित ऐसे कार्यक्रमों की सूची प्रत्येक छह माह में केंद्रीय प्राधिकरण को भेजेंगे।

7. विधिक सहायता प्राधिकारीगण एवं अर्ध-विधिक स्वयंसेवी

1. इस योजना के प्रयोजन हेतु प्रत्येक जिला प्राधिकरण एवं तालुक विधिक सेवा समिति न्यूनतम तीन पैनल अधिवक्ताओं को विधिक सहायता अधिकारी के रूप में पद नामित करेंगे।
2. अधिवक्तागण के पैनल, विधिक सेवा क्लिनिक में कार्यरत सदस्यों, पंचायत सदस्यों, विधि छात्रगण एवं अन्य अर्ध-विधिक स्वयंसेवकों को योजना को लागू करने में सहयोग देने एवं सामाजिक एवं आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग से सम्बन्ध रखने वाले लोगों की आवश्यकताओं के विषय में संवेदनशील बनाने और उन्हें गरीबी उन्मूलन योजनाओं द्वारा क्या-क्या लाभ उपलब्ध होने वाले हैं ये बताने हेतु जिला प्राधिकरण विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संयोजन करेंगे।

8. गरीबी उन्मूलन योजनाओं तक पहुँच हेतु विधिक सहायता

गरीबी उन्मूलन योजना तक पहुँच चाहने वाले सभी योजना लाभार्थियों को विधिक सहायता अवश्य प्रदान की जानी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत विधिक सहायता प्राधिकारीगण एवं स्वयंसेवकों द्वारा प्रदान की जाने वाली विधिक सेवाओं में, अन्य बातों के साथ, निम्न सम्मिलित हैं :-

1. योजना लाभार्थी को प्रत्येक गरीबी उन्मूलन योजना, जिसका वो हकदार है और उसके अंतर्गत मिलने वाले लाभ के विषय में सूचित करना,
2. किसी गरीबी उन्मूलन योजना के अंतर्गत लाभ उठाने हेतु आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने में योजना लाभार्थियों की सहायता करना,
3. किसी गरीबी उन्मूलन योजना के अंतर्गत पंजीकरण हेतु संपर्क किये जाने वाले पद नामित प्राधिकारी अथवा अधिकारी का नाम एवं पते की सूचना योजना लाभार्थी को देना।
4. किसी भी गरीबी उन्मूलन योजना के अंतर्गत संपर्क किए जाने वाले पद नामित प्राधिकारी अथवा अधिकारी के कार्यक्रम तक योजना लाभार्थियों के साथ अर्ध-विधिक स्वयंसेवियों अथवा विधिक सेवा क्लिनिक के सदस्यों को भेजने का प्रस्ताव रखना।
5. योजना लाभार्थी को सूचित करना कि वो विधिक सहायता अधिकारी अथवा अर्ध-विधिक स्वयंसेवी को किसी भी गरीबी उन्मूलन योजना से जुड़े पद नामित किसी भी प्राधिकारी या अधिकारी के विषय में शिकायत करने का विकल्प रखता है जो योजना लाभार्थी को गरीबी उन्मूलन योजना के अंतर्गत लाभों को उपलब्ध करने में जिसका वो हकदार है उसका सहयोग करने से इंकार कर रहा हो,
6. उप-खंड (5) के अंतर्गत शिकायतों का अभिलेख रखना,

7. योजना लाभार्थियों को विधिक सहायता अधिकारी का दूरभाष नंबर उपलब्ध कराना यदि उपलब्ध हो और ऐसे लाभार्थियों को जिन्हें दूरभाष नंबर दिया गया है उन्हें कार्यकाल समय के दौरान विधिक सहायता प्राधिकारी की दूरभाष पर उपलब्धता के विषय में बताना।

9. शिकायतों पर विधिक सहायता प्राधिकरण द्वारा कार्य करना

- ▶ खंड 8 के उप खंड (5) के अंतर्गत शिकायत की प्राप्ति पर प्रत्येक विधिक सहायता प्राधिकारी स्वयं व्यक्तिगत रूप से शिकायतकर्ता लाभार्थी के साथ पद नामित प्राधिकारी अथवा अधिकारी के कार्यालय में जायेंगे एवं शिकायतकर्ता लाभार्थी को उस लाभ को उपलब्ध करने में सहयोग करेंगे जिसका वो गरीबी उन्मूलन योजना के अंतर्गत हकदार है।
- ▶ यदि किसी परिस्थिति में पद नामित प्राधिकारी या अधिकारी, शिकायतकर्ता लाभार्थी को गरीबी उन्मूलन योजना के अंतर्गत पंजीकृत करने में विफल रहता है तो विधिक सहायता प्राधिकारी जिला प्राधिकारी गण को शिकायत करेंगे। शिकायत पत्र पद नामित प्राधिकारी अथवा अधिकारी के कदाचार को व्यक्त करेगी जिसने शिकायतकर्ता लाभार्थी को समस्त आवश्यक दस्तावेजों को जमा करने अथवा समस्त दस्तावेजों के प्रावधान के बावजूद गरीबी उन्मूलन के अंतर्गत पंजीकृत करने से इनकार किया हो।

10. शिकायतों पर जिला प्राधिकरण व राज्य प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही

1. पद नामित प्राधिकारी या अधिकारी की शिकायत प्राप्त होने पर जिला प्राधिकरण सम्बंधित अधिकारी से गरीबी उन्मूलन योजना के अंतर्गत शिकायतकर्ता लाभार्थी को लाभ से वंचित किये जाने के कारणों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगेगा। शिकायतकर्ता लाभार्थी को गरीबी उन्मूलन योजना के अंतर्गत पंजीकृत नहीं किये जाने अथवा गरीबी उन्मूलन योजना के अंतर्गत लाभ न दिए जाने के सम्बन्ध में सम्बंधित अधिकारी द्वारा पर्याप्त कारण नहीं बताए जाने की अवस्था में जिला प्राधिकरण तुरंत गरीबी उन्मूलन योजना में शामिल किये जाने से इंकार का विवरण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को देगा।
2. जिला प्राधिकरण की राय में यदि वरिष्ठ अधिकारी भी बिना पर्याप्त कारण गरीबी उन्मूलन योजना के अंतर्गत लाभ उपलब्ध करवाने से रोकता है, तो जिला प्राधिकरण राज्य प्राधिकरण को इस सम्बन्ध में सूचित करेगा।
3. जिला प्राधिकरण से ऐसी सूचना प्राप्त होने पर राज्य प्राधिकरण सम्बंधित विभाग के समक्ष मामले को आगे बढ़ा सकता है या शिकायतकर्ता लाभार्थी की गरीबी उन्मूलन योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए उचित विधिक कार्यवाही कर सकता है।

4. जिला प्राधिकरण अर्ध-विधिक स्वयंसेवियों अथवा विधिक सेवा क्लिनिक के माध्यम से शिकायत की स्थिति के बारे में शिकायतकर्ता/लाभार्थी को नियमित जानकारी प्रदान करेगा।

11. योजना का मूल्यांकन

1) प्रत्येक विधिक सहायता अधिकारी, योजना के अंतर्गत विधिक सहायता की मांग करने वाले प्रत्येक योजना लाभार्थी को देखेगा तथा अभिलिखित करेगा।

नालसा (आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और
प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015

नालसा (आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाएँ) योजना, 2015

पृष्ठभूमि

हालाँकि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या 10,42,81,034 है, जो कि देश की जनसंख्या की 8.6 प्रतिशत है, भारत में जनजातीय समुदाय अत्यंत विविध एवं विजातीय है। बोली जाने वाली भाषाओं, जनसंख्या का आकार, रहन-सहन के ढंग को लेकर इनमें बहुत प्रकार की विविधताएँ हैं। भारत में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों के रूप में अधिसूचित विशिष्ट समूहों की संख्या 705 है।

उत्तर-पूर्वी राज्य अपनी स्वयं की विविधताओं के कारण सजातीय खंड नहीं हैं। वहाँ लगभग 220 जातीय समूह हैं तथा उतनी ही संख्या में भाषा एवं बोलियाँ हैं। यह समूह मोटे तौर पर तिब्बती-बर्मन, माँन-खमेर तथा भारतीय-यूरोपी नामक तीन मुख्य समूहों में वर्गीकृत किये जा सकते हैं।

जनजातीय समूहों में कुछ जनजातियाँ अपनी अत्यधिक दुर्बलता के कारणवश विशेष रूप से अति संवेदनशील जनजातीय समूह (पी. वी. टी. जी) (पहले प्राचीन जनजातीय समूह के रूप में जाने जाने वाली) की श्रेणी में रखी गई हैं। वर्तमान में पी.वी.टी.जी. में 75 जनजातीय समूह शामिल हैं जिनकी पहचान इस रूप में निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर की गयी है। 1) वन आश्रित आजीविका, 2) कृषि पूर्व जीवन स्तर, 3) स्थिर एवं घटती जनसँख्या, 4) निम्न साक्षरता दर तथा 5) जीविका आधारित अर्थ व्यवस्था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इन 75 पी. वी. टी. जी. की कुल जनसंख्या का अधिकांश भाग छह राज्यों महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडू में रहता है। जनजातियों में पी.वी.टी.जी. पर उनकी संवेदनशीलता के कारण मुख्य रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है।

स्वतंत्रता तक जनजातीय जनसंख्या राष्ट्रीय परिदृश्य से अपेक्षाकृत एकांत में रही तथा सुदूर व विषम जंगली क्षेत्रों में प्रायः आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत किया। भारत में उप निवेशक प्रशासनिक तंत्र का जनजातियों से संपर्क मुख्य रूप से अधिकारवादी व शोषक प्रकृति के रूप में हुआ। वे उनको पृथक छोड़ने में तथा राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा से न जोड़ने में विशेष रूप से रुचिबद्ध थे।

स्वतंत्रता के पश्चात, भारतीय संविधान ने जनजातीय लोगों को विशेष दर्जा देने के लिए बहुत से प्रावधान अपनाया तथा संसद में विभिन्न रक्षात्मक कानून बनाकर उनके हितों को सुरक्षित रखने हेतु सजग प्रयास किये। राष्ट्रीय योजना आयोग ने विकास हेतु कदम उठाते हुए जनजातीय

उप योजना पद्धति को अपनाया तथा पंचायती राज संस्था के अंतर्गत पंचायत पंचायत के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1966 (PESA) (पी.ई. एस. ए.) कानून बनाया।

जनजातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किये गए इन सभी प्रयासों के बावजूद भी यह एक सत्य है कि अनुसूचित जनजातियों का जीवन-स्तरों में केवल मामूली सुधार आया है। अनुसूचित जनजाति का मानव विकास सूचकांक (एच. डी. आई.) बाकी जनसंख्या की तुलना में बहुत कम है। साक्षरता दर में अंतर अधिक है। गरीबी रेखा के नीचे अन्य समुदायों की अपेक्षा अनुसूचित जनजातीय परिवार अधिक हैं। आरक्षण के प्रावधान के बावजूद सरकारी नौकरियों में उनका प्रतिशत उनकी जनसंख्या के अनुपात में नहीं है। इस प्रकार उनकी दशा बाकी जनसंख्या की अपेक्षा बहुत खराब है तथा वे विकास के परिकल्पित स्तर पर पहुँचने में अक्षम हैं जहाँ से वे तेजी से बढ़ती अर्थ व्यवस्था द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे अवसरों का लाभ उठा सकें।

इसी पृष्ठभूमि में नालसा ने जनजातीय लोगों के लिए योजना बनाने की आवश्यकता महसूस की। इसे सरल बनाने हेतु, मामले का अध्ययन करने के लिए व सुझाव प्रस्तुत करने के लिए एक समिति गठित की गयी थी। समिति ने दिनांक 09.08.2015 को विश्व जनजातीय दिवस पर माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, नालसा को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी। (यह योजना उसी रिपोर्ट पर आधारित है।

यह योजना नालसा (आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाएँ) योजना, 2015 कहलाएगी।

उद्देश्य

योजना का लक्ष्य भारत में जनजातियों तक न्याय की पहुँच को सुनिश्चित करना है। न्याय तक पहुँच की अपने तमाम अर्थों में अर्थात् अधिकारों तक पहुँच, लाभ, विधिक सहायता, अन्य विधिक सेवाएँ, इत्यादि को सुगम बनाता है ताकि संविधान के सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक एवं न्याय को सुनिश्चित करने के वचन का देश में जनजातियों द्वारा भी अर्थ पूर्ण रूप से अनुभव कर सकें। जनजातियों को कई विधिक अधिकार दिए गए हैं :-

- ▶ अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 -(FRA)
- ▶ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, अधिनियम, 1989
- ▶ निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा (आरटीई) अधिनियम, 2009

- ▶ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013
- ▶ पंचायत के प्रावधान (अनुसूची क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA)
- ▶ भारतीय संविधान की पांचवीं एवं छठी अनुसूची।

ये प्रावधान कठोरतापूर्वक लागू नहीं किये जाते, जिसके चलते उनके विधिक अधिकार का उल्लंघन होता है। ऐसे उल्लंघन जनजातियों के पिछड़ेपन का मुख्य कारण है। इस योजना का आशय यह है कि इन विधिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो।

भाग I : जनजातियों की समस्याओं का संक्षिप्त विवरण

क. भेदभाव समस्याएँ

- ▶ जनजातियों में साक्षरता की कमी एक मुख्य समस्या है। परिणाम स्वरूप जनजातियाँ अपने मौलिक विधिक एवं संवैधानिक अधिकारों से अवगत नहीं रहतीं। वे अपने कल्याण हेतु सरकार द्वारा चलाये गए कल्याणकारी योजनाओं का ज्ञान भी नहीं रखते जिसके चलते वे उनमें शामिल भी नहीं होते।
- ▶ समस्याओं के समाधान हेतु सरकार द्वारा लायी गयी योजनाओं का लागू नहीं किया जाना एक अन्य बड़ी चिंता का विषय है। तथापि जनजातियों के कल्याण हेतु कार्यकलापों का लागू न किया जाना जनजातीय लोगों में हुनरमंद लोगो की कमी के कारण भी है।
- ▶ कई सशस्त्र विवाद भी समकालीन भारत में केन्द्रीय क्षेत्र से लेकर उत्तर-पूर्व तक जनजाति क्षेत्रों के बड़े भागों को प्रभावित करते हैं जिसके चलते विधिक एवं लाभकारी योजनाओं को लागू करने में जटिल समस्याएँ उत्पन्न होतीं हैं।
- ▶ तत्कालीन वर्षों में राज्य पुलिस एवं अर्ध-सैनिक बल पर जनजातीय क्षेत्रों में कथित झूठे मुठ भेड़ एवं बलात्कार को सम्मिलित करते हुए गंभीर मानव अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगे हैं।
- ▶ बहुत सारे जनजातीय लोग कथित रूप से नक्सली कहकर जेल के अंदर डाले गये हैं। कई मामले ऐसे हुए हैं जिनमें कई दिनों तक लोग जेलों में रहे हैं और चालान में उनका नाम भी नहीं रहा है। जमानत नहीं दी जाती क्योंकि मुकदमें गंभीर होते हैं जैसे भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ना, राजद्रोह और इसी प्रकार के ।
- ▶ अपरिचित न्यायिक कार्यवाहियां जनजातियों को न्यायालय से भयभीत करती हैं यद्यपि वो स्वयं अराजकता से पीड़ित रहते हैं। वो महसूस करते हैं कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम), 1989 जैसा कानून जनजातियों की सुरक्षा हेतु नहीं होतीं।

- ▶ प्रवासी जनजातियाँ सरकार द्वारा चलायी गयी कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँचने में कठिनाइयाँ झेलती हैं। कुछ तो पूर्ण रूप से बिल्कुल पहुँच ही नहीं रखते।
- ▶ ऐसे पी.वी.टी.जी की आदिमता एवं पिछड़ेपन के सन्दर्भ में ये पूर्व परिकल्पित भ्रम अथवा धारणाएँ होती हैं। सरकारी निकायों के लिए यह आवश्यक है कि वह जनजातियों के पिछड़ेपन एवं बरबरियत तथा इन समुदायों की परम्पराओं और संस्कृति के अवमूल्यन की धारणाओं को दूर करें।
- ▶ कई पी.वी.टी.जी एवं अनुसूचित जनजातियाँ वनवासी होती हैं और अपने जीवन हेतु भूमि एवं वन संसाधन पर अधिकांशतः निर्भर होती हैं। समय के साथ-साथ उनके निवास आरक्षित वन, सुरक्षित वन घोषित कर दिए गये हैं और उन्हें बिना मुआवजा वहां से हटा दिया जाता है और बेदखल कर दिया जाता है।
- ▶ पी.वी.टी.जी. की सूची में समस्त जनजातियाँ अनुसूचित जनजातियों का दर्जा नहीं प्राप्त कर सकी हैं जिसके चलते इन जनजातियों की दुर्बलता बढ़ गई है और उन्हें पांचवी अनुसूची एवं पंचायत के प्रावधान (अनुसूची क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों द्वारा दिए गये अधिकार एवं सुरक्षा नहीं मिलते।
- ▶ पी.वी.टी.जी. हेतु एफ.आर.ए. बहुत कमजोर अंदाज में लागू किया गया है क्योंकि उनके पास अधिकार स्पष्ट रूप सेवन विभाग द्वारा परिभाषित नहीं हैं और समझे नहीं जाते। पी. वी.टी.जी. के अधिकार हेतु प्रावधानों को लागू करने और विशेष रूप से एफ.आर.ए. के अंतर्गत वास अधिकार पर कोई अलग-अलग सूचना एवं आंकड़े राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध नहीं हैं।
- ▶ उत्तरी-पूर्वी राज्य भूटान, चीन, बर्मा एवं बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बड़े क्षेत्र रखते हैं जिसके चलते वहां सीमा पार आतंकवाद, ड्रग तस्करी, शस्त्र-तस्करी, घुसपैठ, इत्यादि हेतु बहुत उचित बन जाता है।
- ▶ अन्य समस्या जो गंभीर चिंता का विषय है वह मानव तस्करी है। मध्य भारत एवं असम की जनजातियाँ विशेष रूप से तस्करी से ग्रस्त प्रतीत होती हैं।
- ▶ अन्य समस्या यह है कि अभी तक कार्य पालिका एवं न्याय पालिका का विभाजन नहीं हो सका है। छठी अनुसूची के अंतर्गत स्थापित संस्थाएं पारंपरिक विधियों को लागू करती हैं जिनकी अपनी समस्याएँ होती हैं क्योंकि वो संहिताबद्ध नहीं हैं।
- ▶ उत्तर पूर्व में विद्रोह एवं कानून-व्यवस्था समस्याओं के चलते व्यवस्था पर से विश्वास उठ गया है। जनसमूह में विधि को अपने हाथों में लेने की रूचि पाई जाती है जिसके चलते 'भीड़-न्याय' होती है जिसके कारणवश संदिग्ध / आरोपी व्यक्तियों के घर नष्ट/बर्बाद कर

दिए जाते हैं और उनके परिवार को समाज से अलग कर दिया जाता है जिससे गंभीर सामाजिक समस्याएँ पैदा होती हैं। रोगियों के इलाज में अपनी कथित लापरवाही के लिए चिकित्सक एवं अस्पताल को भी नहीं बकशा जाता है।

- ▶ दूर-दराज के क्षेत्रों में एवं गाँव में जनजातियों की बड़ी संख्या अभी तक 'डायन प्रथा' में विश्वास रखती है।
- ▶ जनजातियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जाता जिसके चलते वो स्वयं को मुख्य धारा से कटे हुए समझते हैं। उदाहरण स्वरूप अंडमान द्वीप में जरावा जनजातियों से पर्यटकों द्वारा जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है उन्हें ऐसे छोड़ा जाता है और कष्ट दिया जाता है मानो वो बन्दर या जानवर हों तथा उनकी क्रोधजनक प्रतिक्रिया से आनंद लिया जाता है। ऐसे ही अनुभव बस्तर में भी पूर्व में आम थे जहाँ पर सांस्कृतिक महत्व को कभी नहीं समझा गया।

ख. भूमि सम्बन्धी समस्याएँ

- ▶ वन एवं पहाड़ियाँ जनजातीय पहचान के मुख्य स्रोत हैं। इसी संदर्भ में वन तक नहीं पहुँचने एवं उनकी अपनी भूमि से जबरदस्ती हटा दिए जाने के कारण जनजातियों के जीवन की क्षति समझी जानी चाहिए। जन जातीय समुदायों को उनकी भूमि, वास, जीविका, राजनैतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक, मूल्यों एवं पहचान से वंचित करके प्रत्यक्ष रूप से भी बेदखली होती है एवं विकास के लाभों और उनके अधिकारों को न देने के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से भी होती है।
- ▶ पुनर्वास एवं पुनुरुद्धार (पी.आर.ए.आर) कार्यक्रम के अंतर्गत भूमि नहीं बदली जाती और पुनः जीविका न्यूनतम ही लगाई जाती है। लगभग समस्त आर एवं आर कालोनियां उचित स्वास्थ्य सुविधाओं, सुरक्षित पीने के पानी, बाजार, विद्यालय एवं यातायात के साधनों से वंचित होती हैं।
- ▶ अदल-बदल की खेती बाड़ी, फल और फूल, छोटे शिकार, दवा हेतु कंद, चारा, खाना, घर बनाने के लिए सामग्री, पारंपरिक कला, हुनर के लिए खाम सामग्री, जलावन, पत्ता तशतरी, फल इत्यादि की बिक्री से आय के रूप में वन निर्भरता महत्वपूर्ण है। इस कमी कि क्षतिपूर्ति बेदखली के कारण नहीं हो पाती और ये खाद्य सुरक्षा को भी प्रभावित करती है।
- ▶ भूमि का एक बड़ा भाग वन क्षेत्रों में आता है। दूर-दराज क्षेत्र की अधिकतर जनजातियाँ उन जमीनों में बिना किसी अधिकार, हक, एवं हित के वन भूमि पर रहती हैं और उन बेघर जनजातियों हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन

अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006' के अंतर्गत उनके अधिकारों की सुरक्षा एवं प्रवृत्ति हेतु कोई विधिक प्रावधान नहीं है।

- ▶ जनजातियों के साथ एक अन्य बड़ी समस्या विकास परियोजनाओं अर्थात् बाँधों का बनाना, वन्य शरण स्थान, खान्य कार्यकलाप, इत्यादि का परिणाम है। यह विकास जन जातियों से भिन्न लोगों की इन क्षेत्रों में रोजगार हेतु आवागमन बढ़ा देता है व परिणाम स्वरूप वो जनजातियों को वहाँ से निकल जाने पर मजबूर करते हैं। इस प्रकार जनजातियाँ विकास परियोजनाओं का लाभ नहीं उठा सकी हैं।
- ▶ भूमि वियोजन एवं जनजातियों की बेदखली हेतु बड़े महत्वपूर्ण कारणों में से एक बढ़ती हुई ऋण ग्रस्तता है। जनजातियों की ऋणग्रस्तता (वो अधिकतर अत्यधिक ब्याज के साथ ऋण स्वीकार करने के लिए बहकाए जाते हैं) अधिकतर उन्हें बंधुआ मजदूरी की परिस्थितियों में धकेल देती है।
- ▶ आगे, पी.ई.एस.ए. (PESA) के उल्लंघन भी हुए हैं जो ग्राम सभा को 'अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि वियोजन रोकने एवं अनुसूचित जनजातियों की अवैध वियोजित भूमि को लौटाने हेतु अर्थात् कार्य करने की शक्ति से सशक्ति करती है। वन भूमि के अभिग्रहण के मामले में, प्रभावित क्षेत्र की ग्राम सभा से परामर्श करना एवं उनकी स्वतंत्र सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। तथापि, अधिकतर ग्राम सभाओं को न तो परामर्श हेतु नोटिस भेजा जाता है व न ही उनकी सहमती हेतु हस्ताक्षर लिए जाते हैं।
- ▶ भूमि अभिग्रहण, पुनरुद्धार एवं पुनर्वास में उचित मुआवजे एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत जनजातियों को दिया गया मुआवजा कम होता है एवं पुनर्वास पर प्रदान की गयी जीवन परिस्थितियाँ बहुत घटिया होती हैं।
- ▶ जनजातियों के साथ एक अन्य समस्या यह है कि भूमि में एकल अधिकार की जगह वो समुदाय अधिकार में विश्वास रखते हैं और इस प्रकार भूमि सम्बंधित मुकदमेबाजी के मामलों में उनके पास स्वामित्व का लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं होता। इस सन्दर्भ में जनजातियों के दावे अधिकतर मौखिक साक्ष्य पर आधारित होते हैं परिणाम स्वरूप उनके वैयक्तिक अधिकार स्थापित करने में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं।

(ग) विधिक समस्याएँ

जनजातियों द्वारा झेली गई विधिक समस्याएँ निम्न हैं :-

- ▶ संरक्षित क्षेत्रों से विस्थापन से पूर्व जनजातियों के अधिकारों की मान्यतापूर्ण नहीं होती। जनजातियाँ एफ.आर.ए. के अंतर्गत प्रमाणीकरण एवं दावे के निपटारे से पूर्व ही बेदखल कर दी जाती हैं। इसके चलते उनकी आर्थिक स्थिति और उनके पारंपरिक वन प्रथाओं में कमी आई है।

- ▶ एफ.आर.ए. के सन्दर्भ में वन विभाग द्वारा असत्य धारणाएँ उनको विधिक अधिकारों के उल्लंघन तक पहुंचाती हैं। उदाहरण स्वरूप, कुछ वन विभाग एफ.आर.ए. की धारा 4(2) के प्रावधानों के विरुद्ध ये विश्वास करते हैं कि संरक्षित क्षेत्रों (पी.ए.एस) में अधिकारों का दावा एफ.आर.ए. के अंतर्गत नहीं किया जा सकता और यह कि एफ.आर.ए. सिंह अभ्यारण्य में लागू नहीं होता।

वास अधिकारों का दावा करने में जनजातीय समुदायों के समक्ष जो समस्याएँ पैदा होती हैं उनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं :-

- ▶ अंतर्निहित वास अधिकार की परिभाषा एवं स्पष्टीकरण में स्पष्टता की कमी,
- ▶ वास का अर्थ समझने में बहुल्यता, विशेष रूप से जब उसी विशेष क्षेत्र में शामिल अन्य पी.बी.टी.जी. समूह से अन्य लोगों के प्रयोग अधिकार उसमें शामिल हो,
- ▶ यदि पी.बी.टी.जी.स. की पारंपारिक वास सीमाएँ वन जीवन वास से मिलते जुलते हो, एवं
- ▶ ऐसे समुदायों में जागरूकता की कमी कि किन शब्दों में ऐसे दावों को व्यक्त करें।
- ▶ महिलाओं के अंदर दावा करने, प्रामाणिकता और उससे सम्बंधित एफ.आर.ए. के अंतर्गत दिए गये प्रावधान से सम्बंधित नियमों के विषय में जागरूकता लाने में स्पष्ट रूप से बहुत कम प्रयास किया गया है।
- ▶ एफ.आर.ए. के अंतर्गत जनजातियों द्वारा दाखिल किये गए दावे बिना किसी कारण बताए रद्द कर दिए जाते हैं अथवा अन्य पारम्परिक वनवासी (OTFD) की परिभाषा एवं 'निर्भरता' खंड के गलत स्पष्टीकरण पर आधारित हैं, अथवा केवल साक्ष्य की कमी के कारणवश अथवा 'जी.पी.एस. सर्वेक्षण की अनुपस्थिति' के कारणवश (एक कमी जिससे केवल यह अपेक्षित होता है कि दावा निम्न स्तरीय निकाय को वापिस निर्देशित कर दिया जाये) अथवा इस कारण कि भूमि गलत ढंग से 'गैर वन्य भूमि' समझी जाती है अथवा केवल इसलिए कि वन अपराध पावती ही केवल पर्याप्त साक्ष्य समझी जाती है।
- ▶ दावेदारों को रद्द किये जाने की सूचना नहीं दी जाती और उनके अपील करने का अधिकार उन्हें नहीं समझाया जाता और न ही इसका प्रयोग किया जाता है। (जनजातियों के बीच जागरूकता की आवश्यकता है ताकि वे ऐसी कार्य प्रणालियों के विरुद्ध अपने विधिक अधिकारों को सुरक्षित कर सकें)।
- ▶ विकास परियोजनाओं के चलते बिना किसी उचित मुआवजे के अवैध रूप से स्थानांतरित अथवा बेदखल किये गये लोगों के अधिकार के सन्दर्भ में एफ.आर.ए. की धारा 3(1) (M) बिल्कुल ही लागू नहीं की गयी है।

- ▶ ग्राम सभाओं से प्रभावी परामर्श एवं खेती हर उपज में उनको मालिकाना अधिकार की मान्यता की कमी।

घ) अन्य विधिक समस्याएँ

- ▶ जनजातियों और कुछ स्थितियों में भूमि ग्रहण और इस प्रकार विकास-जनक परियोजनाओं की स्थापना के विरुद्ध विरोध करने वाले अन्य लोगों के विरुद्ध भी छल-कपट के साथ आपराधिक आरोप लगाये जाते हैं। यह पाया गया है कि 2005 व 2012 के बीच 95% से अधिक मुकदमों में बेबुनियाद थे और दोषमुक्ति में समाप्त हुए।
- ▶ अभ्यासिक अपराधी अधिनियम, 2000 के कारणवश गैर-अधिसूचित जनजातियों से सम्बन्ध रखने वाले लोग निरंतर पक्षपात, हिंसा एवं पुलिस अत्याचार का अनुभव करते हैं।
- ▶ अंडमान निकोबार में, 'जरावा' जनजाति यौन-शोषण की घटनाएँ भी झेलती हैं। यहां तक कि जनजाति के लोगों से डी.एन.ए. टेस्टिंग के लिए ब्लड सैंपल बिना उनकी सूचित सहमति के देने के लिए कहा जा चुका है।
- ▶ योजना आयोग के एक अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि 43.6: पुनरुद्धारित बंधुआ मजदूर अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं। ये इसका संकेत देता है कि कई जनजातीय परिवार बंधुआ मजदूरी में फंसाए जाते हैं। बंधुआ मजदूरी का मुख्य कारण जो बताया गया है ऋण ग्रस्तता एवं आहार है।

(ड) शिक्षा से सम्बंधित समस्याएँ

भारत में जनजातियों से सम्बंधित शिक्षा की परिस्थिति भारत में सुधरी है परन्तु कुछ समस्याएँ अभी तक हैं। शिक्षा से सम्बंधित समस्याएँ निम्न प्रकार हैं :-

- ▶ बड़ी संख्या में विद्यालय हैं जिनमें न्यूनतम सुविधायें भी नहीं हैं।
- ▶ जहाँ न्याय संगत आधार संरचना एवं विद्यार्थी पंजीकरण भी है वहां भी दूरी एवं निर्धनता के कारण जनजाति क्षेत्रों में विद्यालयों में निरंतर उपस्थिति की समस्या है।
- ▶ शिक्षकों की अनुपस्थिति भी बहुत है।
- ▶ विद्यार्थियों के सीखने का स्तर बहुत निम्न है एवं कक्षा 10 तक पहुँचते-पहुँचते छोड़ने की दर बहुत अधिक है। इसका एक संभव स्पष्टीकरण परिस्थितियों का सामना कर पाने में जनजातीय विद्यार्थियों की किलता भी है।
- ▶ यहाँ पर उल्लेखनीय लैंगिक अंतर है। लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए अधिक ध्यान केन्द्रित करने और सामाजिक एकजुटता की आवश्यकता है।

- ▶ जब कभी जनजातीय छात्र दाखिला लेने में सफल हो जाते हैं उन्हें वो भिन्न प्रकार से शर्मिंदा किये जाते हैं और उनका मनोबल तोड़ा जाता है। इसके कारणवश विद्यालय छोड़ने की दर बहुत बढ़ जाती है। उत्तर-पूर्व के जनजातीय छात्रों को अपमानजनक नाम दिया जाना सर्वविदित है।
- ▶ जनजातीय बालिकाओं हेतु आवासीय विद्यालय हैं जो अपने भ्रष्टता, घटिया देखरेख सुविधाओं एवं आवास करने वाली बालिकाओं के यौन शोषण के कारण अधिकतर समाचार में रहते हैं।
- ▶ अधिकतर जनजातियाँ खानाबदोश होती हैं, उनके बच्चे सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।
- ▶ भारत में अधिकतर जनजातीय समुदायों अपनी मातृभाषा रखते हैं परन्तु अधिकतर राज्यों में सरकारी/क्षेत्रीय भाषाएँ क्लास-रूम शिक्षा हेतु प्रयोग की जाती हैं जो जनजातीय बच्चों द्वारा विशेष रूप से शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर समझी नहीं जाती हैं।
- ▶ उन शिक्षकों को जो जनजातीय बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं उन्हें स्वयं जनजातीय संस्कृति एवं भाषा से अवगत कराये जाने की आवश्यकता है, ताकि शिक्षा प्राप्त करना सरल हो सके। उदाहरण स्वरूप अधिकतर जिला अधिकारीगण बाहर के होने के कारणवश लोगों की भाषाएँ नहीं समझते हैं जैसे गोंडी एवं हलबी। विद्यालयों के शिक्षकगण भी इन भाषाओं को नहीं समझते हैं।
- ▶ जनजातीय बच्चे संरचनात्मक विद्यालय कक्षाओं में अपनी प्रकृति से नजदीकी के कारण सहजता का आभास नहीं करते और इसके कारणवश तत्काल उपलब्ध कराई जाने वाली औपचारिक शिक्षा में उनकी रुचि समाप्त हो जाती है।
- ▶ जनजातीय लोगो में निरक्षरता का एक मुख्य कारण माता-पिता एवं समुदाय का जनजातीय बच्चों की शिक्षा में कम रुचि लेना एवं जनजातीय क्षेत्रों में घटिया स्तर के विद्यालयों का होना है। जनजातीय समुदाय अधिकतर शिक्षा के लाभों से अवगत नहीं होते।

(च) स्वास्थ्य समस्याएँ

(च) स्वास्थ्य समस्याएँ

करण को जनजातियों को न्याय दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को (SLSAs) जनजातीय समुदायों एवं सरकार तथा न्याय पालिका के बीच के फासले को खत्म करना है। राज्य विधिक प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करना है कि विधि का शासन कायम हो।

जनजातीय लोगों के मध्य विधि व्यवस्था में विश्वास की पुनः स्थापना एवं विधि के नियम की प्रभावकारिता मुख्य महत्वपूर्ण तत्त्व है। एस.एल.एस.ए. को इन क्षेत्रों में गतिविधियों की खोज अवश्य करनी चाहिए। एस.एल.एस.ए. निम्नांकित कदम अवश्य उठाये :-

(क) मुकदमेबाजी से सम्बंधित

1. उन्हें जनजातीय समुदायों से अधिवक्ताओं के एक अनन्य पैनल का गठन करना चाहिए जिनको अच्छी फीस का भुगतान किया जाना चाहिए।
2. जनजातीय लोगों को मुकदमेबाजी में योग्य विधिक सहायता दी जानी चाहिए एवं उपयुक्त मुकदमों में उनके पक्ष में वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नियुक्त किया जाना चाहिए यहाँ तक कि विशेष फीस के भुगतान पर, ताकि जनजातीय लोगों के अधिकार एवं हित सुरक्षित किये जा सकें।
3. निर्धन जनजातीय लोगों को उनके समुदाय से बाहरी अधिवक्ताओं एवं न्यायाधीशों के भरोसे छोड़ कर न्याय पालिका हिंदी एवं अंग्रेजी में कार्य करती है। ये लोग वे हैं जिनकी न्याय तक पहुँच आवश्यक है एवं इसमें एस.एल.एस.ए. के द्वारा समर्थन दिया जाना चाहिए।
4. पैनल के अधिवक्तागण जनजातीय लोगों को प्रक्रिया एवं विधि को स्पष्ट करते हुए उनका न्यायालयों में ईमानदारी से प्रतिनिधित्व अवश्य करें। ताकि व्यवस्था का अविश्वास समाप्त किया जा सके एवं न्यायालय की प्रक्रियाओं की बेहतर समझ पैदा हो।
5. पैनल के अधिवक्तागण जनजातीय लोगों को भ्रम के क्षेत्रों अथवा सामान्य न्यायालयों एवं ग्राम स्तर पर पारम्परिक ग्राम प्राधिकरण न्यायालयों के क्षेत्राधिकार की अति व्याप्तता को स्पष्ट करते हुए अवश्य सहायता करे एवं न्याय व्यवस्था की सरल कार्य प्रणाली में लोगों की सहायता करें।
6. पैनल अधिवक्तागण कारागारों में अवश्य जाएँ एवं बिना जमानत दीर्घ अवधि की कैद से निपटने के लिए कारागारों में विधिक सेवा क्लिनिक की स्थापना करें एवं उन मुकदमों पर नजर रखें जहाँ आरोप सिद्ध न हो पाये होता कि कैद से जल्दी रिहाई हो सके।
7. पैनल अधिवक्तागण अर्ध विधिक स्वयंसेवकों की सहायता से जनजातीय लोगों को उनकी अधिगृहित जमीन का मुआवजा दिलाना आसान बनाएं एवं उनके पुनर्वास हेतु उनकी सहायता करें।
8. पी.एल.वी. की सहायता से जनजातीय क्षेत्रों में मुद्दों, आवश्यकताओं, विधिक जरूरत एवं शैक्षिक एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता की अवश्य पहचान की जानी चाहिए एवं उपयुक्त मामलों में न्यायिक निवारण की कार्यवाही की जानी चाहिए।

9. पूर्णकालिक सचिव/न्यायिक अधिकारियों को ऐसे क्षेत्रों के व्यक्तियों से बात करनी चाहिए ताकि उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं की पहचान की जा सके एवं उनको विश्वास दिलाने के लिए उनको उनके वास्तविक विधिक एवं अन्य आवश्यकताओं एवं अधिकारों हेतु योग्य सहायता एवं सेवाएँ दी जा सकें।
10. जहाँ कोई जनजातीय व्यक्ति किसी विधि के न्यायालय में अभियोजन का सामना कर रहा है वहाँ उसकी पहचान की जानी चाहिए एवं उसके विरुद्ध कार्रवाई के आरम्भ से विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा समुचित विधिक सहायता दी जानी चाहिए अर्थात् उसके विरुद्ध पूछताछ के समय से।
11. एस.एल.एस.ए. विधिक सेवा क्लिनिक अवश्य खोले जहाँ कि जनजातीय अधिवक्तागण का सुविधा पूर्वक जाना सुगम हो।
12. एस.एल.एस.ए. बहु उपयोगी वाहन का अवश्य प्रयोग करें ताकि कम आबादी वाले क्षेत्रों में पहुँचा जा सके अर्थात् न केवल जानकारी फैलाने के लिए बल्कि जनजातीय लोगों को शीघ्र विधिक सहायता उपलब्ध करने के लिए जिनके आपराधिक, दीवानी, राजस्व अथवा वन अधिकारों के मुद्दे हो सकते हैं।
13. एस.एल.एस.ए. वन विभाग जैसे सरकारी विभागों से समन्वय स्थापित करे ताकि प्राकृतिक वास दावों एवं मुआवजा दावों का मोबाइल लोक अदालतों के द्वारा निपटारा किया जा सके।
14. दीवानी एवं फौजदारी मामलों में उच्च न्यायालय की उसकी रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय जाने हेतु जनजातीय लोगों को शीघ्र विधिक सहायता दी जानी चाहिए। उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियाँ उन समर्पित अधिवक्तागणों को अवश्य पैनल पर रखे जो स्वयं जनजातीय हैं अथवा जिन्हें जनजातीय मुद्दों की अच्छी समझ है एवं जो जनजातीय लोगो से व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर सकते हैं।
15. जब भी आवश्यकता हो माननीय कार्यकारी चेयरमैन एस.एल.एस.ए. के अनुमोदन से सामाजिक न्याय मुकदमे आरम्भ किये जाएँ।

अर्धविधिक स्वयंसेवक (पी.एल.वी.)

1. प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सांख्यिकीय एवं अन्य सरकारी विभागों की सहायता से जिलों के उन क्षेत्रों की पहचान करें जहाँ जनजातीय आबादी है एवं अर्धविधिक स्वयंसेवकों के द्वारा उन तक पहुँचें।

2. जनजातीय लोगों का विश्वास प्राप्त करने के लिए, प्रत्येक ऐसे समुदाय की समस्याएं जानने हेतु एवं जानकारी कार्यक्रमों के दौरान प्रभावकारी तरीके से उनसे सम्पर्क स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि अर्धविधिक स्वयंसेवकों का ऐसे जनजातीय लोगों के मध्य से ही चयन किया जाए। एस.एल.एस.ए., डी.एल.एस.ए. के पूर्णकालिक सचिव के सीधे अनुभवी परामर्श एवं नियंत्रण के अंतर्गत ऐसे समुदायों से अर्धविधिक स्वयंसेवकों (पी.एल.वी.) के अनन्य पैनल अवश्य तैयार करे।
3. ऐसे पी.एल.वी. को उनकी भूमिका के लिए उचित विधि से प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे अग्र सक्रिय रूप से जनजातीय लोगों तक पहुँच सकें एवं वे उन जनजातीय समुदायों में हर समय एक हिताभिलाषी के रूप में पहचाना जाए जिनकी सेवा हेतु उनको कार्य सौंपा गया है।
4. एस.एल.एस.ए., पी.एल.वी.के द्वारा अनपठ जनजातीय लोगों को सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु फार्म भरने एवं आवेदन प्रस्तुत करने के लिए विधिक सहायता सहित उनकी ऐसे लाभ प्राप्त करने में सहायता करें।
5. विधिक सेवा प्राधिकरण जनजातीय समुदायों के बीच अर्ध विधिक स्वयंसेवकों की सहायता से स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अर्ध विधिक स्वयंसेवकों एवं स्थानीय विधिक सेवा प्राधिकरण की सहायता से जरूरतमंद व्यक्तियों की पहचान की जा सकती है। ऐसे जनजातीय लोगों को उचित स्वास्थ्य योजनाओं के लाभों के साथ-साथ स्वास्थ्य सहायता एवं दवाएं उपलब्ध करने में आसानी लाई जाये।
6. जब भी विद्यालयों, अध्यापकों की अनुपस्थिति एवं जनजातीय बच्चों की प्रताड़ना जैसे मुद्दे हों, जैसाकि इस योजना के भाग-1 में सूचित है तो पी.एल.वी. सम्बन्धित प्राधिकरणों को सूचित करने में जनजातीय लोगों की आवाज बने।
7. पी.एल.वी., तस्करी के पीड़ितों की पहचान हेतु मानव तस्करी के मामलों में एवं पीड़ित मुआवजा प्राप्त करने हेतु उचित कार्रवाई करने में एवं विभिन्न पुनर्वास योजनाओं तक पहुँच बनाने में उपयोगी बन सकते हैं।
8. पी.एल.वी., तस्करी किये गये बच्चों की अवश्य सहायता करें जब उनको बचाया जाता है एवं शिशु कल्याण समितियों (सी.डब्लू.सी.) के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। वे पीड़ितों के परिवारों को खोजने में सी.डब्लू.सी. की अवश्य सहायता करे।
9. जब पीड़ितों की न्यायालय में गवाही हो तो पी.एल.वी.पीड़ितों का साथी के रूप में सहयोग करें।

10. पी.एल.वी. को जनजातीय लोगों एवं पैनल अधिवक्ताओं के मध्य एक मध्यस्थ का काम करना चाहिए एवं जनजातीय लोगों एवं अधिवक्ताओं दोनों की सहायता करनी चाहिये ताकि पीड़ितों का केस न्यायालय के द्वारा प्रभावकारी तरीके से समझा एवं सुना जा सके।
11. पी.एल.वी. सरकारी विभागों एवं जनजातीय लोगों से भी अवश्य जुड़े रहें ताकि जनजातीय लोगों के लिए राशन एवं भोजन, उन तक पहुंचना सुनिश्चित हो सके यहाँ तक कि जब वे राज्यों में दूर-दराज एवं कम आबादी वाले क्षेत्रों में रहते हों।
12. जनजातीय लोगों के पास अधिकतर भूमि का दस्तावेजी सबूत उपलब्ध नहीं होता। ऐसे मामलो में जनजातीय लोगों को उचित मुआवजा एवं पुनर्वास प्राप्त करने के लिए विधिक सहायता की आवश्यकता होती है। पी.एल.वी. समस्त दस्तावेजों एवं सबूतों को एकत्र करने में जनजातीय लोगों की सहायता करे ताकि विस्थापित जनजातीय लोग उचित रूप से पुनर्वासित किये जा सके।
13. पी.एल.वी. कारागार जाएँ एवं बंदियों से उनके मुकदमों के बारे में बात करें एवं डी.एल. एस.ए. के पूर्णकालिक सचिव को उनके बारे में रिपोर्ट करें ताकि उनको जमानत पर छुड़वाने अथवा उनके मुकदमों की जल्दी सुनवाई के लिए तुरंत कार्यवाही की जा सके।

(ग) जानकारी

1. जनजातीय क्षेत्रों में विधिक जानकारी साधारण तरीके की जानकारी कार्यक्रमों से भिन्न होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में दृश्य-श्रव्य साधन अधिक उपयोगी होंगे। नृत्य नाटक इत्यादि जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन के द्वारा जिसमें जनजातीय लोग भी शामिल हों जानकारी को दिया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिये। उनको प्रभावकारी तरीके से सन्देश देने के लिए ऐसे जनजातीय लोगों के लोक गीतों एवं नृत्यों का उपयोग किया जा सकता है। जनजातीय लोगों में जानकारी कार्यक्रम उन व्यक्तियों के द्वारा चलाये जाने चाहिए जिनको उनकी समस्याओं एवं समाधान के बारे में पूरी जानकारी हो।
2. जनजातीय लोगों के बीच वन विधि एवं विधि के प्रावधानों के उल्लंघन के परिणामों के बारे में विधिक जानकारी फैलाने की आवश्यकता है।
3. एस.एल.एस.ए. शिक्षा के लाभों, उनके अधिकारों एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं आधुनिक तकनीक के लाभों के अंतर्गत पात्रता के बारे में जनजातीय समुदाय को जागरूक करने के लिए जनजातीय क्षेत्रों में सघन विधिक जानकारी आयोजित करें जो उनके पेशे से जुड़े कार्य के सुधार में भी सहायता कर सकता है।

4. जनजातीय समुदाय को सूचित किया जाना चाहिए कि उनके बच्चों की शिक्षा, उनका भविष्य सुरक्षित कर सकती है क्योंकि ऐसे बच्चे लोक अथवा प्राइवेट नौकरी पा सकते हैं जहाँ आरक्षण लागू है।
5. जनजातीय बच्चों तक पहुँचने हेतु जनजातीय वर्चस्व के क्षेत्रों में विद्यालय विधिक साक्षरता क्लब आरम्भ किये जाने चाहिए ताकि उनका उत्साह बढ़ाया जा सके कि वे विद्यालय में रहे व दूसरी ओर और अन्य विद्यार्थियों एवं अध्यापकों को जनजातीय बालकों की विशेष आवश्यकता के बारे में संवेदनशील बनाया जा सके।
6. सरकारी एजेंसियों एवं एन.जी.ओ. की सहायता से एस.एल.एस.ए. दृश्य-श्रव्य विधि के द्वारा एवं उनको खेती के कार्य के लाभ हेतु आधुनिक तकनीक के व्यावहारिक प्रदर्शन दिखाकर भी प्रशिक्षण आयोजित करें।
7. जनजातीय क्षेत्रों में क्षेत्र में कार्यरत एनजीओ के साथ सुरक्षित पेयजल, पोषण एवं गर्भवती स्त्री की देखभाल के लाभों के बारे में बताने के लिए स्वास्थ्य जानकारी कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिए।
8. एस.एल.एस.ए. को भाषायी भेद को कम करने के लिए ग्राम में एक सामुदायिक रेडियो की स्थापना जैसे अन्य कदम उठाने चाहिए।

नालसा (नशा पीडितों को विधिक सेवाएं एवं
नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं) योजना , 2015

नालसा (नशा पीड़ितों को विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं) योजना , 2015

1. पृष्ठभूमि

- 1.1 नवयुवकों, किशोरों एवं बालकों में ड्रग तस्करी एवं दुरुपयोग की असाधारण बढ़ोतरी गंभीर व जटिल निहितार्थ सूचित करती है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित करती है। इसकी रोकथाम राज्य के साथ साथ समाज की सर्वोत्तम प्राथमिकता है।
- 1.2 यह एक खुला राज है की ड्रग/नशा ने निर्दोष बच्चों, नव बालकों, नव युवकों एवं महिलाओं के ऊपर अपना भयानक शिकंजा कस लिया है। इसका खतरनाक फैलाव इससे प्रतीत होता है की नशे की शुरुआत 9-10 वर्ष की किशोर आयु से हो जाती है। आधुनिक प्रयोगात्मक अध्ययन से ज्ञात हुआ है की भारत में लगभग 7 करोड़ लोग पदार्थ दुरुपयोग में लगे है जिनमे से 17% लोग इसके आदी है।
- 1.3 जिन पौधों से यह पदार्थ / ड्रग बनाये जाते है उनकी अवैध खेती गंभीर चिंता का विषय है। सामान्यतः लोग ऐसी खेती के दुष्प्रभाव से अवगत नहीं होते। पदार्थ की अवैध खेती रोकने के लिए पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकासो की भागेदारी आवश्यक रूप से अपेक्षित है।
- 1.4 राज्य की कई एजेन्सियों के साथ साथ गैर सरकारी संगठन भी नशीले पदार्थों की तस्करी और मादक पदार्थों के उन्मूलन के क्षेत्र में कार्यरत है परन्तु उनके बीच समन्वय की कमी है। अधिकरणों एवं विभिन्न पदाधिकारियों के व्यक्तिगत प्रयासों भी अपेक्षित परिणाम नहीं प्राप्त कर सके हैं।
- 1.5 इस तथ्य को विचार में रखते हुए कि विधिक सेवा संस्थाएं इस खतरे के उन्मूलन में बड़ा योगदान दे सकती हैं, रांची (झारखण्ड) में हुए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के तेरहवें अखिल भारतीय सम्मलेन में एक संकल्प लिया गया था जिसका निष्कर्ष यह था कि नशों की लत एवं नशा का दुरुपयोग समस्त विधिक सेवा संस्थाओं के लिए एक गम्भीर चिंता का विषय है एवं इसकी आवश्यकता महसूस की गयी थी कि इस समस्या का परीक्षण किया जाए।

2. मौजूदा विधिक प्रावधान

- 2.1 संयुक्त राष्ट्र द्वारा मार्च 1961 में नशीले ड्रग्स पर एकल संधि द्वारा नशीले ड्रग्स एवं तस्करी के खतरे के उन्मूलन का प्रयास आरम्भ हुआ था एवं तत्पश्चात इस संधि के

प्रस्ताव को संशोधित करने हेतु मार्च 1972 में एक विज्ञप्ति अपनाई गयी थी। वर्ष 1971 में मनः प्रभावी पदार्थों की संयुक्त राष्ट्र संधि हुई थी एवं उसके पश्चात वर्ष 1988 में नशीले ड्रग्स एवं मनः प्रभावी पदार्थों की अवैध तस्करी के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संधि हुई। भारत ऐसी समस्त संधियों का हस्ताक्षरी है।

- 2.2 भारत के संविधान का अनुच्छेद 47 यह आदेश देता है कि राज्य स्वास्थ्य को हानि पहुँचाने वाले नशीले मदिरा एवं ड्रग्स के उपयोग को सिवाय उन ड्रग्स के जो दवाओं के औषधिय प्रयोजनों हेतु प्रयुक्त होते हैं, निषेध करने के बारे में प्रयास करेगा।
- 2.3 अवैध ड्रग तस्करी एवं ड्रग दुरुपयोग के राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ता हुए रुझान ने- व्यापक विधानों को पारित करने के लिए प्रेरित किया है :- (i) औषधि एवं प्रसाधान सामग्री अधिनियम, 1940 एवं (ii) स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, नशीली दवाओं और मादक पदार्थों के निषेध, नियंत्रण, विनियमन, खेती, निर्माण, बिक्री परिवहन, खपत आदि के लिए। कठोर विधियों के बावजूद अवैध ड्रग व्यापार संयोजित ढंग से कई गुना बढ़ता ही जा रहा है।
- 2.4 इसी पृष्ठभूमि में नालसा ने अनुभव किया कि मांग एवं पूर्ति कम करने, लत छुड़ाने एवं पुनर्वास में उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। समस्या के आयामों को समझने के उद्देश्य के लिए एवं विधिक सेवा संस्थानों की प्रभावी ढंग से समस्या का समाधान करने के लिए भूमिका परिभाषित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। यह योजना 'भारत में ड्रग का खतरा -संक्षिप्त विवरण, चुनौतियाँ एवं समाधान' विषय पर मनाली, हिमाचल प्रदेश में हुए स्थानीय सम्मलेन में समिति के विचार विमर्श से प्राप्त आयामों पर बनाई गई है।

3. योजना का नाम

यह योजना नालसा (नशा पीड़ितों को विधिक सेवाएँ एवं नशे का उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएँ) योजना, 2015 कहलाएगी।

4. परिभाषाएं

इस योजना में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

- (क) 'अधिनियम' से अभिप्राय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39 वां) है।
- (ख) 'एन डी पी एस अधिनियम' से अभिप्राय स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1965 का 61वां) है।
- (ग) 'विधिक सेवा' से तात्पर्य वैसा ही है जैसा विधिक सेवा प्राधिकरण की धारा 2(c) के अंतर्गत परिभाषित है।

- (घ) 'विधिक सेवा क्लीनिक' से तात्पर्य वह क्लीनिक है जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (विधिक सेवा क्लीनिक) विनियम, 2011 के अंतर्गत 2(ग) में परिभाषित है।
- (च) 'विधिक सेवा संस्था से अभिप्राय' राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समित अथवा जैसा कि मामला हो, है।
- (छ) 'पैनल लॉयर' से अभिप्राय वो पैनल लॉयर हैं जिनका चयन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010 के विनियम 8 के अंतर्गत हुआ हो।
- (ज) 'अर्ध विधिक स्वयंसेवी' से अभिप्राय वो 'अर्ध विधिक स्वयं सेवी' है जो नालसा की पैरा-लीगल वालंटियर्स (संशोधित) योजना - पैरा लीगल वालंटियर्स प्रशिक्षण माड्यूल में परिभाषित है।
- (झ) अन्य समस्त शब्द एवं भाव जो प्रयोग किये गए हैं परन्तु इस योजना में परिभाषित नहीं किये गए हैं और वो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39वां) अथवा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 अथवा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा), विनियम, 2010 के अंतर्गत परिभाषित हैं उनका क्रमशः वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम अथवा नियम अथवा विनियम में उन्हें प्रदान किया गया है।

5. योजना का लक्ष्य

- 5.1 आम जनता के बीच विधिक प्रावधानों, विभिन्न नीतियों, कार्यक्रम एवं योजनाएं, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थों के विज्ञय के साथ-साथ विद्यालयों तथा महा विद्यालयों के बच्चों, गली के बच्चों, नगर झोपड़पट्टी के बच्चों, सुई से ड्रग लेने वालों, परिवारों, कैदियों, असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वालों, दवा बेचने वालों, ड्रग प्रयोग करने वालों, यौन कर्मियों एवं जन साधारण आदि में ड्रग दुरुपयोग के दुष्प्रभाव के विषय में जागरूकता फैलाना।
- 5.2 विभिन्न पदार्थों स्रोत/पौधों की जायज खेती करने वाले किसानों में ऐसे ड्रग एवं पदार्थों के सेवन के प्रतिकूल स्वास्थ्य एवं जीवन हानिकारक प्रभाव के विषय में संवेदनशीलता लाने हेतु साक्षरता शिविरों का आयोजन करना।
- 5.3 माता-पिता तथा शिक्षकों तथा विद्यार्थियों में पदार्थ दुरुपयोग के विषय में जागरूकता फैलाना।

- 5.4 विभिन्न भागीदारों अर्थात् न्यायपालिका, अभियोजन, बार के सदस्यों, पुलिस, फोरेंसिक प्रयोगशालाओं, नशा मुक्ति केन्द्रों, सुधार गृह, पुनर्वास केन्द्रों, विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय प्रशासन, किशोर गृह, वृद्धाश्रमों, नारी निकेतनों, विशेष किशोर विद्यालयों, न्यायालयों में कार्यरत कर्मचारीगण, इत्यादि को ड्रग के खतरों एवं इसके उन्मूलन के प्रभावी उपायों के विषय में संवेदनशील बनाना।
- 5.5 ड्रग दुरुपयोग के पीड़ितों को पहचानने, उनका उपचार करने तथा नशा मुक्ति के पश्चात उनके पुनर्वास में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं को गतिमान करना।
- 5.6 पंचायती राज संस्थाओं/स्थानीय निकायों की क्षमता जमीनी स्तर पर ड्रग दुरुपयोग की रोकथाम एवं निवारण तथा ड्रग/पदार्थों में उपयोग होने वाले पौधों की अवैध खेती के दुरुपयोग और विनाश करने हेतु हस्तक्षेप और रोकथाम के प्रयासों के लिए उपयोग करना।
- 5.7 नशा मुक्ति केन्द्रों एवं पुनर्वास केन्द्रों इत्यादि के बीच बेहतर सुविधाओं के लिए प्रभावी सहयोग पैदा करना और पीड़ितों के अधिकार का सम्मान करना और यदि कोई अतिक्रमण/उल्लंघन प्रतीत हो तो बीच बचाव करना।
- 5.8 क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न भागीदारों के कार्य कलापों में सहयोग पैदा करना।
- 5.9 ड्रग तस्करी एवं ड्रग दुरुपयोग के पीड़ितों को आवश्यक विधि सेवा सुनिश्चित करना।

कार्य योजना

6. विशेष इकाइयों की स्थापना

- 6.1 इस योजना की सूचना मिलने के एक मास के अंतर्गत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एतद् पश्चात एस.एल.एस.ए. निर्देशित) राज्य के समस्त तालुकाओं/मण्डलों उप मण्डलों में विशेष इकाइयाँ स्थापित करेगा जिनमें डी.एल.एस.ए. अध्यक्ष द्वारा मनोनीत न्यायिक अधिकारीगण, नव युवक अधिवक्तागण, सम्बंधित मुख्य चिकित्सीय अधिकारी द्वारा मनोनीत चिकित्सीय अधिकारीगण, मुख्य सचिव द्वारा मनोनीत राजस्व/पुलिस/वन अधिकारीगण, सामाजिक कार्यकर्ता, अर्द्ध विधिक स्वयंसेवी और ड्रग के खतरे के उन्मूलन अथवा पुनर्वास एवं नशा मुक्ति हेतु ठोस कार्य करने वाले किसी स्वयंसेवी संस्था जो नालसा से जुड़ी हो, के प्रतिनिधि होंगे। विशेष इकाइयों की अध्यक्षता तालुका/मंडल/उपमंडल विधिक सेवा समिति (एतद् पश्चात टी.एल.एस.सी. निर्देशित) के अध्यक्ष डी.एल.एस.ए. अध्यक्ष के व्यापक पर्यवेक्षण के अंतर्गत करेंगे।
- 6.2 ऐसी विशेष इकाइयों में दस से अधिक सदस्य नहीं होंगे। डी.एस.एल.ए. के सचिव जिले के नोडल अधिकारी होंगे। तालुका विधिक सेवा समिति के सचिव विशेष इकाइयों के सचिव होंगे।

- 6.3 विशेष इकाइयों का संगठन होने के पश्चात नालसा के माडडूल के अनुसार विशेष इकाइयों के सदस्यों के लिए डी.एल.एस.ए. प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
- 6.4 विशेष इकाइयाँ किये गए कार्य की नियमित रिपोर्ट एस.एल.एस.ए. को डी.एस.एल.ए. अध्यक्ष द्वारा देती रहेंगी जो उन्हें अपनी टिप्पणियों सहित आगे भेजने होंगे।
- 6.5 ये विशेष इकाइयाँ अपने गठन के 15 दिवसों के भीतर ड्रग एब्जूस से निपटने, हस्तक्षेप और नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम हेतु अपने-अपने सम्बंधित क्षेत्रों में होने वाले कार्यक्रमों का एक सूक्ष्म स्तरीय कार्यक्रम तैयार करेंगी।
- 6.6 ऐसे कार्यक्रम डी.एल.एस.ए. के अध्यक्ष द्वारा एस.एल.एस.ए. के सदस्य सचिव को भेजे जायेंगे जो अपने तौर पर उसे अनुमोदन हेतु कार्यपालक अध्यक्ष के समक्ष रखेंगे। एस.एल.एस.ए. के कार्यपालक अध्यक्ष संशोधन सहित अथवा बिना संशोधन, 15 दिन के अन्दर अपनी अनुमति दे देंगे।
- 6.7 इस योजना के प्रावधानों के अंतर्गत उन्हें सौंपे गए कार्यों के अतिरिक्त विशेष इकाइयाँ उन अन्य कार्य को भी करेंगी जो उन्हें एस.एल.एस.ए. समय-समय पर सौंपती रहेगी।

7. डाटा बेस तैयार करना

एस.एल.एस.एस समस्त विद्यमान नीतियों योजनाओं, विनियमों, निदेश, निवारण, नियम, उद्घोषणाओं तथा अभिलेखों का डाटाबेस तैयार करेंगे जो स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थों के प्रभावी निवारण, रोकथाम उन्मूलन पर उपलब्ध होंगे और इसे अपने वेबसाइट पर अपलोड करेंगे और नालसा को इस विषय में बताएँगे।

8. विभिन्न योजनाओं को लागू करना -

- (क) एस.एल.एस.एस जन साधारण को और विशेष रूप से ड्रग दुरुपयोग के पीड़ितों, उनके परिवारों तथा नशामुक्ति पुनर्वास केन्द्रों के कार्यकारियों को नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों के विषय में सूचना फैलाने हेतु समस्त कदम उठाएँगे।
- (ख) विशेष इकाइयाँ ऐसी सूचना को प्रमुखता से अपने कार्यालय में दर्शायेंगी तथा उचित पुस्तिकाएं/ पर्चे / तख्तियों, आदि को छपवाएगी, जैसा कि एस.एल.एस.एस द्वारा अनुमोदित हो।

9. अवैध उपजाव का नष्टीकरण

स्वापक एवं मनः प्रभावी पदार्थ बनाने में प्रयोग किये जाने वाले भाँग तथा अफीम के साथ अन्य किसी पौधो की अवैध खेती के नष्टीकरण में एस.एल.एस.एस राज्य सरकार का सहयोग करेंगी। एस.एल.एस.एस राज्य सरकार से यह भी आग्रह करेंगी कि ऐसे नष्टीकरण कार्य को मनरेगा

योजना के अंतर्गत स्वीकार्य कार्य के रूप में सम्मिलित किया जाए। यह बड़े स्तर पर अवैध पौधों के नष्टीकरण का रास्ता प्रशस्त करेगी और इसके साथ ही इस पूरे अभियान में समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा।

- 10 भूमि स्तर पर स्थानीय निकायों / पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी इन संस्थाओं की भागीदारी निम्न प्रकार से होगी -
- (क) विशेष इकाइयां पंचायती राज संस्थाओं के साथ मिलकर उन क्षेत्रों को जहाँ चरस/गांजा, इत्यादि जैसे पदार्थों को अवैध रूप से उपजाया जाता है की शिनाख्त करेगी / विशेष इकाइयों द्वारा इस प्रकार तैयार की गई रिपोर्ट डी.एस.एल.ए. चेरमैन के द्वारा एस.एल.एस. ए. को अग्रेषित की जायेगी एवं कार्यपालक अध्यक्ष, एस.एल.एस.ए. के अनुमोदन से मामले को उचित कार्रवाई हेतु सम्बंधित प्राधिकारियों के साथ उठाया जाएगा।
 - (ख) विशेष इकाइयाँ ड्रग की लत वाले व्यक्तियों एवं सुई से ड्रग लेने वाले व्यक्तियों की पहचान हेतु, उनके उपचार एवं पुनर्वास हेतु प्रबंध करने हेतु पंचायती राज संस्थाओं की सहयता लेंगी।
 - (ग) विशेष इकाइयाँ ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रग के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु पंचायती राज संस्थाओं की सहायता भी लेंगी।
 - (घ) विशेष इकाइयों को, जहाँ तक संभव हो, ऐसे प्रचार में महिला मण्डलों एवं युवक मंडलों अथवा क्षेत्र के अन्य समान स्वयं सहायता समूहों के साथ जुड़ना चाहिए।

11. जागरूकता

11.1 विद्यालयों और महाविद्यालयों में जागरूकता

विद्यालयों और महाविद्यालयों में, छात्रों को ड्रग्स के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक बनाने हेतु, विशेष इकाइयाँ विद्यालयों और महाविद्यालयों में जागरूकता एवं संवेदनशीलता कार्यक्रम चलाने हेतु, विद्यालयों में विधिक साक्षरता क्लबों और महाविद्यालयों में विधिक सेवा क्लिनिकों के साथ समन्वय स्थापित करेंगी।

- (क) जागरूकता और संवेदनशीलता कार्यक्रमों को विभिन्न तरीकों से आयोजित किया जा सकता है, जैसे-
 - i) विद्यालयों/विद्यालयों के समूह में ड्रग दुरुपयोग के विरुद्ध यात्रा के बैनर के अंतर्गत क्षेत्र के 'प्रतिष्ठित' व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए जागरूकता कार्यक्रम आरंभ करना।
 - ii) जागरूकता शिविर द्वारा अभिभावकों-अध्यापकों की नियमित बैठकों के आयोजन द्वारा। सामूहिक साक्षरता अभियानों द्वारा।

- iii) परिसंवाद, संगोष्ठी, वाद-विवादों आदि के कार्यक्रमों द्वारा।
- iv) ड्रग दुरुपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में प्रश्नोत्तरी तथा निबन्ध-लेखन प्रतियोगिताओं के आयोजन द्वारा।
- v) नुक्कड़ नाटकों : इसी प्रकार के किसी अन्य तथा नए तरीकों द्वारा। कोई अन्य इसके समान तथा नए तरीकों द्वारा।
- (ख) विद्यालयों/महाविद्यालयों के अध्यापकों को भी जागरूकता/संवेदनशील कार्यक्रमों में भागीदार बनाना चाहिये।
- (ग) जागरूकता/संवेदनशीलता कार्यक्रमों में नालसा/एस.एल.एल.ए. द्वारा निर्मित प्रचार-पुस्तिकाओं/पुस्तिकाओं व पर्चों को छात्रों में वितरित करना चाहिये।
- (घ) ऐसे प्रचार-पुस्तिकाओं/पर्चों को सभी जागरूकता अभियानों में और मुख्य कार्यालयों एवं विधिक सेवा क्लिनिकों में वितरित किया जाएगा।
- (च) विद्यालय/महाविद्यालय पाठक्रम में ड्रग दुरुपयोग पर अध्याय को शामिल करना- विद्यालय एवं महाविद्यालय के पाठक्रम में आवश्यक रूप से ड्रग दुरुपयोग पर अध्याय शामिल करने हेतु संबन्धित शिक्षा परिषदों एवं विश्वविद्यालयों से निवेदन करना।

11.2 ड्रग दुरुपयोग के पीड़ितों के परिवारों को जागरूक करना।

जिन परिवारों में बच्चों और अभिभावकों के बीच स्नेहमय संबंध शिथिल या खत्म हो जाते हैं अथवा जिनके अभिभावक या परिवार-जन ड्रग/मादक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, सामान्यता वे बच्चे ड्रग दुरुपयोग के पीड़ित बन जाते हैं।

- (क) विशेष इकाईयों को ड्रग दुरुपयोग के पीड़ितों के परिवारों और उन अभिभावकों को जो किसी एक अथवा अन्य प्रकार के नशों की लत के आदी हैं, पहचानना चाहिए एवं उनको अपने बच्चों के साथ पैतृक संबंध बनाने हेतु संवेदनशील बनाना चाहिए। अभिभावकों को बच्चों के साथ बातचीत करने के लिए राजी करने, उनके क्रिया-कलापों के पर्यवेक्षण और अध्यापकों से उनके छात्रों और उनके व्यवहार के बारे में बात करने एवं नशों की लत पहचानने की और इसके इलाज की जागरूकता पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए।
- (ख) जागरूकता लाई जानी चाहिए ताकि लत के कलंक को मिटाया जा सके व इससे उत्पन्न मानसिक पीड़ाओं का उपचार किया जा सके क्योंकि नशों की लत को भी किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या के रूप में मान्यता मिले और इसका जल्द से जल्द उपचार किया जा सके।

11.3 लावारिस बच्चों में जागरूकता

- (क) ड्रग दुरुपयोग के पीड़ितों में सर्वाधिक संख्या लावारिस बच्चों की है। ये सबसे अधिक उपेक्षित एवं कमजोर वर्ग है, सामान्यता: परित्यक्त एवं उनके परिवारों द्वारा छोड़े गये हैं। इसलिए, लावारिस बच्चों के साथ कार्य करने वाली एनजीओ के साथ इनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने की अति आवश्यकता है।
- (ख) विशेष इकाईयाँ व्यसनी लावारिस और शहरी स्लम बस्ती के बच्चों को पहचान करेंगी और उनको नशा-मुक्ति केंद्र (केन्द्रों) या पुनर्वास केंद्र (केन्द्रों), जैसी भी स्थिति हो, में दाखिला करने हेतु प्रबंध करेंगी।

11.4 ड्रग दुरुपयोग के पीड़ितों के बीच जागरूकता

ड्रग की लत वाले व्यक्तियों की पहचान के साथ, विशेष इकाईयाँ मनोचिकित्सकों एवं डाक्टरों के साथ मिलकर उनके लिए नियमित संवेदनशील कार्यक्रम (कार्यक्रमों) का संचालन करेंगी। ऐसे कार्यक्रमों में प्रेरणास्रोत व्यक्तियों और खेल, सिनेमा, साहित्य आदि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त व्यक्तियों को सम्मिलित किया जायेगा।

11.5 यौन कर्मियों हेतु जागरूकता कार्यक्रम

विशेष इकाईयाँ रेड-लाइट क्षेत्रों में यौन कर्मियों और उनके बच्चों को ड्रग दुरुपयोग के दुष्परिणामों के बारे में बताने के लिए युक्तिपूर्वक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करेंगी।

11.6 जेलों में जागरूकता कार्यक्रम

विधिक सेवा संस्थान जेल के कैदियों तथा जेल स्टाफ के लिए स्वापक औषधियों के दुष्प्रभाव के विषय में समय-समय पर जागरूकता एवं संवेदनशीलता कार्यक्रम आयोजित करेगा।

11.7 आम जनता के बीच जागरूकता

- (क) विशेष इकाईयाँ स्वापक पदार्थों की गैरकानूनी बिक्री अथवा उपभोग के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने पर विशेष ध्यान देते हुए ऐसे क्षेत्रों में जहां किसानों को अफीम अथवा ऐसे अन्य पौधों की खेती की मंजूरी प्राप्त है, समय-समय पर स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 पर विधिक साक्षरता शिविर आयोजित करेंगी।
- (ख) आम जनता को इस बात के प्रति जागरूक बनाया जाएगा कि प्रतिबंधित व वर्जित औषधियों /ड्रग्स के गैरकानूनी कब्जे, ढुलाई, बिक्री व खेती आदि के बारे में पुलिस को गुप्त सूचना देना। कानून के अंतर्गत संरक्षित है तथा उनकी पहचान गुप्त रखी जाती है।

- (ग) विशेष इकाइयां परिवहकों (ट्रांसपोर्टों) व टैक्सी चालकों को ड्रग्स के परिणामों व दुष्प्रभावों के बारे में साक्षर बनाने के लिए भी नियमित रूप से विधिक साक्षरता शिविर आयोजित करेंगी।
- (घ) विधिक सेवा संस्थान विशेष इकाइयाँ स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के कड़े प्रावधानों तथा ड्रग्स के दुरुपयोग के बारे में सार्वजनिक स्थलों जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, सरकारी व निजी विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, पंचायत भवन, न्यायालयों, जिला कलक्टरी, उपमंडल दंडाधिकारी कार्यालयों आदि पर सूचनापट्ट विज्ञापन पट्ट आदि प्रदर्शित करेंगी।
- (च) विशेष इकाइयाँ ड्रग्स के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में गाँवों, मेलों व त्योहारों में जागरूकता शिविर आयोजित करेंगी।
- (छ) विशेष इकाइयां पुनर्वास कालोनियों, आवासीय क्षेत्रों, बाजारों में विभिन्न संगठनों/समितियों के साथ मिलकर जागरूकता शिविर आयोजित करेंगी।
- (ज) एस.एल.एस.ए. डाक विभाग, कोरियर एजेंसियों तथा वित्तीय संस्थानों को उनके कर्मचारियों को इन एजेंसियों के माध्यम से गुप्त रूप से ड्रग्स की आवाजाही (हुलाई) के प्रति संवेदनशील रहने के लिए शामिल करने हेतु प्रयास करेगी।

11.8 केमिस्ट व औषधि / ड्रग्स विक्रेताओं के बीच जागरूकता

- (क) विशेष इकाइयाँ केमिस्ट व औषधि विक्रेताओं को ड्रग्स के दुष्प्रभाव के प्रति संवेदनशील बनाएगी।
- (ख) केमिस्टों को इस बात का प्रशिक्षण दिया जाए कि वे नियमित रूप से चिकित्सीय ड्रग्स खरीदने वाले बच्चों व युवाओं के प्रति सतर्क रहें व उन्हें यह ड्रग्स बेचने से इंकार करें।
- (ग) ड्रग्स बेचने वालों की पहचान की जायेगी तथा उनके लिए भी समान रूप से संवेदनशील बनाने वाले कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।
- (घ) पुलिस को भी संवेदनशील बनाया जा सकता है कि वह गली विक्रेताओं, पान की दुकानों आदि में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखे व इस व्यसन की रोकथाम में शामिल हो।

11.9 इलेक्ट्रानिक व प्रिंट मीडिया के द्वारा जागरूकता

एस.एल.एस.ए. को ड्रग्स के दुष्प्रभावों व इससे छुटकारा पाने के साधनों पर नियमित रेडियो वार्ताएं व टीवी कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। इन कार्यक्रमों में न्यायिक अधिकारियों, वकीलों, मनोवैज्ञानिकों, मनोचिकित्सकों, पुलिस अधिकारियों, आदर्श व्यक्तियों आदि को शामिल किया जाएगा।

12. नशामुक्ति/पुनरुद्धार केन्द्रों के साथ समन्वय

- (क) विशेष इकाइयाँ माह में कम से कम एक बार अपनी अधिकार क्षेत्र में आने वाले नशामुक्ति व पुनर्वास केन्द्रों का दौरा करेंगी। विशेष इकाइयाँ तालुका के भीतर पुनर्वास व नशामुक्ति केन्द्रों की एक सूची तैयार करेंगी तथा सूचना को लगातार अद्यतन करेंगी। यह इस सूची को इन्हें चलाने वाले व इनकी पृष्ठभूमि के ब्योरे सहित एस.एल.एस.ए. को भी भेजेगी।
- (ख) विशेष इकाइयाँ पुनर्वास/ नशामुक्ति केन्द्रों में सुविधाओं की पर्याप्तता का आकलन करने हेतु इनमें प्रदान की गयी सुविधाओं का निरीक्षण करेंगी।
- (ग) विशेष इकाइयाँ सलाहकार, मनोवैज्ञानिकों व डाक्टरों के दौरों के बारे में अभिलेख का निरीक्षण करेंगी।
- (घ) विशेष इकाइयाँ यह देखने हेतु कि ड्रग्स पुनर्वास केन्द्रों में स्टाफ की कमी न हो तथा स्टाफ पीड़ितों की संख्या के अनुरूप हो, कर्मचारियों के अनुपात की जाँच करेंगी।
- (च) विशेष इकाइयों को जब भी कर्मचारियों की संख्या या आधारभूत सुविधाओं में कमी नजर आए, वे इस सम्बन्ध में डी.एल.एस.ए. को उपयुक्त सिफारिशें करेंगी जो मामले को सम्बद्ध प्राधिकारियों तक ले जायेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि कमियाँ पूरी कर दी गयी हैं।
- (छ) यदि विशेष इकाई पीड़ितों के मानव अधिकार का उल्लंघन देखती है, तो वह तुरंत टी. एल.एस.सी. के अध्यक्ष को एक रिपोर्ट दाखिल करेगी जो इस रिपोर्ट पर गौर करेंगे और कानूनी कार्यवाही करने से पहले मामले पर स्वयं विचार करेंगे। टी.एल.एस.सी. उन मामलों में कानूनी सहायता भी प्रदान करेगी जहां पीड़ित की ओर से कानूनी कार्यवाही की जानी हो।
- (ज) विशेष इकाई पुनर्वास केन्द्रों से सूचना भी प्राप्त करेंगी एवं सम्बंधित डी.एल.एस.ए. को मासिक रिपोर्ट भेजेगी जिसमें पीड़ितों का ब्यौरा, की गयी गतिविधियाँ, मनोचिकित्सकों व डाक्टरों के दौरों का विवरण एवं विशेष इकाई की रिपोर्ट पर किये गए सुधार के उपायों, यदि कोई हों, को भी दिया जाएगा।
- (झ) विशेष इकाई पीड़ितों के लिए समय-समय पर जागरूकता शिविर का प्रबंध एवं आयोजन करेगी। सांस्कृतिक एवं अन्य सामाजिक रूप से सक्रिय समूहों को भी ऐसे जागरूकता शिविरों में पीड़ितों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के उद्देश्य के साथ शामिल किया जाएगा।

13. हिस्सेदारों का प्रशिक्षण / रिफ्रेशर कोर्स

एस.एल.एस.ए. स्वयं अथवा राज्य न्यायिक अकादमी के साथ मिलकर न्यायिक अधिकारियों, अभियोजकों, विधिक परिषद के सदस्यों, पुलिस अधिकारियों एवं न्यायालय के मंत्रालयी कर्मचारियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम, रिफ्रेशर कोर्स, विशेष प्रशिक्षण एवं सम्मलेन का प्रबंध एवं आयोजन करेगी।

14. 26 जून, को ड्रग्स के दुरुपयोग के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाना

समस्त विधिक सेवा संस्थाएं विशेष इकाई की सहायता से प्रतिवर्ष 26 जून को 'ड्रग्स के दुरुपयोग एवं इसके अनैतिक व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस' के रूप में मनाने के लिए व ड्रग्स के दुरुपयोग व इसके दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करेंगे।

15. ड्रग्स के व्यसन से सुधारे हुए व्यक्तियों का सहयोग

विशेष इकाई अपने क्षेत्र में ऐसे लोगों की पहचान करेगी जो पूर्व में ड्रग्स के व्यसन में लिप्त रहे हों, एवं जागरूकता शिविरों में उनके अनुभव को बताने हेतु उनको शामिल करेगी।

16. ड्रग्स विरोधी क्लब

- (क) विशेष इकाइयां विद्यालयों व महाविद्यालयों को निवेदन करेंगी व उन्हें विद्यालयों/महाविद्यालयों में ड्रग्स विरोधी क्लब खोलने के लिए शामिल करेंगी ताकि विद्यार्थी आदर्श बनें व अपने साथियों को ड्रग्स के दुष्प्रभावों की जानकारी दें।
- (ख) विशेष इकाइयां विद्यालयों/महाविद्यालयों में ड्रग्स विरोधी क्लबों द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगी। जैसा कि पहले वर्णित है, इसके लिए विधिक साक्षरता क्लब व विधिक सेवा क्लीनिक का प्रयोग किया जाना चाहिए।

17. अर्ध विधिक स्वयंसेवियों को शामिल करना

अर्ध विधिक स्वयंसेवियों को विभिन्न योजनाओं के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा जो बदले में भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में जायेंगे व लोगों को स्वापक औषधियों और मनः प्रभावी पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक बनायेंगे।

18. अच्छे कार्यों की सराहना

प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में, एस.एल.एस.ए. द्वारा राज्य में सर्वश्रेष्ठ विशेष इकाइयों के सदस्यों के द्वारा किये गए विशिष्ट कार्यों को सराहा जाना चाहिए।

विषय सूची :

क्र०	विषय	पेज संख्या
1.	नालसा (तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएँ) योजना, 2015.....	1-12
2.	नालसा (असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाएँ) योजना, 2015.....	13-23
3.	नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएँ और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएँ) योजना, 2015.....	25-42
4.	नालसा (मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएँ) योजना, 2015.....	43-57
5.	नालसा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवाएँ) योजना, 2015.....	59-67
6.	नालसा (आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाएँ) योजना, 2015.....	69-84
7.	नालसा (नशा पीड़ितों को विधिक सेवाएँ एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएँ) योजना , 2015.....	85-97



राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

12/11, जामनगर, हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110011

दूरभाष : 011-23386176, 23382778, फ़ैक्स : 23382121

वेबसाइट : www.nalsa.gov.in